



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02032026-270628  
CG-DL-E-02032026-270628

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 44]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 27, 2026/फाल्गुन 8, 1947

No. 44]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 27, 2026/PHALGUNA 8, 1947

वाणिज्य विभाग

(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 2026

मामला सं.-एडी (एसएसआर-06/2025)

विषय: चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "मिथाइल एसिटोएसीटेट" के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क के संबंध में निर्णायक समीक्षा जांच।

फा. सं. 07/12/2025-डीजीटीआर.—

क. मामले की पृष्ठभूमि

1. निर्दिष्ट प्राधिकारी जिन्हें इसके बाद "प्राधिकारी" भी कहा गया है) ने दिनांक 7 जनवरी 2015 को अधिसूचना संख्या 14/7/2014-डीजीएडी द्वारा चीन जन.गण. और यूएसए के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "मिथाइल एसिटोएसीटेट" (जिसे इसके बाद "संबद्ध सामान" या "विचाराधीन उत्पाद" या "एमएए" भी कहा गया है) के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू की। इसके बाद प्राधिकारी ने 1 अप्रैल 2016 की अधिसूचना के माध्यम से चीन जन.गण. और यूएसए से संबद्ध सामानों के आयात पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश करते हुए अंतिम जांच परिणाम

जारी किए। वित्त मंत्रालय द्वारा सीमा शुल्क अधिसूचना सं. 22/2016-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 31 मई 2016 द्वारा 5 वर्षों के लिए निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था।

2. प्राधिकारी ने चीन जन.गण. के विरुद्ध अधिसूचना संख्या 7/40/2020-डीजीटीआर दिनांक 30 सितंबर 2020 के माध्यम से पाटनरोधी शुल्क की पहली निर्णायक समीक्षा जांच शुरू की। प्राधिकारी ने अधिसूचना संख्या 7/40/2020-डीजीटीआर दिनांक 03 मई, 2021 के माध्यम से चीन जन.गण. पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क जारी रखने की सिफारिश की। इसी प्रकार यह शुल्क वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचना सं. 31/2021- सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 29 मई, 2021 द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए लगाया गया था। पाटनरोधी शुल्क 28 मई 2026 को समाप्त होने वाला है।
3. अधिनियम की धारा 9क (5) में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह प्रावधान है कि लगाए गए पाटनरोधी शुल्क को, जब तक कि पहले रद्द नहीं किया जाता है, ऐसे आरोपण की तारीख से पांच साल की समाप्ति पर प्रभावी होना बंद हो जाएगा और प्राधिकारी को यह समीक्षा करने की आवश्यकता है कि क्या शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति के जारी रहने या बार-बार होने की संभावना है। उपरोक्त के अनुसार, प्राधिकारी को घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से किए गए विधिवत प्रमाणित अनुरोध के आधार पर यह समीक्षा करने की आवश्यकता है कि क्या शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

4. इसके अलावा, नियमावली के नियम 23 (आईबी) में निम्नलिखित प्रावधान है:

“.....किसी बात के होते हुए भी अधिनियम के अंतर्गत लगाया गया कोई निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क उसके लगाए जाने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक प्रभावी रहेगा बशर्ते निर्दिष्ट प्राधिकारी उक्त अवधि से पूर्व अपनी खुद की पहल पर या घरेलू उद्योग की ओर से किए गए विधिवत् पुष्टि; तथा अनुरोध के आधार पर उक्त अवधि समाप्त होने से पूर्व उचित अवधि के भीतर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उक्त शुल्क की समाप्ति से पाटन एवं घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।“

5. नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क(5) के अनुसार घरेलू उद्योग की ओर से दायर, चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के आयातों से पाटन और क्षति की संभावना के प्रथम दृष्टया साक्ष्य के साथ विधिवत प्रमाणित आवेदन-पत्र प्राधिकारी ने भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 7/12/2025-डीजीटीआर दिनांक 26 जून 2025 द्वारा वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच शुरू की ताकि यह जांच की जा सके कि क्या वर्तमान पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

#### ख. प्रक्रिया

6. इस जांच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया अपनाई गई है:

- क. प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत पर्याप्त दृष्टया साक्ष्य के आधार पर भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना संख्या 7/12/2025-डीजीटीआर दिनांक 26 जून, 2025 द्वारा एक सार्वजनिक सूचना प्रकाशित की। जिसके माध्यम से, संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के आयात पर पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा जांच शुरू की गई।
- ख. प्राधिकारी ने प्रश्नावली के साथ सार्वजनिक सूचना की एक प्रति भारत में संबद्ध देश के दूतावास, सभी ज्ञात निर्यातकों, आयातकों और प्रयोक्ताओं (जिनके विवरण आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए थे) को भेजी और उन्हें पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 (2) के अनुसार लिखित में अपने ज्ञात विचार देने का अवसर प्रदान किया। उन्हें नोटिस की प्राप्ति की तारीख से तीस दिनों के भीतर उत्तर देने की सलाह दी गई थी।
- ग. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार, प्राधिकारी ने आवेदन-पत्र के अगोपनीय रूपांतर की एक प्रति भारत में संबद्ध देश के दूतावास, ज्ञात उत्पादकों और संबद्ध देश के निर्यातकों, ज्ञात आयातकों और भारत में प्रयोक्ताओं तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को भेजी।

- घ. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार संबद्ध देश में संबद्ध सामानों के निम्नलिखित ज्ञात निर्यातकों/उत्पादकों को संगत सूचना प्राप्त करने के लिए प्रश्नावली भेजी:
- i. चांगझोउ एचजेसीसी न्यू मैटेरियल्स कंपनी।
  - ii. चांगझोउ जियाबाई केम-टेक कंपनी, लिमिटेड।
  - iii. हांगकांग क्लीनटेक कंपनी, लिमिटेड।
  - iv. नानटोंग एसिटिक एसिड केमिकल कंपनी लिमिटेड।
  - v. नानटोंग तियानहोंग इंटरनेशनल ट्रेड कंपनी लिमिटेड।
  - vi. क्विंडो हैवान ग्रुप कंपनी लिमिटेड।
- ड. प्रत्युत्तर में, चीन जन.गण. से केवल नैनटोंग एसिटिक एसिड केमिकल कंपनी लिमिटेड (जिसे इसके बाद "नैनटोंग" के रूप में उल्लिखित किया गया है) ने निर्धारित प्रारूप में निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर दायर किया और अनुरोध किए।
- च. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 (4) के अनुसार आवश्यक सूचना मंगाने हुए भारत में विचाराधीन उत्पाद के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को भी आयातक प्रश्नावली भेजी:
- i. कलरटेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड
  - ii. डेक्कन फाइन केमिकल्स (इंडिया)
  - iii. के. उत्तमलाल एंड कंपनी
  - iv. माइल्स ट्रेडेक्सिम प्रा. लि.
  - v. नूतन डार्ई केम
  - vi. पारीचेम रिसोर्सेज एलएलपी
  - vii. प्राइमा केमिकल्स, पॉलीगॉन केमिकल्स
  - viii. आर नंदलाल एंड संस
  - ix. आरआर इनोवेटिव प्राइवेट लिमिटेड
  - x. संजय केमिकल्स (इंडिया) प्रा. लि.
  - xi. शक्ति अमोनिया सप्लाय कंपनी।
  - xii. स्पेक्ट्रम डाइज़ एंड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
- छ. किसी भी आयातक/प्रयोक्ता ने प्रश्नावली का कोई उत्तर नहीं दिया है, न ही उन्होंने जांच शुरुआत अधिसूचना के प्रत्युत्तर में कोई अन्य अनुरोध दायर किए हैं।
- ज. प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों और संबंधित प्रशासनिक लाइन मंत्रालय को एक आर्थिक हित प्रश्नावली (ईआईक्यू) जारी की। आर्थिक हित प्रश्नावली का उत्तर केवल घरेलू उद्योग द्वारा दायर किया गया था। किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार ने आर्थिक हित प्रश्नावली का उत्तर दायर नहीं किया।
- झ. जांच शुरुआत की अधिसूचना के उत्तर में हितबद्ध पक्षकारों के रूप में पंजीकृत होने का अनुरोध करने वाले हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची डीजीटीआर वेबसाइट पर अपलोड की गई थी और उन सभी से अनुरोध किया गया था कि वे प्राधिकारी को गोपनीय रूपांतर के प्रस्तुत करने की तारीख से अगले दिन तक अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोधों का अगोपनीय रूपांतर भेजें।
- ञ. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई सूचना की जांच उन दावों की पर्याप्तता के संबंध में की गई। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने जहां भी आवश्यक था गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और उस सूचना को गोपनीय माना गया है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं की गई

है। जहां भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को यह निर्देश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर दायर सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराएं।

- ट. प्राधिकारी ने जांच की अवधि (पीओआई) को 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2024 (12 महीने की अवधि) माना। क्षति की जांच की अवधि 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022, 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 और 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 और जांच की अवधि शामिल है।
- ठ. क्षति की अवधि के लिए संबद्ध सामानों के लेनदेन-वार आयात आंकड़ों के लिए सिस्टम और आंकड़ा प्रबंधन महानिदेशालय (डीजी सिस्टम) से अनुरोध किया गया था। प्राधिकारी को आंकड़े प्राप्त हुए और इस अंतिम जांच परिणाम में आवश्यक विश्लेषण के लिए इन आंकड़ों पर भरोसा किया गया है।
- ड. वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए आवश्यक मानी जाने गई सीमा तक घरेलू उद्योग का सत्यापन किया गया था।
- ढ. प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर भारत में घरेलू समान वस्तु का उत्पादन और बिक्री करने के लिए लागत तथा इष्टम उत्पादन लागत के आधार पर और सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) और पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-III को ध्यान में रखते हुए यह सुनिश्चित करने के लिए क्षतिरहित कीमत (एनआईपी) निर्धारित की, कि क्या वर्तमान पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त है।
- ण. नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों को 8 अक्टूबर 2025 को हाइब्रिड मोड में आयोजित मौखिक सुनवाई में मौखिक रूप से अपने अनुरोधों को प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। हितबद्ध पक्षकारों से अनुरोध किया गया था कि वे 15 अक्टूबर 2025 तक अपने लिखित अनुरोध और 24 अक्टूबर 2025 तक प्रत्युत्तर अनुरोध प्रस्तुत करें।
- त. निर्दिष्ट प्राधिकारी में परिवर्तन के कारण, 10 दिसंबर 2025 को हाइब्रिड मोड में एक नई मौखिक सुनवाई आयोजित की गई थी। हितबद्ध पक्षकारों को 17 दिसंबर 2025 तक मौखिक रूप से व्यक्त किए गए विचारों के लिखित अनुरोधों को दायर करने का अवसर प्रदान किया गया था, उसके बाद यदि कोई प्रत्युत्तर अनुरोध हों तो 24 दिसंबर 2025 तक प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया था।
- थ. प्राधिकारी ने 17 फरवरी 2026 को सभी हितबद्ध पक्षकारों को केन्द्र सरकार को अंतिम सिफारिशें करने के लिए विचाराधीन सभी अनिवार्य तथ्यों से युक्त एक प्रकटन विवरण परिचालित किया। प्राधिकारी ने इन अंतिम परिणामों में संगत सीमा तक हितबद्ध पक्षकारों द्वारा की गई सभी प्रकटन पश्चात टिप्पणियों की संगत सीमा तक जांच की है। कोई भी अनुरोध जो पिछले अनुरोध का पुनरावृत्ति था और जिसकी प्राधिकारी द्वारा पर्याप्त रूप से जांच की जा चुकी थी, संक्षिप्तता के लिए दोहराया नहीं गया है।
- द. प्राधिकारी ने इस जांच के दौरान, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना की सटीकता के संबंध में स्वयं को संतुष्ट किया, जो यथा-संभव सीमा तक इस अंतिम जांच परिणाम का आधार बनता है और संगत, व्यावहारिक और आवश्यक मानी गई सीमा तक घरेलू उद्योग और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ा दस्तावेजों का सत्यापन किया।
- ध. जहां कहीं भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच के दौरान पहुंच से इनकार कर दिया है या अन्यथा आवश्यक सूचना प्रदान नहीं की है, या जांच में अत्यधिक बाधा डाली है, प्राधिकारी ने ऐसे पक्षकारों को असहयोगी माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अंतिम जांच परिणाम दर्ज किए हैं।
- न. इस अंतिम जांच परिणाम में \*\*\* किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई सूचना और नियमावली के तहत प्राधिकारी द्वारा मानी गई सूचना दर्शाते हैं।
- प. अमेरिकी डॉलर को भारतीय रुपये में बदलने के लिए जांच की अवधि के लिए विनिमय दर 1 अमेरिकी डॉलर = 84.55 रु. है।

## ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

### ग.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

7. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई अनुरोध नहीं किए गए हैं।

## ग.2 घरेलू उद्योग के विचार

8. विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र और समान वस्तु के संबंध में घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:
- क. विचाराधीन उत्पाद मूल जांच में प्राधिकारी द्वारा परिभाषित किए गए अनुसार, चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित मिथाइल एसिटोएसीटेट (एमएए) है।
- ख. विचाराधीन उत्पाद सीमा प्रशुल्क उप-शीर्ष 29183040 के अंतर्गत आता है। जैसा कि पिछली जांच में सिद्ध किया गया है, यह 29146990, 29153910, 29153940, 29153990, 29183090, 29331990, 29410090 और 29189900 सहित अन्य कोडों के तहत भी आयात किया जाता है। वर्तमान क्षति अवधि में, संबद्ध सामानों को कोड 29183040, 29183090 और 29189990 के तहत आयात किया गया है। अतः, सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है।
- ग. प्राधिकारी से अनुरोध है कि वह पिछली जांच के क्षेत्र में माने गए सभी कोडों को शामिल करें, साथ ही शुल्क तालिका में कोड 29183090 और 29189990 को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करें।
- घ. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से निर्यातित संबद्ध सामानों में कोई ज्ञात महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से आयातित संबद्ध सामान भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, प्रकार्य और प्रयोगों, उत्पाद विनिर्देशों, कीमत निर्धारण और वितरण और विपणन जैसी विशेषताओं के संदर्भ में तुलनीय हैं।
- ड. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने सभी पिछली जांचों में निर्धारित किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद आयातित सामग्री की समान वस्तु है।

## ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

9. वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच है, और विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र वही रहता है जो मूल जांच में परिभाषित है। इस अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण विकास नहीं हुआ है। इसके अलावा, विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में किसी भी अन्य हितबद्ध पक्षकार ने कोई तर्क नहीं दिया है। मूल जांच में परिभाषित विचाराधीन उत्पाद को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:
- "वर्तमान याचिका में विचाराधीन उत्पाद मिथाइल एसिटोएसीटेट है। मिथाइल एसिटोएसीटेट (जिसे एमएए/एमएई/एएएमई के रूप में भी जाना जाता है) एक डाइकेटीन आधारित एस्टर या एसिटो-एसिटेट है। एमएए का रासायनिक सूत्र सी5एच8O3 है और 99% शुद्धता पर, यह एक रंगहीन उपस्थिति के साथ एक स्पष्ट तरल है।"
10. विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र वहीं रहता है जो मूल जांच में परिभाषित है।
11. विचाराधीन उत्पाद को उप शीर्ष 29183040 के तहत सीमा प्रशुल्क अधिनियम के अध्याय 29 में "मिथाइल एसिटोएसीटेट" के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तथापि, आवेदक ने अनुरोध किया है कि वर्तमान क्षति की अवधि में, संबद्ध सामानों को कोड 29183040, 29183090 और 29189990 के तहत आयात किया गया है। डीजी सिस्टम आंकड़े भी क्षति की अवधि के दौरान इन तीन कोडों के तहत आयात दर्शाते हैं। अतः, सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और किसी भी तरह जांच के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।
12. प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक द्वारा उत्पादित उत्पाद रासायनिक विशेषताओं, उत्पाद विनिर्देशों, तकनीकी विनिर्देशों, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, प्रकार्य और उपयोगों, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन और सामानों के प्रशुल्क वर्गीकरण के संदर्भ में संबद्ध देश से आयातित सामानों से तुलनीय हैं। दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से परस्पर परिवर्तनीय हैं। तदनुसार, प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक द्वारा उत्पादित उत्पाद नियमावली के नियम 2(घ) के संदर्भ में संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद की 'समान वस्तु' है।

## घ. घरेलू उद्योग का क्षेत्र और आधार

### घ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

13. घरेलू उद्योग के क्षेत्र और आधार के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों कोई अनुरोध नहीं किए गए हैं।

### घ.2 घरेलू उद्योग के विचार

14. घरेलू उद्योग के क्षेत्र और आधार के संबंध में घरेलू उद्योग उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क. आवेदक पिछली जांचों में भारत में संबद्ध सामानों का एकमात्र उत्पादक था। तथापि, आवेदक के निष्पादन में सुधार और लागू शुल्कों के कारण बने अनुकूल वातावरण को देखते हुए, जुबिलेंट इंगेरविया लिमिटेड ने क्षमता स्थापित की और फरवरी 2022 में भारत में संबद्ध सामानों के एक नए निर्माता के रूप में बाजार में प्रवेश किया।
- ख. जुबिलेंट इंगेरविया लिमिटेड ने आवेदन-पत्र और शुल्कों को जारी रखने का समर्थन किया है। कंपनी ने अपनी क्षति की सूचना के साथ एक समर्थन-पत्र प्रस्तुत किया है।
- ग. आवेदक के उत्पादन का कुल घरेलू उत्पादन में "प्रमुख अनुपात" है।
- घ. आवेदक ने संबद्ध सामानों का आयात नहीं किया है, न ही यह चीन जन.गण. में संबद्ध सामानों के किसी उत्पादक या निर्यातक से संबद्ध है। आवेदक भारत में किसी आयातक से भी संबद्ध नहीं है।
- ड. आवेदक नियम 2(ख) के अभिप्राय से पात्र घरेलू उद्योग है और आवेदन-पत्र उपर्युक्त नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार आधार के मानदंड पूरा करता है।

### घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

15. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग निम्नलिखित रूप में परिभाषित है:

"(ख) "घरेलू उद्योग" का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में "घरेलू उद्योग" का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।"

16. प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान आवेदन-पत्र मेसर्स लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक पिछली जांच में एकमात्र उत्पादक था। यह नोट किया जाता है कि संबद्ध सामानों के एक अन्य उत्पादक यानी जुबिलेंट इंगेरविया लिमिटेड (जिसे इसके बाद "जुबिलेंट" भी कहा गया है) ने क्षति की अवधि यानी 2021-2022 (फरवरी 2022) के दौरान क्षमता स्थापित की है और भारत में संबद्ध सामानों के एक नए निर्माता के रूप में बाजार में प्रवेश किया है। इसके अतिरिक्त, जुबिलेंट ने आवेदन-पत्र और शुल्क लगाने का समर्थन किया है। इसने क्षति की अवधि में अपने निष्पादन के संबंध में सार रूप सूचना भी प्रस्तुत की है। यह देखा जाता है कि आवेदक का उत्पादन कुल भारतीय उत्पादन का \*\*\*% है, इस प्रकार आवेदक के उत्पादन का कुल भारतीय उत्पादन में "प्रमुख अनुपात" है।

क्र. सं.	विवरण	मात्रा (एमटी)	हिस्सा (%)
1	आवेदक द्वारा उत्पादन	***	***%
2	जुबिलेंट द्वारा उत्पादन	***	***%
3	कुल भारतीय उत्पादन	***	100%

17. मेसर्स लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने प्रमाणित किया है कि उसने न तो संबद्ध देश से संबद्ध सामानों का आयात किया है और न ही वह संबद्ध देश में संबद्ध सामानों के किसी निर्यातक या उत्पादक या भारत में विचाराधीन उत्पाद के आयातक से संबद्ध है। प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम के लेनदेन-वार आंकड़ों की जांच की है और पाया है कि आवेदक ने विचाराधीन उत्पाद का संबद्ध देश से आयात नहीं किया है।

18. उपर्युक्त को देखते हुए, प्राधिकारी का मानना है कि आवेदक पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अभिप्राय से पात्र घरेलू उद्योग है और आवेदन-पत्र नियमावली के नियम 5(3) के आधार के मानदंडों को पूरा करता है।

### ड. गोपनीयता

#### ड.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

19. गोपनीयता के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क. आवेदक ने अपने अगोपनीय रूपांतर या उसकी विषय वस्तु का सार प्रदान किए बिना एक बाजार रिपोर्ट पर भरोसा किया है। इस चूक का कोई औचित्य नहीं दिया गया है। ऑल इंडिया लैमिनेटेड फैब्रिक्स मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी में सेस्टैट के निर्णय पर भरोसा किया गया है।
- ख. बाजार रिपोर्ट का स्रोत अज्ञात है, जो इसकी विश्वसनीयता पर संदेह पैदा करता है।
- ग. प्राधिकारी द्वारा सबूतों के बिना संबद्ध सामानों पर 750 करोड़ रुपये के निवेश के बारे में आवेदक के बयानों पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है। इसकी मांग की जाए।
- घ. निवेश के दावे में विश्वसनीयता की कमी है क्योंकि प्रस्तुत आंकड़े असंगत हैं। आवेदक ने पहली मौखिक सुनवाई के दौरान 750 करोड़ रुपये और दूसरी मौखिक सुनवाई में 710 करोड़ रुपये का दावा किया था।
- ड. जहां तक शेयरधारकों की सूची और प्रदान किए गए सहायक दस्तावेजों की सूची की गोपनीयता का संबंध है, यह जांच में बाधा नहीं डालता है।
- च. वितरण के चैनल पर गोपनीयता के संबंध में, विशिष्ट विवरण परिशिष्ट 3क और 4क में प्रदान किए गए हैं जो पूरी तरह से गोपनीय हैं। तथापि, यह खुलासा किया गया है कि नैनटोंग ने भारत और चीन में सीधे असंबद्ध ग्राहकों को बेचा है।
- छ. जहां तक बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार प्राप्त करने के लिए पूरक प्रश्नावली का संबंध है, नैनटोंग द्वारा इसे दायर नहीं किया गया है।

## ड.2 घरेलू उद्योग के विचार

20. गोपनीयता के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क. निर्यातक ने अपने शेयरधारकों के नाम और वित्तीय विवरणों पर अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है, भले ही कंपनी शंघाई स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है।
- ख. किसी भी औचित्य के बिना प्राथमिक कच्चे माल के नाम और वितरण के चैनल को गोपनीय होने का दावा किया गया है।
- ग. प्रश्नावली के लिए निर्यातक को अपनी बिक्री से संबंधित दस्तावेज प्रदान करने की आवश्यकता होती है। जबकि दस्तावेज गोपनीय हो सकते हैं, दस्तावेजों के नाम के बारे में कुछ भी गोपनीय नहीं हो सकता है, जिन्हें गोपनीय होने का दावा किया गया है।
- घ. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत में किए गए समायोजन को निर्यातक द्वारा अनुचित रूप से गोपनीय बताया गया है।
- ड. परिशिष्ट 1 का सार्थक सार प्रदान नहीं किया गया है। यह सूचीबद्ध प्रारूप में उचित रूप में स्पष्ट रूप से रूझान नहीं दर्शाता है।
- च. निर्यातक की क्षमता, उत्पादन, मालसूची के संबंध में प्रश्नों के उत्तर, निर्णायक समीक्षा के संबंध में प्रश्नावली के भाग II में निर्यात उपयुक्त सार प्रदान किए बिना पूरी तरह से गोपनीय होने का दावा किया गया है।
- छ. गैर-बाजार अर्थव्यवस्था अनुमान का खंडन करने वाले चीनी उत्पादकों को एक पूरक प्रश्नावली दायर करने की आवश्यकता है। निर्यातक ने घरेलू बिक्री का विवरण प्रदान किया है और अनुरोध किया है कि इसका उपयोग सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए किया जा सकता है। यदि पूरक प्रश्नावली दायर की गई है तो घरेलू उद्योग को उत्तर का अगोपनीय रूपांतर प्राप्त नहीं हुआ है।
- ज. गोपनीयता पर निर्यातक की आपत्ति समय-बाधित और अस्थिर है। प्राधिकारी ने गोपनीयता पर टिप्पणियों के लिए हितबद्ध पक्षकारों को विशिष्ट समय सीमा दी है। यदि कुछ पक्षकार ऐसे निर्देशों का पालन करने में विफल रहते हैं, तो प्राधिकारी को उनके समय-बाधित अनुरोधों को स्वीकार नहीं करना चाहिए। जो पहले से ही किए गए हैं।

- झ. जहां तक बाजार रिपोर्ट पर गोपनीयता का दावा किया गया है, आवेदक ने नियम 7 का पूरी तरह से अनुपालन किया है। आवेदन-पत्र में बाजार रिपोर्ट का नाम बताया गया था; रिपोर्ट के स्रोत की लिखित अनुरोधों में पहचान की गई थी; और रिपोर्ट से प्राप्त सभी सूचना को आवेदन-पत्र के अगोपनीय रूपांतर में शामिल किया गया था। आवेदक ने रिपोर्ट पर गोपनीयता का दावा किया क्योंकि इसे तीसरे पक्षकार के माध्यम से प्राप्त किया गया है, और आवेदक दस्तावेज़ को सार्वजनिक रूप से प्रकट करने के लिए अधिकृत नहीं है। गोपनीयता के लिए उचित औचित्य आवेदक द्वारा प्रदान किया गया था।

### ड.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

21. प्राधिकारी ने विभिन्न पक्षकारों द्वारा प्रदान की गई सूचना का अगोपनीय रूपांतर नियम 6(7) के अनुसार अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराया। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत सूचना की गोपनीयता के संबंध में, पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 में निम्नलिखित प्रावधान है:

“गोपनीय सूचना:

(1) नियम 6 के उपनियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को अनुरोध किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना अनुरोध करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश अनुरोध करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण अनुरोध करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।”

22. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई सूचना की जांच उन दावों की पर्याप्तता के संबंध में की गई थी। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने जहां आवश्यक था, गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना गया है अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं की गई है। जहां भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर दायर की गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर प्रदान करने का निर्देश दिया गया था। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि सभी हितबद्ध पक्षकारों ने अपने व्यवसाय से संबंधित संवेदनशील सूचना को गोपनीय होने का दावा किया है।
23. प्राधिकारी ने जांच की शुरुआत की अधिसूचना के पैरा 32 के माध्यम से, हितबद्ध पक्षकारों को किसी भी अनुरोध के अगोपनीय रूपांतर प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर गोपनीयता के संबंध में मुद्दों पर अपनी टिप्पणियां पेश करने का निर्देश दिया।
24. घरेलू उद्योग का तर्क था कि निर्यातक ने सूचीबद्ध इकाई होने के बावजूद अपने वित्तीय विवरणों और अपने शेयरधारकों की सूची पर अनुचित गोपनीयता का दावा किया है और ऐसी सूचना सार्वजनिक पटल पर उपलब्ध है। घरेलू उद्योग ने यह भी तर्क दिया कि निर्यातक ने प्रमुख कच्चे माल के नामों का दावा किया है, जबकि ऐसी सूचना उसकी वार्षिक रिपोर्ट में उपलब्ध है जो एक प्रकाशित दस्तावेज़ है। यह भी तर्क दिया गया है कि निर्यातक ने वितरण के अपने चैनल पर अनुचित गोपनीयता का दावा किया है, भले ही ऐसी सूचना निर्यातक की प्रतिक्रिया से ही अनुमानित की जा सकती है। गोपनीयता पर घरेलू उद्योग की टिप्पणियों के उत्तर में प्राधिकारी नोट करते हैं कि निर्यातक ने दिनांक 5 सितंबर 2025 के पत्र के माध्यम से अपने शीर्ष 10 शेयरधारकों, वित्तीय विवरण, प्रमुख कच्चे माल जैसे कि डिकेटेन और मेथनॉल और वितरण के चैनल की एक सूची प्रस्तुत की है।
25. घरेलू उद्योग ने यह भी तर्क दिया कि यद्यपि पूर्ण आंकड़े गोपनीय हो सकते हैं, लेकिन सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत में किए गए समायोजन के प्रकार पर दावा करने के लिए दावा नहीं किया जा सकता है। यह देखा जाता है

- कि उत्तर में, निर्यातक ने खुलासा किया है कि उसने परिशिष्ट 3क में समुद्री भाड़ा, बीमा, अंतर्देशीय परिवहन, क्रेडिट लागत और बैंक शुल्क के समायोजन का दावा किया है।
26. घरेलू उद्योग द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि निर्यातक ने अपने निष्पादन मापदंडों और निर्णायक समीक्षा से संबंधित प्रश्नावली के भाग में संगत प्रश्नों पर सूचना का सार्थक सार प्रस्तुत नहीं किया। तथापि, यह देखा जाता है कि यद्यपि निर्यातक की प्रतिक्रिया में एक सार्थक सार नहीं था, तथापि वह बाद में निर्यातक द्वारा विधिवत सूचीबद्ध रूप में प्रदान किया गया था। इसके बाद घरेलू उद्योग ने इस तरह के अगोपनीय सार के आधार पर निर्यातक के निष्पादन पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कीं।
27. जहां तक घरेलू उद्योग के पूरक प्रश्नावली के निर्यातक का अगोपनीय रूपांतर प्राप्त न होने के संबंध में प्रश्न का संबंध है, जिसमें बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार का दावा किया गया है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि निर्यातक ने स्पष्ट किया है कि उसने पूरक प्रश्नावली दायर नहीं की है और इसलिए, इसे घरेलू उद्योग के साथ साझा नहीं की गई थी। तथापि, निर्यातक ने बिना पूर्वाग्रह के अनुरोध किया, उसने प्रस्तुत उत्तर के आधार पर बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार का दावा किया है। इस संबंध में किए गए अनुरोधों का विवरण प्राधिकारी द्वारा इस अंतिम जांच परिणाम के संगत भाग में दर्ज किया गया है।
28. निर्यातक ने घरेलू उद्योग द्वारा भरोसा की गई बाजार रिपोर्ट पर निर्यातक द्वारा दावा की गई गोपनीयता के बारे में चिंता जताई। यह अनुरोध किया गया है कि घरेलू उद्योग ने बिना किसी औचित्य के न तो उल्लिखित बाजार रिपोर्ट का अगोपनीय सार प्रस्तुत किया है और न ही उसकी विषय वस्तु का सार प्रस्तुत किया है। घरेलू उद्योग ने अमेरिका - हॉट-रोल्ड स्टील में निर्णयों, अमेरिका - संक्षारण-प्रतिरोधी स्टील निर्णायक समीक्षा में पैनल और अमेरिका -तेल देश ट्युबलर सामान निर्णायक समीक्षा के संबंध में अपीलीय निकाय की रिपोर्ट पर विश्वास करते हुए अनुरोध किया है कि गोपनीयता के संबंध में यह दावा गोपनीयता पर टिप्पणी दायर करने की समय सीमा के काफी बाद प्रस्तुत किया गया है और इस प्रकार यह समय-बाधित और अमान्य है। यद्यपि प्राधिकारी नोट करते हैं कि रखे गए तर्क की महत्ता को ध्यान में रखते हुए, अनुरोध समय-बाधित है, तथापि प्राधिकारी ने निर्यातक के अनुरोधों को फिर भी हल किया है।
29. यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग ने आवेदन-पत्र के पैरा 113 में बाजार रिपोर्ट का नाम प्रकट किया है, अर्थात्, "चीन में मेथिल एसिटोएसीटेट बाजार: निवेश व्यवहार्यता मूल्यांकन रिपोर्ट 2025-2030"। आवेदन-पत्र के अगोपनीय रूपांतर में रिपोर्ट के नाम पर कोई गोपनीयता का दावा नहीं किया गया था। इसके अलावा, निर्यातक द्वारा उठाई गई आपत्ति पर ध्यान देते हुए, घरेलू उद्योग ने अपने लिखित अनुरोधों की तारीख 15 अक्टूबर 2025 के पैरा 77 में रिपोर्ट के स्रोत, यानी, विन्ज़ रिसर्च का खुलासा किया। घरेलू उद्योग ने स्पष्ट किया कि उक्त रिपोर्ट से प्राप्त/निकाली गई या उस पर निर्भर सभी सूचना आवेदन-पत्र के अगोपनीय रूपांतर में शामिल थी। इस प्रकार, बाजार अनुसंधान रिपोर्ट से विचार की गई सूचना का खुलासा किया गया है। यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी ने चीन जन.गण. से एट्रज़िन के आयात पर प्रतिकारी शुल्क की निर्णायक समीक्षा जांच और सीपीवीसी पर पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा जांच सहित अन्य पिछली जांचों में विनज़ रिसर्च की रिपोर्टों पर भी विचार किया है - क्या चीन जन.गण. और कोरिया गणराज्य से उसे आगे संसाधित किया गया है या नहीं।
30. जहां तक अखिल भारतीय लैमिनेटेड फैब्रिक्स मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी पर निर्यातक द्वारा किए गए भरोसे का संबंध है, जहां शुल्क की वापसी के लिए सेस्टेट ने आदेश दिया, यह मानते हुए कि इसकी विश्वसनीयता और प्रामाणिकता संदिग्ध होने के कारण रिपोर्ट पर विचार नहीं किया जा सकता है, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के इस अनुरोध पर ध्यान दिया कि संदर्भ गलत है। जबकि निर्यातक द्वारा संदर्भित मामले में, घरेलू उद्योग ने एक रिपोर्ट पर भरोसा किया था, लेकिन लेखक, स्रोत और आंकड़ों के स्रोत का खुलासा नहीं किया था, घरेलू उद्योग ने वर्तमान मामले में रिपोर्ट के नाम अर्थात्, "चीन में मेथिल एसिटोएसीटेट बाजार: निवेश व्यवहार्यता मूल्यांकन रिपोर्ट 2025-2030", उसके स्रोत अर्थात् "विनज़ रिसर्च" की पहचान की है और रिपोर्ट से लिए गए सभी विश्वास किए गए आंकड़ों का पर्याप्त सामान्य सार रिकॉर्ड में रखा है। अतः निर्यातक के रक्षा के अधिकार का हनन नहीं हुआ है।
31. जहां तक बाजार रिपोर्ट पर गोपनीयता का दावा करने के लिए उचित औचित्य की कमी के तर्क का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि चूंकि रिपोर्ट घरेलू उद्योग द्वारा तीसरे पक्षकार के माध्यम से प्राप्त की गई है, इसलिए

यह सार्वजनिक रूप से दस्तावेज़ का खुलासा करने के लिए अधिकृत नहीं है। आवेदन-पत्र में रिपोर्ट पर ऐसी गोपनीयता का दावा करने के लिए घरेलू उद्योग द्वारा उचित औचित्य प्रदान किया गया है।

32. निर्यातक ने तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग के निवेश दावों के बीच असंगति की कमी है। निवेश दावों के संबंध में, यह नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग ने अपने लिखित अनुरोधों के माध्यम से अनुरोध किया है कि उसे 710 करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय की मंजूरी मिली है और वह आगे की मंजूरी लेने की प्रक्रिया में है।
33. निर्यातक द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि आवेदक द्वारा संबद्ध सामानों पर आगे निवेश करने के बयानों पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है और प्राधिकारी से इसके लिए सबूत मांगने का अनुरोध किया गया है। घरेलू उद्योग ने अपने बाद के अनुरोधों के माध्यम से गुजरात के दहेज में एक नया विनिर्माण स्थल स्थापित करने के लिए 710 करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय की मंजूरी के संबंध में एक सार्वजनिक प्रकटन को रिकॉर्ड पर रखा है, जहां मिथाइल एसिटोएसीटेट निर्मित किए जाने वाले उत्पादों में से एक है। घरेलू उद्योग ने उक्त विनिर्माण स्थल के लिए प्राप्त पर्यावरण मंजूरी की एक प्रति भी प्रदान की। पर्यावरण मंजूरी से यह देखा जाता है कि संबद्ध सामान उक्त स्थल पर निर्मित किए जाने वाले प्रस्तावित उत्पादों में से एक है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने स्पष्ट किया कि वह अतिरिक्त निवेश को जोड़ने के लिए बोर्ड से मंजूरी लेने की प्रक्रिया में है।

### च. विविध अनुरोध

#### च.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

34. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित विविध अनुरोध किए गए हैं:

- क. निर्यातक के नमूने के लिए आवेदक का अनुरोध अनावश्यक और अनुचित है क्योंकि प्रतिभागी निर्यातक एक ही है।
- ख. शुल्क की समाप्ति एक मानदंड है जबकि निरंतरता एक अपवाद है। शुल्क की निरंतरता के लिए कोई असाधारण परिस्थितियाँ मौजूद नहीं हैं। शुल्क 9 वर्षों से लागू हैं, जुबिलेंट ने बाजार में प्रवेश किया है, स्विट्जरलैंड से आयात बढ गया है।
- ग. आधार वर्ष के रूप में 21-22 को लेना और इसकी तुलना परवर्ती वर्षों से करने से क्षति का हेराफेरी वाला विश्लेषण दर्शाएगा क्योंकि आधार वर्ष में मांग कोविड के कारण अधिक थी।
- घ. आवेदक ने दावा किया है कि जुबिलेंट की क्षति की सूचना के अगोपनीय रूपांतर में ब्रैकेटिंग गायब थी और इसे ठीक कर दिया गया है। आंकड़ों में हेराफेरी की संभावना है। प्राधिकारी से सबूत मांगने का अनुरोध किया जाता है।
- ड. आवेदक निवेश नहीं करेगा यदि यह संबद्ध आयात से प्रभावित होता है। शुल्क का विस्तार करने के लिए निवेश एक रणनीतिक कदम है।

#### च.2 घरेलू उद्योग के विचार

35. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित विविध अनुरोध किए गए हैं:

- क. आवेदक ने लाभप्रदता दर्शाने वाले जुबिलेंट के निष्पादन मापदंडों को अनुरोध करते समय अनजाने में नकारात्मक चिह्न या कोष्ठक छोड़ दिया। संशोधित क्षति की सूचना लिखित अनुरोधों के साथ परिचालित की गई थी।
- ख. जहां तक, शुल्कों की समाप्ति का संबंध है, नियम 23 (1बी) में प्रावधान है कि शुल्क समाप्त हो जाएगा जब तक कि इसकी समाप्ति से पाटन और क्षति के जारी रहने या बार बार होने की संभावना न हो। रिकॉर्ड पर मौजूद सूचना इस तरह की संभावना के मौजूदगी को पर्याप्त रूप से प्रदर्शित करती है और यह सिद्ध करती है कि पाटन जारी है, जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है।
- ग. शुल्कों की अवधि के संबंध में, डब्ल्यूटीओ करार में यह अधिदेशित है कि शुल्क जब तक और जहां तक आवश्यक हो लागू रहेगा। कानून में केवल प्राधिकारी को आवश्यकतानुसार उपायों के विस्तार की आवश्यकता का आकलन करने की आवश्यकता है। शुल्क पांच साल से अधिक या कम अवधि के लिए लागू रह सकते हैं। कानून में ऊपरी सीमा का उल्लेख नहीं है। डब्ल्यूटीओ सदस्य देशों ने वर्तमान अवधि की तुलना में बहुत लंबे समय तक शुल्क बनाए रखा है।

### च.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

36. घरेलू उद्योग ने संबद्ध देश में बड़ी संख्या में उत्पादकों को ध्यान में रखते हुए नमूनाकरण का अनुरोध किया, चूंकि वर्तमान जांच में केवल एक निर्यातक ने खुद को एक हितबद्ध पक्षकार के रूप में पंजीकृत किया है, इसलिए प्राधिकारी ने नमूनाकरण का सहारा नहीं लिया है।
37. जहां तक निर्यातक के इस तर्क का संबंध है कि शुल्क की समाप्ति एक मानदंड है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 (1बी) में यह प्रावधान है कि “.....किसी बात के होते हुए भी अधिनियम के अंतर्गत लगाया गया कोई निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क उसके लगाए जाने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक प्रभावी रहेगा बशर्ते निर्दिष्ट प्राधिकारी उक्त अवधि से पूर्व अपनी खुद की पहल पर या घरेलू उद्योग की ओर से किए गए विधिवत् पुष्टि; तथा अनुरोध के आधार पर उक्त अवधि समाप्त होने से पूर्व उचित अवधि के भीतर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उक्त शुल्क की समाप्ति से पाटन एवं घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहने या बार-बार होने की संभावना है।” इस प्रकार, जब पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति के साक्ष्य से घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना है तो फिर उन शुल्कों को आगे बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। इसी प्रकार, जहां तक शुल्क की अवधि के संबंध में तर्क का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी नियमावली में शुल्कों की अवधि के संबंध में ऊपरी सीमा का प्रावधान नहीं है। वर्तमान निर्णायक जांच का उद्देश्य यह जांचना है कि क्या शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना होगी। तदनुसार, प्राधिकारी ने इस अंतिम जांच परिणाम के संगत भागों के तहत पाटन और क्षति से संबंधित सूचना नोट की है।
38. निर्यातक ने इस आधार पर 2021-2022 को आधार वर्ष मानने की उपयुक्तता पर चिंता जताई है कि इस अवधि के दौरान मांग कोविड-19 से प्रभावित हुई थी। इस संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि, निर्णायक समीक्षा जांच के लिए लागू समय-सीमा को ध्यान में रखते हुए, घरेलू उद्योग ने जनवरी 2024 - दिसंबर 2024 को जांच की अवधि के रूप में प्रस्तावित करते हुए एक आवेदन-पत्र दायर किया, जो प्राधिकारी द्वारा उपयुक्त पाया गया था। तदनुसार, मानी गई क्षति की अवधि 2021-22, 2022-23, 2023-24 और जांच की अवधि थी। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि व्यापार सूचना 02/2004 में यह अपेक्षित है कि आवेदन-पत्र में अनिवार्य रूप से प्रस्तावित जांच की अवधि और पूर्व तीन वित्तीय वर्षों से संबंधित सूचना और आंकड़े शामिल होने चाहिए। उक्त आवश्यकता को देखते हुए, क्षति की जांच अवधि से 2021-2022 को बाहर करना संभव नहीं था। जहां तक निर्यातक के इस तर्क का संबंध है कि आधार वर्ष के साथ तुलना से क्षति का हेरा-फेरी वाला विश्लेषण को दर्शाया जाएगा, प्राधिकारी ने इस अंतिम जांच परिणाम के संगत भाग में क्षति के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों की जांच की है, जिसमें जांच की अवधि में घरेलू उद्योग के निष्पादन की जांच करने के लिए उचित सावधानी बरती गई है।
39. घरेलू उद्योग ने पहली सुनवाई के बाद दायर अपने लिखित अनुरोध में स्पष्ट किया कि उसने जुबिलेंट के निष्पादन मापदंडों और परिणामस्वरूप लाभों का अगोपनीय रूपांतर अनुरोध करते समय अनजाने में कोष्ठक छोड़ दिया। यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग ने इस तरह का स्पष्टीकरण देते हुए, जुबिलेंट की क्षति की सूचना के अगोपनीय रूपांतर को संशोधित किया और इसे अन्य हितबद्ध पक्षकारों के साथ विधिवत् परिचालित किया। यह नोट किया जाता है कि जुबिलेंट ने अपना समर्थन पत्र प्रदान करते समय घरेलू उद्योग के साथ अपने वास्तविक निष्पादन के बारे में सूचना भी साझा की। उसी का गोपनीय रूपांतर घरेलू उद्योग द्वारा रिकॉर्ड में रखा गया था। उत्पादक के पास क्षति की गोपनीय सूचना का अवलोकन वास्तव में हानियां दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, रिकॉर्ड पर रखी गई सूचना की सच्चाई की जांच करने और जुबिलेंट के निष्पादन में कथित विसंगतियों को दूर करने के लिए, प्राधिकारी ने सत्यापन के लिए जुबिलेंट से संगत बैकअप सूचना मांगी। जुबिलेंट से प्राप्त सत्यापित सूचना से पता चलता है कि क्षति की अवधि के दौरान, उत्पादक की बिक्री वसूली उत्पादन की लागत से कम थी, जिसके परिणामस्वरूप हानियां हुईं। उपर्युक्त के आलोक में, प्राधिकारी का मानना है कि यह निष्कर्ष निकालने का कोई आधार नहीं है कि जुबिलेंट से संबंधित क्षति के आंकड़ों में घरेलू उद्योग द्वारा हेरा-फेरी की गई है।
40. निर्यातक ने तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग द्वारा आगे शुल्क बढ़ाने के लिए एक रणनीतिक कदम है। इस संबंध में, घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि शुल्क लगाने से बाजार का स्थिरीकरण, हानियों का उलटफेर और उचित लाभप्रदता सक्षम हुई, जिसने बदले में एक नए उत्पादक और आगे निवेश के प्रवेश को भी सुगम बनाया। प्राधिकारी नोट करते हैं कि निर्यातक द्वारा दिया गया तर्क केवल एक बयान है और यह साबित करने के लिए

कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि इस पैमाने का निवेश केवल शुल्क जारी रखे जाने को प्रभावित करने के लिए एक रणनीतिक कदम था।

## छ. पाटन का आकलन और सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत तथा पाटन मार्जिन का निर्धारण

### छ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

41. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- क. नांतोंग एसिटिक एसिड चीन जन.गण. में सूचीबद्ध कंपनी है। यह मांग-आपूर्ति संबंधों द्वारा निर्धारित बाजार सिद्धांतों के आधार पर अपने उत्पादन, बिक्री, खरीद के निर्णय लेता है और किसी भी गैर-बाजार मध्यस्थता से मुक्त है। कंपनी उच्च स्तर की पारदर्शिता, शासन अनुपालन और खुलेपन के साथ काम करती है, जो इसे गैर-सूचीबद्ध कंपनियों से अलग करती है।
- ख. प्राधिकारी से अनुरोध है कि वह सामान्य मूल्य निर्धारित करने के उद्देश्य से कंपनी को बाजार अर्थव्यवस्था का स्तर प्रदान करें। निर्धारित मानदंडों की पूर्ति के बावजूद बाजार अर्थव्यवस्था के व्यवहार से इनकार करना नैनटोंग द्वारा ही चीन से प्रमुख आयातों को ध्यान में रखते देखते हुए नैनटोंग के हितों के विपरीत होगा।
- ग. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के बीच उचित कारखानागत तुलना सिद्ध करने के लिए, निर्यातक ने घरेलू बिक्री के मामले में अंतर्देशीय माल भाड़ा और क्रेडिट लागत और निर्यात बिक्री के मामले में समुद्री माल भाड़ा, बीमा, अंतर्देशीय माल भाड़ा, क्रेडिट लागत और बैंक शुल्क के कारण समायोजन का दावा किया है।
- घ. कीमत समायोजन के लिए कोई वसूल न की जाने वाली वैट राशि नहीं है।
- ड. आवेदक ने निर्यातक द्वारा चीनी और भारतीय सीमा शुल्क प्राधिकारी के समक्ष किए गए विरोधाभासी दावों को सत्यापित करने के लिए कहा है। ये अनुरोध बहुत दूर के हैं। इसके अलावा, कंपनी के सभी कार्यों के संबंध में पूर्णता परीक्षण अनावश्यक है। निर्यातकर्ता के आंकड़ों में हेरफेर करने का कोई इरादा नहीं है।
- च. इस तथ्य को देखते हुए कि निर्यातक भारत को अधिकांश निर्यात के साथ एकमात्र उत्तरदाता पक्षकार है, नैनटोंग के आंकड़े को सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन की गणना के लिए माना जाना चाहिए।
- छ. प्राधिकारी से अनुरोध है कि यदि शुल्क जारी रखने का सकारात्मक निर्धारण है तो पूर्व शुल्क जारी रखा जाए।
- ज. यह निर्धारित करने के लिए कि पाटन हुआ है या नहीं, वर्तमान क्षति की अवधि में संबद्ध आयात की मात्रा का आकलन किया जाना चाहिए।

### छ.2 घरेलू उद्योग के विचार

42. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- क. चीन को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में माना जाना चाहिए। इसकी घरेलू कीमतों और लागत पर तब तक विचार नहीं किया जा सकता जब तक कि निर्यातक यह न दर्शाए कि लागत और घरेलू कीमतें उचित हैं और उचित रूप से विचाराधीन उत्पाद की लागत और कीमत को दर्शाती हैं। चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार निर्धारित किया चाहिए।
- ख. सामान्य मूल्य का अनुमान लगाने के लिए, बाजार अर्थव्यवस्था के तीसरे देशों में प्रचलित कीमत के साक्ष्य प्राप्त करने के प्रयास किए गए, हालांकि, कोई प्रकाशित सूचना नहीं मिली। बाजार अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य का निर्माण करने के प्रयास किए गए लेकिन सूचना की कमी के कारण ऐसा नहीं किया जा सका। किसी अन्य देश में तीसरे देश से आयात पर विचार नहीं किया जा सकता है क्योंकि उत्पाद का विश्व स्तर पर समर्पित सीमा शुल्क वर्गीकरण नहीं है। इसके अलावा, अन्य देशों से भारत में आयात पर विचार नहीं किया जा सकता है, चीन के अलावा, स्विट्जरलैंड से आयात है, जो पाटन कीमतों पर हैं और एक समानांतर जांच के अधीन हैं। इसके अतिरिक्त, भारत प्रदत्त कीमत पाटन से प्रभावित है। इसलिए, बिक्री, सामान्य, प्रशासनिक

खर्च और उचित लाभ सहित भारत में उत्पादन की लागत को ध्यान में रखते हुए भारत में देय कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य का अनुमान लगाया गया है।

- ग. नंतोंग ने घरेलू बिक्री का विवरण प्रदान किया है और प्राधिकारी से सामान्य मूल्य निर्धारण के लिए इसका उपयोग करने का अनुरोध किया है। तथापि, चूंकि निर्यातक ने बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार प्रश्नावली का उत्तर दायर नहीं किया है, अतः प्राधिकारी को नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार सामान्य मूल्य निर्धारित करना चाहिए।
- घ. गौण स्रोत के आंकड़ों के अनुसार आयात की मात्रा और मूल्य के आधार पर कारखानागत निर्यात कीमत का अनुमान लगाया गया है। समुद्री माल भाड़ा, समुद्री बीमा, बंदरगाह व्यय, बैंक शुल्क और अंतर्देशीय माल भाड़ा व्यय के निमित्त समायोजन किया गया है।
- ङ. प्राधिकारी से अनुरोध है कि वह जांच करे कि क्या निर्यातक ने उत्पाद के निर्यात में उनके द्वारा किए गए सभी खर्चों की सूचना दी है। सभी कारकों के लिए कीमत समायोजन किया जाना चाहिए जो सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के बीच कीमत तुलनीयता को प्रभावित करते हैं।
- च. पूर्व में, प्राधिकारी ने वैट अंतर के लिए समायोजन किया था, जिसे हाल ही में कीमत समायोजन के रूप में सूचित नहीं किया गया है। प्राधिकारी को सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के बीच तुलनीयता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कीमत समायोजन करना चाहिए।
- छ. प्राधिकारी से अनुरोध है कि वह डीजीसीआईएंडएस और डीजी सिस्टम से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर निर्यातक द्वारा बताई गई निर्यात मात्रा और मूल्यों का सत्यापन करे, प्रश्नावली के उत्तर को अस्वीकार करे और जब दावे भारतीय सीमा शुल्क के आंकड़ों से मेल नहीं खाते हैं तो उपलब्ध तथ्यों का उपयोग करे, और चीनी और भारतीय सीमा शुल्क अधिकारियों को अनुरोध किए गए बीजकों, आय और व्यय की रिपोर्ट करने के लिए उपयोग किए गए लेखांकन बीजकों, बैंक विवरण और पार्टी पक्षकार खाता रिकॉर्ड सहित भुगतान प्रमाण की जांच करे। यदि कोई निर्यातक चीनी और भारतीय सीमा शुल्क को विरोधाभासी कीमतों की सूचना देता है, और यदि निर्यातक भारतीय खरीदारों से भुगतान का पर्याप्त प्रमाण प्रदान करने में विफल रहते हैं तो उत्तर को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए।
- ज. केवल एक्सेल फाइलें समायोजन का पर्याप्त प्रमाण नहीं हैं। सटीकता और पर्याप्तता सिद्ध करने के लिए, उन्हें संगत दस्तावेजों द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए। प्राधिकारी को निर्यातकों को साक्ष्य के साथ आवश्यक सूचना अनुरोध करने का निर्देश देना चाहिए।
- झ. प्राधिकारी से अनुरोध है कि वह निर्यातक के ईक्यूआर का पूर्णता परीक्षण करे, जिसमें सभी कंपनी प्रचालन और विशेष रूप से जांच की अवधि से संबंधित प्रचालन शामिल हों।
- ञ. सूचीबद्ध होने से यह सिद्ध नहीं होता है कि कोई कंपनी बाजार-अर्थव्यवस्था की स्थितियों के तहत काम करती है। किसी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने से, अपने आप में, राज्य का प्रभाव या नियंत्रण समाप्त नहीं होता है, न ही यह प्रदर्शित करता है कि कीमतें, लागत और वित्तीय निर्णय पूरी तरह से बाजार बलों द्वारा निर्धारित होते हैं।
- ट. निर्यातक की वार्षिक रिपोर्ट के विश्लेषण से पता चलता है कि कम से कम 19% शेयरधारिता राज्य के स्वामित्व वाली कंपनियों के पास है, जो इसके प्रबंधन और प्रचालनों में राज्य की भागीदारी और संभावित प्रभाव का प्रमाण है।
- ठ. नंतोंग ने संबद्ध सामानों पर पिछली जांच में भी भाग लिया था, लेकिन बाजार-अर्थव्यवस्था व्यवहार की मांग नहीं की थी, न ही इसे कभी ऐसा व्यवहार दिया गया था। इसने परिस्थितियों में कोई बदलाव भी प्रदर्शित नहीं किया है जो अब इसे बाजार-अर्थव्यवस्था व्यवहार प्रदान करने को उचित ठहराता है।
- ड. निर्यातक द्वारा किए गए निर्यात की मात्रा बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार के निर्धारण के लिए महत्वहीन है।
- ढ. जहां तक भारत में नांटोंग द्वारा पाटन न किए जाने का संबंध है, मार्जिन प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाए। आवेदक के अनुमान के अनुसार मार्जिन काफी हैं। इसलिए, यह सच नहीं है कि निर्यातक पाटन में लिप्त नहीं है।

**छ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच****क. सामान्य मूल्य**

43. धारा 9क(1)(ग) के तहत, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है:

(i) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमावली के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा

(ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:-

(क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमावली के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो; अथवा

(ख) उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमावली के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उद्गम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत;

बशर्ते यदि उक्त वस्तु का आयात उद्गम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल यानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उद्गम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

44. डब्ल्यूटीओ में चीन के अभिगम नयाचार के अनुच्छेद 15 में निम्नलिखित प्रावधान है:

“जीएटीटी 1994 का अनुच्छेद VI, टैरिफ और व्यापार संबंधी सामान्य करार, 1994 (“पाटनरोधी करार”) के अनुच्छेद VI के कार्यान्वयन संबंधी करार और एससीएम करार एक डब्ल्यूटीओ सदस्य में चीन के मूल के आयातों की संलिप्तता की कार्यवाहियों में लागू होंगे जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

(क) जीएटीटी 1994 के अनुच्छेद -VI और पाटनरोधी करार के तहत कीमत तुलनात्मकता का निर्धारण करने में, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीन की कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे अथवा उस पद्धति का उपयोग करेंगे, जो निम्नलिखित नियमों के आधार पर घरेलू कीमतों या चीन में लागतों के साथ सख्ती से तुलना करने पर आधारित नहीं है:

(i) यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां रहती है तो निर्यात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।

(ii) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त अनुपालन पर आधारित नहीं है, यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह नहीं दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग हैं।

(iii) एससीएम समझौते के पैरा II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में निर्धारित राजसहायता को बताते समय एससीएम समझौते के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे, तथापि, उसके प्रयोग करने में यदि विशेष कठिनाईयां हों, तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसहायता लाभ की पहचान करने और उसको मापने के लिए तब पद्धति का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखती है और चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती है। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में, जहां व्यवहार्य

हो ,आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों का उपयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यमान निबंधन और शर्तों को ठीक करना चाहिए।

- (iv) आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैरा (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी कार्य समिति के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप पैराग्राफ (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को कमिटी ऑन सब्सिडीज और काउंटर वेलिंग मैसर्स के लिए अधिसूचित करेगा।
- (v) आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य को राष्ट्रीय कानून के तहत चीन ने एक बार यह सुनिश्चित कर लिया है कि यह एक बाजार अर्थव्यवस्था है ,तो उप पैराग्राफ के प्रावधान (क)समाप्त कर दिए जाएंगे , बशर्ते आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में प्राप्ति की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ क (II) के प्रावधान प्राप्ति की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त होंगे। इसके अलावा ,आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं ,उप पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए आगे लागू नहीं होंगे।"

45. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यद्यपि चीन जन.गण. के अभिगम नयाचार के अनुच्छेद 15(क)(ii) के प्रावधान 11 दिसंबर, 2016 से समाप्त हो गए हैं। तथापि अभिगम नयाचार की धारा 15(क)(i) के तहत दायित्व के साथ पठित पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2.2.1.1 के तहत प्रावधान में बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार का दावा करने संबंधी पूरक प्रश्नावली में दिए जाने के लिए सूचना/आंकड़ों के माध्यम से संतुष्ट होने के लिए पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8 में निर्धारित मानदंड की अपेक्षा होती है।
46. जांच की शुरुआत के स्तर पर, प्राधिकारी ने बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक खर्चों और लाभों को विधिवत समायोजित करने के बाद घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत के सर्वोत्तम अनुमानों के आधार पर चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य निर्मित किया। जांच शुरू करने पर, प्राधिकारी ने चीन जन.गण. में उत्पादकों/निर्यातकों को जांच की शुरुआत की सूचना का उत्तर देने और अपने बाजार अर्थव्यवस्था स्तर के निर्धारण से संगत सूचना प्रदान करने की सलाह दी। प्राधिकारी ने नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8(3) में निर्धारित मानदंडों के अनुसार गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की धारणा का खंडन करने और संगत विस्तृत सूचना प्रस्तुत करने के लिए सभी ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को पूरक प्रश्नावली की प्रतियां भेजीं।
47. प्राधिकारी चीन जन.गण. में उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य के निर्धारण के संबंध में नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 और 8 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधान नोट करते हैं:

"7. गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयात के मामले में, उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए भारत में समान उत्पाद के लिए वास्तविक रूप से भुगतान किया गया अथवा भुगतान योग्य, आवश्यकतानुसार पूर्णतया समायोजित कीमत रहित, सामान्य, मूल्य का निर्धारण तीसरे देश के बाजार अर्थव्यवस्था में कीमत अथवा परिकल्पित मूल्य के आधार पर अथवा भारत सहित ऐसे किसी तीसरे देश से अन्य देशों के लिए कीमत अथवा जहां यह संभव नहीं हैं, या किसी अन्य उचित आधार पर किया जाएगा। संबद्ध देश के विकास के स्तर तथा संबद्ध उत्पाद को देखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा यथोचित पद्धति द्वारा एक समुचित बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश का चयन किया जाएगा और चयन के समय पर उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना पर यथोचित रूप से विचार किया जाएगा। बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी अन्य तीसरे देश के संबंध में किसी समयानुरूपी मामले में की जाने वाली जांच के मामले में जहां उचित हों, समय-सीमा के भीतर कार्रवाई की जाएगी। जांच से संबंधित पक्षकारों को किसी अनुचित विलंब के बिना बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के चयन के विशेष में सूचित किया जाएगा और अपनी टिप्पणियां देने के लिए एक समुचित समयावधि प्रदान की जाएगी।"

"8(1) "गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश" वाक्यांश का अर्थ है कि ऐसा देश जिसे निर्दिष्ट प्राधिकारी लागत अथवा कीमत ढांचे के बाजार सिद्धान्तों को लागू नहीं करने वाले देश के रूप में मानते हैं, जिसके कारण ऐसे देश में पण्य वस्तुओं कि बिक्रियों उप पैराग्राफ (3) में निर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार वस्तुओं के सही मूल्य को नहीं दर्शाती है।"

(2) यह कहना पूर्वनुमान लगाना होगा कि कोई देश जिसे जांच के पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान निर्दिष्ट प्राधिकारी अथवा डब्लू .टी.ओ.के किसी सदस्य के समक्ष प्राधिकारी द्वारा पाटनरोधी जांच के प्रयोजनार्थ एक गैर- बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश निर्धारित अथवा माना गया है, एक गैर- बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश है। तथापि, गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश या ऐसे देश से संबंधित फर्म निर्दिष्ट-प्राधिकारी को सूचना तथा साक्ष्य उपलब्ध कराकर इस परिकल्पना को समाप्त कर सकते हैं जो यह साबित करता हो कि ऐसा देश उप पैरा (3) में निर्दिष्ट मानदंड के आधार पर एक गैर बाजार अर्थ-व्यवस्था वाला देश नहीं है।

(3) निर्दिष्ट प्राधिकारी प्रत्येक मामले में निम्नलिखित मानदंड पर विचार करेंगे कि क्या: (क) ऐसे देश में कच्ची समग्रियों प्रौद्योगिकी लागत और श्रम, उत्पादन, बिक्रियों तथा निवेश सहित कीमतों, लागतों तथा निवेशों के संबंध में संबंधित फर्म का निर्णय आपूर्ति तथा मांग को दर्शाने वाले बाजार संकेतों तथा इस संबंध में किसी विशिष्ट राज्य हस्तक्षेप के बिना होता है और यह कि क्या मुख्य निवेशों की लागतें वास्तविक रूप से बाजार मूल्यों को दर्शाती हैं; (ख) ऐसी फर्मों की उत्पादन लागतों तथा वित्तीय स्थिति पूर्ववर्ती गैर- बाजार अर्थव्यवस्था प्रणाली से उठाये गये विशिष्ट विरूपणों के अधीन होती है, खासकर ऋणों की प्रतिपूर्ति द्वारा परिसम्पत्तियों के मूल्यहास, अन्य बड़े खाते वस्तु विनियम व्यापार तथा ऋणों की क्षतिपूर्ति के जरिए तथा भुगतान के संबंध में; (ग) ऐसी फर्म दिवालियापन तथा सम्पत्ति कानून के अधीन होती है जो कि फर्मों के प्रचालन की कानूनी निश्चितता तथा स्थायित्व की गारंटी देता है; (घ) विनियम दर के परिवर्तन बाजार दर पर किये जाते हैं ; तथापि, जहां इस पैराग्राफ में निर्दिष्ट मानदंड के आधार पर लिखित रूप में पर्याप्त साक्ष्य दर्शाया जाता है कि पाटनरोधी जांच के अधीन एक अथवा ऐसी अधिक फर्मों के लिए बाजार स्थितियां लागू होती हैं, निर्दिष्ट प्राधिकारी पैरा 7 तथा इस पैरा में निर्दिष्ट सिद्धान्तों के पैरा 1 से 6 में निर्दिष्ट सिद्धान्तों को लागू कर सकते हैं।

(4) उप पैराग्राफ (2) में किसी बात के होते हुए भी, निर्दिष्ट प्राधिकारी जो संगत मापदंड के अद्यतन विस्तृत मूल्यांकन के आधार पर ऐसे देश को बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश मान सकते हैं जिसमें उप पैराग्राफ (3) में विनिर्दिष्ट मापदंड में किसी सार्वजनिक दस्तावेज में ऐसे मूल्यांकन का प्रकाशन शामिल हो, जिसे विश्व व्यापार संगठन के किसी सदस्य देश द्वारा पाटनरोधी जांच के प्रयोजनार्थ बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माने जाने के लिए माना या निर्धारित किया हो”

48. जांच की शुरुआत के स्तर पर, प्राधिकारी ने चीन जन.गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था देश मानने की धारणा से कार्यवाही की। जांच शुरू करने पर, प्राधिकारी ने चीन जन.गण. में उत्पादकों/निर्यातकों को यह सलाह दी कि वे जांच की शुरुआत की सूचना का उत्तर दें और यह सूचना दें कि क्या उनके आंकड़े/सूचना को सामान्य मूल्य निर्धारण के लिए अपनाया जा सकता है। प्राधिकारी ने इस संबंध में संगत सूचना प्रदान करने के लिए चीन जन.गण. में सभी ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार/पूरक प्रश्नावली की प्रतियां भेजीं।
49. चीन में एक उत्पादक, नानटोंग एसिटिक एसिड ने वर्तमान जांच में खुद को पंजीकृत किया और निर्यातकों की प्रश्नावली का उत्तर दायर किया। निर्यातक ने अनुरोध किया है कि वह बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार के मानदंडों को पूरा करता है क्योंकि वह एक सूचीबद्ध कंपनी है, इसके व्यावसायिक निर्णय मांग-आपूर्ति की गतिशीलता से संचालित होते हैं, इसमें कोई महत्वपूर्ण सरकारी हस्तक्षेप नहीं है, और इसके प्रचालन कारपोरेट प्रशासन के अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हैं। तदनुसार, निर्यातक ने अनुरोध किया है कि उसे इस जांच के प्रयोजनों के लिए बाजार अर्थव्यवस्था का व्यवहार दिया जाए। तथापि, जबकि निर्यातक को अच्छी तरह से पता था कि उसे एक बाजार अर्थव्यवस्था प्रश्नावली जमा करने की आवश्यकता है, उसने नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8 में उल्लिखित अनुमानों का खंडन करने के लिए पूरक प्रश्नावली का उत्तर जान-बूझकर दायर नहीं किया है। एमईटी प्रश्नावली पर जोर देते हुए घरेलू उद्योग के अनुरोध पर, निर्यातक ने बिना कोई कारण बताए एमईटी प्रश्नावली का उत्तर दायर करने से इनकार कर दिया था। इस संबंध में, प्राधिकारी घरेलू उद्योग के इन अनुरोधों को भी नोट करते हैं कि कंपनी सूचीबद्ध होने से, यह सिद्ध नहीं होता है कि वह बाजार-अर्थव्यवस्था की स्थितियों के तहत काम करती है। घरेलू उद्योग द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि निर्यातक की वार्षिक रिपोर्ट से पता चलता है कि उसकी कम से कम 19% शेयरधारिता सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों के पास है। इसके अतिरिक्त, निर्यातक ने पिछली जांच में भी भाग लिया लेकिन बाजार-अर्थव्यवस्था व्यवहार की मांग नहीं की। उसने ऐसी परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं दर्शाया है जो अब इसे बाजार-अर्थव्यवस्था व्यवहार प्रदान करने को उचित ठहराएगा। प्राधिकारी की स्थापित परिपाटी को देखते हुए, निर्यातक के बाजार अर्थव्यवस्था के दावे को अपेक्षित

सूचना के अभाव में रद्द किया जाता है। प्राधिकारी वर्तमान जांच में चीन जन.गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में मानना उचित समझते हैं और चीन जन.गण. के मामले में सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार कार्यवाही करते हैं।

50. पैराग्राफ 7 गैर-बाजार अर्थव्यवस्था में उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य की गणना के लिए कई प्रशंसनीय तरीकों को निर्धारित करता है, जिसमें (क) बाजार अर्थव्यवस्था तीसरे देश में कीमत अथवा निर्मित मूल्य के आधार पर शामिल है; (ख) ऐसे तीसरे देश से अन्य देश, जिसमें भारत भी शामिल है; और (ग) किसी अन्य उचित आधार पर, जिसमें उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए आवश्यक रूप से समायोजित, समान उत्पाद के लिए भारत में वास्तव में भुगतान किया गया या देय मूल्य शामिल है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि अनुबंध 7 के तहत प्रदान किए गए विभिन्न क्रमिक विकल्पों को ध्यान में रखते हुए सामान्य मूल्य निर्धारित करने की आवश्यकता है।
51. सामान्य मूल्य पर विचार करने के लिए पक्षकारों द्वारा बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत अथवा निर्मित मूल्य के आधार पर कोई सूचना प्रदान नहीं की गई है। इस प्रकार, बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में प्रचलित कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, अन्य देशों में आयात की कीमत पर विचार नहीं किया जा सकता है क्योंकि उत्पाद का लेनदेन अलग-अलग कोड के तहत किया जा रहा है। भारत में आयात के संबंध में, यह देखा गया है कि जांच की अवधि में संबद्ध सामानों का आयात चीन जन.गण. और स्विट्जरलैंड से देश में प्रवेश कर रहा है। जबकि स्विट्जरलैंड से आयात भारत में कुल आयात का 37% है और ऐसे आयात एक समानांतर पाटनरोधी जांच के अधीन हैं। इस प्रकार, भारत सहित अन्य देशों में बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश से आयात को सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए नहीं माना जा सकता है।
52. सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए प्राधिकारी के समक्ष उपरोक्त सूचना/साक्ष्य के अभाव में, प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध-1 के पैरा 7 में निर्धारित "भारत में वास्तव प्रदत्त अथवा देय कीमत सहित किसी अन्य उचित आधार" के आधार पर चीन जन.गण. से सभी निर्यातकों/ उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य निर्धारित किया है। अतः, सामान्य मूल्य की गणना घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत के आधार पर की गई है, जिसमें बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक खर्च और लाभ मार्जिन को उचित रूप से जोड़ा गया है। इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य को पाटन मार्जिन तालिका में नीचे दिया गया है।

#### ख. निर्यात कीमत

53. निर्यातक द्वारा दायर उत्तर की जांच नीचे की गई है:

नंतोंग एसिटिक एसिड केमिकल कंपनी, लिमिटेड

54. प्राधिकारी नोट करते हैं कि केवल नैनटोंग एसिटिक एसिड केमिकल कं. लिमिटेड ने वर्तमान जांच में निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर दायर किया। वह चीन में संबद्ध सामानों का एक उत्पादक/निर्यातक है और जांच की अवधि के दौरान भारत में असंबद्ध ग्राहकों को विचाराधीन उत्पाद का सीधे निर्यात किया है। यह नोट किया जाता है कि जांच की अवधि के दौरान, नैनटोंग एसिटिक एसिड केमिकल कं, लिमिटेड, चीन ने सीधे \*\*\* एमटी संबद्ध सामानों का निर्यात किया है।
55. प्राधिकारी ने उत्पादक/निर्यातक द्वारा प्रश्नावली के उत्तर में दिए गए निर्यात के विवरण की जांच की है। भारतीय ग्राहकों को बिक्री का \*\*\* एमटी सीआईएफ आधार पर है, जबकि शेष \*\*\* एफओबी आधार पर है। निर्यातक ने सीआईएफ निर्यात के मामले में समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, क्रेडिट लागत, बैंक शुल्क और अंतर्देशीय भाड़ा खर्चों के निमित्त समायोजन और एफओबी निर्यात के मामले में क्रेडिट लागत, बैंक शुल्क और अंतर्देशीय भाड़ा खर्चों के निमित्त समायोजनों का दावा किया है। प्राधिकारी ने निर्यातक द्वारा दावा किए गए खर्चों को उसकी निर्यात कीमत का अनुमान लगाने में ध्यान में रखा है। प्राधिकारी द्वारा तैयार की गई निवल निर्यात कीमत नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाई गई है।

चीन में अन्य उत्पादक/निर्यातक

56. चीन जन.गण. से अन्य सभी असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत नियमावली के नियम 6(8) के संदर्भ में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित की गई है और इसका उल्लेख नीचे पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

## ग. पाटन मार्जिन

57. संबद्ध देश के लिए निर्धारित सामान्य मूल्य, कारखानागत निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन निम्नलिखित हैं:

## पाटन मार्जिन तालिका

उत्पादक	सामान्य मूल्य (यूएसडॉ./एमटी)	निर्यात कीमत (यूएसडॉ./एमटी)	पाटन मार्जिन (यूएसडॉ./एमटी)	पाटन मार्जिन (%)	पाटन मार्जिन (रेंज)
नंतोंग एसिटिक एसिड केमिकल कंपनी, लिमिटेड।	***	***	***	***	30-40
अन्य	***	***	***	***	40-50

58. प्राधिकारी मानते हैं कि जांच की अवधि में पाटन मार्जिन न्यूनतम से अधिक और काफी है।

## ज. क्षति का मूल्यांकन

## ज.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों विचार

59. क्षति और कारणात्मक संपर्क के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क. कोविड के कारण आधार वर्ष में मांग अधिक थी। मांग में बाद में गिरावट के साथ, आवेदक की बिक्री में गिरावट आई।
- ख. कोई मात्रात्मक क्षति नहीं है। संबद्ध देश से मात्रा में गिरावट आई है। घरेलू बिक्री 20-21 में कम हो गई और जांच की अवधि में आधार वर्ष के स्तर तक बढ़ गई। कोविड के कारण आधार वर्ष में मांग अधिक थी और बाद में कम हो गई। साथ ही, पिछले दो वर्षों में आवेदक की बिक्री में वृद्धि हुई, जो आधार वर्ष के स्तर से मेल खाती है। इसके अतिरिक्त, स्विट्जरलैंड से आयात में वृद्धि हुई है जो पाटन करने के उसके इरादे को दर्शाता है। यहां तक कि जब आयात में गिरावट आई, तब भी आवेदक के लाभ में कमी आई है।
- ग. कोई कीमत क्षति नहीं है। घरेलू बिक्री कीमत में कमी लागत के अनुरूप है।
- घ. प्रदान की गई कीमत कटौती की गणना में मौजूदा शुल्क शामिल नहीं है। शुल्क को शामिल करने के बाद नैनटोंग के लिए कीमत कटौती नकारात्मक है।
- ड. चूंकि अग्रिम लाइसेंस योजना के तहत पाटनरोधी शुल्क लागू नहीं हैं, इसलिए संबद्ध आयात पर ऐसे शुल्क लगाना अप्रभावी होगा। भले ही शुल्क जारी रहे, लेकिन इससे घरेलू उद्योग को लाभ नहीं होगा, क्योंकि अधिकांश आयात इस योजना के माध्यम से उन्हें बाहर कर देते हैं।
- च. प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे विचाराधीन उत्पाद में आवंटित लागत को सत्यापित करे क्योंकि आवेदक एक बहु-उत्पाद कंपनी है, और उनकी लागत एनपीयूसी का अतिव्यापन कर सकती है। कोई भी दोषपूर्ण आवंटन नैनटोंग के हित के लिए बेहद हानिकारक साबित होगा।
- छ. आवेदक की क्षमता समान रही है और जांच की अवधि में उपयोग बढ़ गया है। हालांकि, विचाराधीन उत्पाद की उत्पादन मात्रा में कमी आई है। यहां तक कि जब 23-24 में उपयोगिता में 26 अंकों की वृद्धि हुई, तो उत्पादन में केवल 6 अंकों की वृद्धि हुई।
- ज. आवेदक की बाजार हिस्सेदारी में काफी वृद्धि हुई जबकि चीन की हिस्सेदारी में गिरावट आई। जुबिलेंट भी बाजार पर अच्छी पकड़ बनाने में कामयाब रही है। इसके अलावा, स्विट्जरलैंड की बाजार हिस्सेदारी भी बढ़ी है।
- झ. यदि आवेदक का पाटन का दावा सही होता, तो जुबिलेंट ने निवेश नहीं किया होता और बाजार में प्रवेश नहीं किया होता। कंपनियां आमतौर पर किसी भी उद्योग में प्रवेश करने से पहले बाजार की स्थितियों और संभावित लाभप्रदता का आकलन करती हैं। प्राधिकारी को जुबिलेंट से अनुमानित लाभ की तलाश करनी चाहिए और इसकी तुलना वास्तविक निष्पादन से करनी चाहिए।

- ज. जबकि आधार वर्ष से लाभ 23-24 तक गिर गया, जांच की अवधि में यह काफी बढ़ गया। यहां तक कि जांच की अवधि से पहले लाभ में गिरावट आई, तो भी 23-24 की अवधि को छोड़कर यह घाटे में नहीं बदला। इसके अलावा, कोविड के दौरान आवेदक द्वारा असाधारण लाभ अर्जित करने के कारण 21-22 के लाभ पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।
- ट. आयात कीमतों में गिरावट केवल संबद्ध आयात तक ही सीमित नहीं थी। कोविड-19 महामारी के अंत को देखते हुए फार्मास्यूटिकल्स में मुख्य रूप से उपयोग किए जाने वाले विचाराधीन उत्पाद की घटती मांग के कारण यह एक वैश्विक घटना थी।
- ठ. मालसूची में वृद्धि निर्यात में कमी के कारण है, न कि घरेलू बिक्री के कारण।
- ड. आवेदक बाजार में बढ़ा है और उसे लम्बा संरक्षण मिला है।
- ढ. प्राधिकारी को निर्यात में कमी के कारण लाभ में गिरावट, आधार वर्ष में कोविड के प्रभाव, जुबिलेंट के प्रवेश, स्विट्जरलैंड की बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि सहित अन्य कारकों की जांच करनी चाहिए।
- ण. प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे विचाराधीन उत्पाद की आवंटित लागत का सत्यापन करे क्योंकि आवेदक एक बहु-उत्पाद कंपनी है, और उनकी लागत एनपीयूसी का अतिव्यापन कर सकती है। कोई भी दोषपूर्ण आवंटन नैनटोंग के हित के लिए अत्यधिक हानिकारक साबित होगा।
- प. आवेदक मात्रा से संबंधित क्षति का दावा करने के लिए पिछली जांच से आंकड़े का चुनिंदा उपयोग कर रहा है, जो वर्तमान क्षति अवधि के लिए आंकड़ों से समर्थित नहीं है।
- फ. आवेदक ने इस दावे के खिलाफ कोई सबूत नहीं दिया है कि संबद्ध देश ने उनके शुल्कों को खपा लिया है।
- ब. घरेलू उद्योग ने स्वीकार किया है कि उसने पिछले पाटनरोधी शुल्क के लाभों का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया है, यह दर्शाता है कि उसे जो भी क्षति हुई है, वह काफी हद तक स्व-प्रभावित है। शुल्क लागू रहते समय कार्य करने में विफल रहने पर, आवेदक का विस्तार मांगने का वर्तमान प्रयास निर्यातकों के लिए अवसरवादी और अनुचित प्रतीत होता है।

## ज.2 घरेलू उद्योग के विचार

60. क्षति और कारणात्मक संपर्क के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क. शुल्क लागू होने के बावजूद, पाटित आयात से घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति होना जारी है।
- ख. कोविड-19 महामारी के दौरान, संबद्ध सामानों की मांग एपीआई में उसके प्रयोग के कारण सामान्य स्तर पर लौटने से पहले आधार वर्ष में अधिक थी। तथापि, ऐतिहासिक प्रवृत्ति से पता चलता है कि मूल जांच के आधार वर्ष से वर्तमान जांच की अवधि तक मांग में \*\*\*% की वृद्धि हुई है। पहली निर्णायक समीक्षा की जांच की अवधि की तुलना में मांग स्थिर रही है।
- ग. जुबिलेंट द्वारा उत्पादन शुरू होने के कारण क्षति की अवधि के दौरान पूर्ण और सापेक्षिक रूप से संबद्ध आयात की मात्रा में गिरावट आई। आयात कुल आयात का 57% और मांग का \*\*\*% है।
- घ. आयात कुल आयात का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पाटनरोधी करार 3% की मात्रा को जांच शुरू करने के लिए पर्याप्त मानता है। यूरोपीय आयोग, जांच शुरू करने के लिए, 1% या उससे अधिक के बाजार हिस्से को भी पर्याप्त मानता है।
- ड. 2022-23 को छोड़कर, क्षति की अवधि के दौरान कीमत कटौती सकारात्मक थी। क्षति की अवधि में कीमत अंतर काफी बढ़ गया है।
- च. 2023-24 और जांच की अवधि में पहुंच मूल्य लागत से भी नीचे चला गया।
- छ. महत्वपूर्ण आयात अग्रिम प्राधिकार योजना के तहत किए जा रहे हैं जहां पाटनरोधी शुल्क और मूल सीमा शुल्क देय नहीं है। इस तरह की कीमतें घरेलू बाजार में कीमतें निर्धारित कर रही हैं, जिससे घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत प्रभावित हो रही है।

- ज. पाटित आयातों से बाजार में कीमत हास हुआ है। लागत और घरेलू बिक्री कीमत दोनों में गिरावट आई, लेकिन बिक्री कीमत में गिरावट लागत में गिरावट से अधिक थी। इसके अतिरिक्त, पहुंच कीमत में और भी अधिक गिरावट आई जिससे घरेलू उद्योग को अपनी कीमत कम करने के लिए मजबूर होना पड़ा।
- झ. घरेलू उद्योग की क्षमता स्थिर रही, जबकि इसके उत्पादन की मात्रा में गिरावट देखी गई। कीमत में गिरावट के परिणामस्वरूप जांच की अवधि में बिक्री मात्रा में वृद्धि हुई।
- ञ. जबकि चीन की बाजार हिस्सेदारी में गिरावट आई है, यह पिछली निर्णायक समीक्षा जांच में \*\*\*% की तुलना में अधिक है और \*\*\*% से अधिक है।
- ट. घरेलू उद्योग उस समय लाभप्रद था जब आयात कीमतें उत्पादन लागत से अधिक थीं। चूंकि 2022-23 में और 2023-24 में आयात की कीमत में गिरावट आई, घरेलू उद्योग का लाभ हानि में बदल गया, जिसमें जांच की अवधि में केवल मामूली सुधार हुआ।
- ठ. 2023-24 में मामूली गिरावट को छोड़कर, औसत मालसूची स्तर में काफी वृद्धि हुई।
- ड. वर्ष 2023-24 तक रोजगार का स्तर कम हुआ और उसके बाद यह स्थिर रहा। इस अवधि में वेतन और मजदूरी में भी गिरावट आई। प्रति दिन उत्पादकता में कमी, उत्पादन में कमी के अनुरूप हुई।
- ढ. मात्रा और कीमत मानदंडों के संदर्भ में घरेलू उद्योग की वृद्धि पर पाटित आयातों का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।
- ण. संबद्ध देश से आयातों का बाजार में महत्वपूर्ण हिस्सा है। परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग अपनी बाजार हिस्सेदारी नहीं बढ़ा सका।
- त. संबद्ध देश से आयात न केवल घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तावित बिक्री कीमत से कम है, बल्कि बिक्री की लागत से भी कम है, जिसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में गिरावट आई है।
- थ. विचाराधीन उत्पाद के संबंध में खपत के पैटर्न में कोई परिवर्तन नहीं आया है।
- द. आवेदक को विकल्प की उपलब्धता के कारण कोई क्षति नहीं हो रही है।
- ध. विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी के साथ-साथ उत्पादन प्रक्रिया में कोई महत्वपूर्ण विकास नहीं हुआ है।
- न. कोई व्यापार-प्रतिबंधात्मक परिपाटी नहीं है।
- प. क्षति के आंकड़े केवल उद्योग के घरेलू प्रचालन को दर्शाता है, जिसमें निर्यात से कोई प्रभाव शामिल नहीं है।
- फ. जिस कीमत पर शुल्क-मुक्त आयात किए जाते हैं, वह पाटनरोधी शुल्क बंद किए जाने की स्थिति में सामानों की वह कीमत दर्शाती है जिस पर आयात किए जाने की संभावना है।
- ब. शुल्क मुक्त आयात का घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रभाव पड़ता है, और इसके प्रभाव को प्राधिकारी द्वारा पिछली दोनों जांचों में माना गया है।
- भ. डीजीटीआर ने यह पाए जाने के बाद भी पाटनरोधी शुल्क लगाने या बढ़ाने की सिफारिश की है कि महत्वपूर्ण या संपूर्ण आयात अग्रिम प्राधिकार के तहत थे।
- म. नकारात्मक कीमत कटौती की मौजूदगी का अर्थ कीमत संबंधी क्षति का अभाव ही नहीं है। प्राधिकारी ने कई मामलों में शुल्क की सिफारिश की है जहां कीमत कटौती नकारात्मक थी। कीमत कटौती और न्यूनीकरण/हास के बीच, एक मानदंड मौजूद रहे।
- य. जुबिलेंट काफी हानियों पर बेचकर मात्रा हासिल करने और कुछ बाजार प्राप्त करने में भी सक्षम रहा है। उत्पादक अभी तक ब्रेक-इवन पॉइंट तक भी नहीं पहुंचा है।
- कक. जहां तक इस तर्क का सवाल है कि मात्रा में कमी का अभाव है, आवेदक के की मापदंडों में तेजी से गिरावट आई है। बिक्री लाभप्रदता की लागत पर बढ़ी है। शुल्कों के लागू होने और भारत में नई क्षमताएं आने के बावजूद, संबद्ध आयात पाटित किए जा रहे हैं और बाजार में काफी हिस्से को बनाए रखा जा रहा है। लाभप्रदता में गिरावट सीधे आयात कीमत में गिरावट से संबंधित है।

- खख. जबकि क्षति की सूचना के अगोपनीय रूपांतर से ऐसा लग सकता है कि जांच की अवधि में लाभ में काफी वृद्धि हुई है, आवेदक ने लागत से मामूली रूप से ऊपर की कीमतों पर बेचा। \*\*\*% का सीमांत लाभ वसूली का संकेत नहीं देता है।
- गग. निर्यातक का यह दावा कि आवेदक "बाजार में फला-फूला है" उसका विरोधाभासी, जो आंकड़े दर्शाते हैं। यह नकारा नहीं जा सकता कि शुल्क प्रभावी थे, और घरेलू उद्योग ने पिछली समीक्षा जांच में उचित लाभ कमाया था। तैापि, वर्तमान जांच में, आयात कीमतों में भारी गिरावट आई है और घरेलू उद्योग को क्षति होनी शुरू हो गई है।
- घघ. आवेदक का निष्पादन प्रतिकूल बना हुआ है और उसकी स्थिति कमजोर बनी हुई है, जो शुल्कों को जारी रखने का औचित्य बनाती है।

### ज.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

61. अनुबंध-II के साथ पठित नियमावली के नियम 11 में यह प्रावधान है कि क्षति के निर्धारण में "... पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर इस प्रकार के आयातों का परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत तथ्यों पर विचार करते हुए ..." घरेलू उद्योग को क्षति दर्शाने वाले कारकों की जांच शामिल होगी। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, इस बात की जांच करना आवश्यक माना गया है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा कीमत में बहुत अधिक कटौती हुई है अथवा यह कि क्या इस प्रकार के आयातों के प्रभाव से अन्यथा कीमतों का बहुत अधिक मात्रा में ह्रास हुआ है अथवा कीमत में वृद्धि रूक जाती जो अन्यथा बहुत अधिक मात्रा में हुई होती। भारत में घरेलू उद्योगों पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए, इन सूचकांकों जिनका उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता हो जैसे उत्पादन, क्षमता का उपयोग, बिक्री की मात्रा, मालसूची, लाभप्रदता, निवल बिक्री प्राप्ति, पाटन की मात्रा और मार्जिन आदि पर विचार नियमावली के अनुबंध-II के अनुसार किया गया है।
62. नियमावली के नियम 23 में प्रावधान है कि नियम 6,7,8,9,10,11,16,18,19 और 20 के प्रावधान आवश्यक परिवर्तनों सहित समीक्षा के मामले में लागू होंगे। घरेलू उद्योग के निष्पादन के मामले में, यह पता चलता है कि वर्तमान क्षति अवधि के दौरान उसे क्षति नहीं हुई है, प्राधिकारी यह निर्धारित करेंगे कि क्या वर्तमान शुल्क बंद करने से घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहने या बार-बार होने की संभावना है।
63. घरेलू उद्योग ने आरोप लगाया है कि वह पाटित संबद्ध आयात के कारण उसको वास्तविक क्षति हो रही है। प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध को नोट किया है और निम्नलिखित रूप में नियमावली के अनुसार घरेलू उद्योग को हुई क्षति की जांच की है।

#### ज.3.1 पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव

##### क. मांग/खपत का मूल्यांकन

64. वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध सामानों की मांग या स्पष्ट खपत को घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री, अन्य घरेलू उत्पादक की घरेलू बिक्री और सभी स्रोतों से आयात की मात्रा के रूप में परिभाषित किया है। विचाराधीन उत्पाद की मांग निम्नानुसार है।

विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	जांच की अवधि
चीन जन.गण. से आयात	एमटी	7,228	5,569	4,022	2,045
स्विट्जरलैंड से आयात	एमटी	174	0	600	1,220
अन्य देशों से आयात	एमटी	613	112	0	0
घरेलू उद्योग की बिक्री	एमटी	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	76	90	100
अन्य घरेलू उत्पादकों की बिक्री	एमटी	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	581	760	954
मांग/खपत	एमटी	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	86	87	85

65. यह देखा गया है कि संबद्ध सामानों की मांग 22-23 में कम हो गई है और 23-24 और जांच की अवधि में काफी हद तक समान रही है। क्षति की अवधि में मांग में 15% की गिरावट आई है। हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि मांग आधार वर्ष में काफी अधिक थी, जिसका प्रभाव कोविड अवधि पर पड़ा क्योंकि उत्पाद का उपयोग दवा क्षेत्र में भी किया जाता है।

**ख. पूर्ण और सापेक्षिक रूप से आयात**

66. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी को यह विचार करने की आवश्यकता है कि क्या पाटित आयातों में, या तो पूर्ण रूप से या भारत में उत्पादन या खपत के संबंध में, काफी वृद्धि हुई है। क्षति विश्लेषण के प्रयोजन के लिए, प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम से प्राप्त लेनदेन-वार आंकड़े पर भरोसा किया है। क्षति अवधि और जांच की अवधि में पूर्ण रूप से और सापेक्षिक रूप से आयात की मात्रा की सूचना निम्नानुसार है।

विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	जांच की अवधि
चीन जन.गण. से आयात	एमटी	7,228	5,569	4,022	2,045
स्विट्जरलैंड से आयात	एमटी	174	0	600	1,220
अन्य देशों से आयात	एमटी	613	112	0	0
कुल आयात	एमटी	8,015	5,681	4,622	3,265
भारतीय उत्पादन	एमटी	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	90	108	123
भारतीय उत्पादन के संबंध में संबद्ध आयात	%	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	85	52	23
भारतीय खपत	एमटी	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	86	87	85
भारतीय खपत के संबंध में संबद्ध आयात	%	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	89	63	33
कुल आयात के संबंध में संबद्ध आयात	एमटी	90%	98%	87%	63%

67. यह देखा जाता है कि 2021-22 में संबद्ध देश से आयातों की मात्रा बहुत उच्च स्तर पर थी और उसके बाद से इसमें गिरावट आई है। जबकि सापेक्षिक रूप से संबद्ध आयातों में गिरावट आई है, फिर भी यह काफी बना हुआ है। स्विट्जरलैंड से आयात में वृद्धि हुई है और यह एक समानांतर पाटनरोधी जांच के अधीन है।

**ज.3.2 पाटित आयातों का कीमत प्रभाव**

68. नियमावली के अनुबंध II(ii) के अनुसार, कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में प्राधिकारी के लिए यह अपेक्षित है कि वे विचार करें कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों से काफी कीमत कटौती हुई है या क्या उन आयातों का प्रभाव काफी मात्रा तक कीमतों का अन्यथा हास करना है या कीमत वृद्धि रोकना है, जो अन्यथा काफी मात्रा तक हुई होती।

**क. कीमत कटौती**

69. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या आयात बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों की कटौती कर रहे हैं या नहीं, कीमत कटौती क्षति की अवधि में संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत से घरेलू उद्योग की निवल बिक्री वसूली की

तुलना करके निर्धारित की गई है। आयात के पहुंच मूल्य और घरेलू उद्योग की कीमतों का विश्लेषण निम्नानुसार है।

विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	जांच की अवधि
आयतों का पहुंच मूल्य	भारतीय रु./ एमटी	1,88,545	1,45,317	1,12,116	1,05,158
निवल बिक्री प्राप्ति	भारतीय रु./ एमटी	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	75	65	60
कीमत कटौती	भारतीय रु./ एमटी	***	***	***	***
	%	***	***	***	***
	% रेंज	0-10%	0-10%	10-20%	10-20%

70. यह देखा जाता है कि पूरी क्षति अवधि में आयात का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की निवल बिक्री वसूली से कम है। कीमत कटौती लगातार सकारात्मक रही है।

71. घरेलू उद्योग द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि अग्रिम प्राधिकार योजना के तहत संबद्ध आयात की एक महत्वपूर्ण मात्रा देश में प्रवेश कर रही है जहां कोई पाटनरोधी शुल्क या मूल सीमा शुल्क देय नहीं है। निर्यातक ने तर्क दिया है कि चूंकि अग्रिम लाइसेंस योजना के तहत शुल्क लागू नहीं हैं, इसलिए यदि शुल्क जारी रहता है, तो भी घरेलू उद्योग को इसका लाभ नहीं मिलेगा। प्राधिकारी इस संबंध में घरेलू उद्योग के अनुरोधों को नोट करते हैं कि शुल्क छूट योजनाओं के तहत आयात का घरेलू बाजार में कीमतों को निर्धारण करने का प्रभाव पड़ता है। यह भी अनुरोध किया गया है कि जांच की अवधि दौरान जिस कीमत पर शुल्क-मुक्त आयात किए जाते हैं, जो घरेलू कीमतों को कम कर रहे हैं, वे उस कीमत को दर्शाते हैं जिस पर पाटनरोधी शुल्क बंद किए जाने की स्थिति में सामानों का आयात किए जाने की संभावना है।

#### ख. कीमत ह्रास अथवा न्यूनीकरण

72. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित आयात घरेलू कीमतों को कम कर रहे हैं और क्या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों का काफी हद तक न्यूनीकरण करना है या कीमतों में वृद्धि को रोकना है, जो अन्यथा सामान्य क्रम में हुई होती, क्षति की अवधि में लागत और कीमतों में परिवर्तन की तुलना नीचे दी गई है।

विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	जांच की अवधि
उत्पादन लागत	भारतीय रु./ एमटी	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	85	74	68
निवल बिक्री प्राप्ति	भारतीय रु./ एमटी	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	75	65	60
आयातों का पहुंच मूल्य	भारतीय रु./ एमटी	1,88,545	1,45,317	1,12,116	1,05,158
	सूचीबद्ध	100	77	59	56

73. यह देखा जाता है कि पूरी क्षति अवधि में घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और बिक्री कीमत में गिरावट आई है। निर्यातक ने तर्क दिया कि घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत लागत के अनुरूप चली है। यह देखा जाता है कि क्षति की अवधि में लागत में 32% की गिरावट आई है, जबकि घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में 40% की गिरावट

आई है। तथापि, संबद्ध आयात के पहुंच मूल्य में गिरावट घरेलू उद्योग की लागत और कीमत में गिरावट दोनों की तुलना में काफी अधिक रही है। क्षति की अवधि में संबद्ध आयात के पहुंच मूल्य में 44% तक गिरावट आई। आयात की पहुंच कीमत 2022-23 के बाद से लागत के स्तर से नीचे गिर गई, जिससे घरेलू उद्योग को भी अपनी बिक्री कीमत को काफी कम करने के लिए मजबूर होना पड़ा, यह दर्शाता है कि बिक्री कीमत में आयातों की पहुंच कीमत के संचलन को अपनाया है।

74. आयात कीमत में गिरावट के संबंध में, निर्यातक ने अनुरोध किया कि कोविड-19 के बाद मांग में कमी के कारण ऐसी गिरावट एक वैश्विक घटना थी। तथापि, यह देखा जाता है कि आयातों के पहुंच मूल्य में वर्ष-दर-वर्ष गिरावट दर्ज की है। आधार वर्ष के बाद से न केवल पहुंच मूल्य में गिरावट आई है, बल्कि 22-23 की तुलना में भी इसमें 28% की गिरावट दर्ज की गई है। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि बिक्री की मात्रा को बनाए रखने के लिए लागत में गिरावट से परे अपनी बिक्री कीमत को कम करने के लिए मजबूर किया गया था। यह अनुरोध किया गया है कि 2022-23 से आयातों की पहुंच कीमत बिक्री कीमत और बिक्री की लागत के कम रहने के कारण, घरेलू कीमतों पर नीचे की ओर दबाव डाला गया था। घरेलू उद्योग को अपनी बिक्री कीमत कम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। प्राधिकारी का मानना है कि आयात का घरेलू उद्योग की कीमतों पर न्यूनीकरण एवं हासमान प्रभाव पड़ा है।

### ज.3.3 घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंडों पर परिणामी प्रभाव

75. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II में यह अपेक्षित है कि ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव की वस्तुपरक जांच में क्षति के निर्धारण में शामिल होगी। ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में नियमावली में यह भी प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में सभी संगत आर्थिक कारकों का वस्तुपरक एवं निष्पक्ष मूल्यांकन और बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट; वे कारक जो घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा पर प्रभाव डालते हों; नकदी प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, विकास, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव का वस्तुपरक और निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होना चाहिए। तदनुसार, घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति मापदंडों पर यहां नीचे विचार किया गया है।

#### क. क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्री

76. क्षति की अवधि के दौरान क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्री की सूचना निम्नानुसार है:

विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	जांच की अवधि
संस्थापित क्षमता	एमटी	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	100	100	100
कुल उत्पादन (पीयूसी + एनपीयूसी)	एमटी	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	81	86	112
क्षमता उपयोग (पीयूसी + एनपीयूसी)	%	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	81	86	112
पीयूसी का उत्पादन	एमटी	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	64	71	77
घरेलू बिक्री	एमटी	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	76	90	100
निर्यात बिक्री	एमटी	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	51	26	26

77. यह देखा जाता है कि क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता समान रही है। हालांकि, घरेलू उद्योग द्वारा संबद्ध सामानों के उत्पादन की मात्रा में क्षति की अवधि में गिरावट आई है। घरेलू उद्योग की बिक्री की मात्रा 22-23 में घट गई और उसके बाद बढ़ गई। तथापि, यह देखा जाता है कि बिक्री मात्रा में वृद्धि 23-24 में हानियां उठाकर लागत पर हासिल की गई थी और जांच की अवधि में नगण्य लाभ अर्जित हो रहा था।
78. यह तर्क दिया गया है कि जबकि क्षमता समान रही और जांच की अवधि में उपयोग में वृद्धि हुई, तथापि उत्पादन मात्रा में गिरावट आई है। इस संबंध में, यह देखा जाता है कि आवेदक ने संबद्ध और गैर-संबद्ध सामानों के लिए संयुक्त क्षमता की सूचना दी है। तदनुसार, इसने संयुक्त उत्पादन मात्रा और तदनरूपी क्षमता उपयोग की भी सूचना दी जो वही प्रवृत्ति दर्शाती है। तथापि, संबद्ध सामानों के उत्पादन संबंधी सूचना ने घरेलू बिक्री के लिए सूचित संचलन को अपनाया और जांच की अवधि में कुछ वृद्धि के साथ क्षति की अवधि में गिरावट आई है।

#### ख. मांग में बाजार हिस्सा

79. संपूर्ण क्षति अवधि में संबद्ध आयात और घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी निम्नानुसार थी:

विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	जांच की अवधि
घरेलू उद्योग	%	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	89	103	118
अन्य भारतीय उत्पादक	%	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	676	875	1,127
संबद्ध आयात	%	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	90	64	33
स्विट्जरलैंड से आयात	%	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	0	397	828
अन्य देशों से आयात	%	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	21	0	0

80. यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी 2022-23 में घट गई और उसके बाद बढ़ गई। जुबिलेंट के आधार वर्ष में उत्पादन शुरू करने से भारतीय भारतीय उद्योग की बाजार हिस्सा भी समग्र रूप से बढ़ गया है। यद्यपि संबद्ध देश से आयातों में गिरावट आई है, तथापि यह बाजार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

#### ग. लाभप्रदता, नकद लाभ, और नियोजित पूंजी पर आय

81. क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग के लाभ, लाभप्रदता, नकद लाभ, कर पूर्व लाभ (पीबीआईटी), और निवेश पर आय का विश्लेषण निम्नानुसार किया गया है:

विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	जांच की अवधि
आयातों का पहुंच मूल्य	भारतीय रु./एमटी	1,88,545	1,45,317	1,12,116	1,05,158
उत्पादन लागत	भारतीय रु./एमटी	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	85	74	68
निवल बिक्री प्राप्ति	भारतीय रु./एमटी	***	***	***	***

	सूचीबद्ध	100	75	65	60
कर पूर्व लाभ	भारतीय रु./एमटी	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	2	-5	2
कर पूर्व लाभ	भारतीय रु. लाख में	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	1	-5	2
नकद लाभ	भारतीय रु./एमटी	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	24	17	20
नकद लाभ	भारतीय रु. लाख में	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	18	15	20
नियोजित पूजी पर आय	%	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	5	3	8

82. यह देखा जाता है कि जैसे-जैसे आयात के पहुंच मूल्य में गिरावट आई, घरेलू उद्योग के लाभ में भी गिरावट आई। इसके अतिरिक्त, चूंकि आयातों के पहुंच मूल्य में लागत से भी कम स्तर तक गिरावट आई, घरेलू उद्योग अपनी कीमतें कम करने के लिए मजबूर था। परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग को 2023-2024 में हानियां हुईं और जांच की अवधि में नगण्य लाभ अर्जित हुआ। घरेलू उद्योग का नकद लाभ और निवेश पर आय 23-24 तक कम हो गई और जांच की अवधि में बढ़ गई। तथापि, लाभप्रदता के संदर्भ में घरेलू उद्योग का निष्पादन जांच की अवधि में प्रतिकूल रहा। यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग का आरओसीई केवल \*\*\*% था।
83. निर्यातक ने यह तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग के लाभ को 23-24 को छोड़कर कोई हानियां नहीं हुई हैं, और जांच की अवधि में इसके लाभ में काफी वृद्धि हुई। यद्यपि घरेलू उद्योग की क्षति की सूचना का अगोपनीय रूपांतर जांच की अवधि में लाभ में काफी वृद्धि को दर्शा सकता है, गोपनीय आंकड़ों से यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग के लाभ ने जांच की अवधि में खर्च की गई लागत का \*\*\*% से भी कम दर्शाया है।
84. यह भी तर्क दिया गया है कि आधार वर्ष में लाभ पर भरोसा नहीं किया जा सकता है क्योंकि कोविड के दौरान असाधारण लाभ अर्जित किया गया था। यह देखा जाता है कि आधार वर्ष में आयात का पहुंच मूल्य उत्पादन लागत से बहुत अधिक था। इसी तरह, घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत लागत से अधिक थी, और यह लाभ अर्जित कर रहा था। तथापि, बाज़ार में जुबिलेंट के प्रवेश से, आयातों के पहुंच मूल्य में एक तेज और सतत गिरावट आई। चूंकि पहुंच मूल्य लागत से कम गिर गया, अतः आवेदक की बिक्री कीमत भी गिरावट आई।

#### घ. मालसूची

85. क्षति की अवधि और जांच की अवधि में घरेलू उद्योग की मालसूची स्थिति से संबंधित आंकड़े निम्नलिखित तालिका में दिए गए हैं। यह देखा जाता है कि क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग के पास मालसूची का औसत स्तर काफी बढ़ गया है। यद्यपि 23-24 और जांच की अवधि में मांग काफी हद तक समान थी, फिर भी, घरेलू उद्योग में माल सूची का स्तर 84% बढ़ गया। यह तर्क दिया गया है कि मालसूची में वृद्धि निर्यात बिक्री में कमी के कारण हुई है। तथापि, यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग की निर्यात मात्रा काफी हद तक समान होने के बावजूद, पिछले वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में मालसूची का स्तर काफी बढ़ गया है। यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग ने इस संबंध में यह अनुरोध किया है कि यह निर्यातोन्मुख नहीं है और इसीलिए, उसका निष्पादन निर्यात से वास्तविक रूप से प्रभावित नहीं है।

विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	जांच की अवधि
आरंभिक मालसूची	एमटी	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	1275	850	1854
अंतिम मालसूची	एमटी	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	67	66	97
औसत मालसूची	एमटी	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	155	123	225

#### ड. रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता

86. घरेलू उद्योग के रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता के संबंध में स्थिति इस प्रकार है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि कर्मचारियों की संख्या आधार वर्ष से 2023-24 में कम हो गई और जांच की अवधि में बढ़ गई। परिणामस्वरूप, पदम वेतन और मजदूरी भी जांच की अवधि में बढ़ गई। घरेलू उद्योग का उत्पादकता स्तर बढ़ गया है।

विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	जांच की अवधि
कर्मचारियों की संख्या	संख्या	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	82	75	90
वेतन एवं मजदूरी	लाख रु.	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	75	89	104
प्रति दिन उत्पादकता	एमटी	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	64	71	77
प्रति कर्मचारी उत्पादकता	एमटी	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	78	96	85

#### च. वृद्धि

87. यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग के कीमत मापदंडों ने क्षति की अवधि में नकारात्मक वृद्धि दर्ज हुई है।

विवरण	इकाई	2022-23	2023-24	जांच की अवधि
उत्पादन (एमटी)	%	-36%	11%	7%
घरेलू बिक्री (एमटी)	%	-24%	18%	11%
औसत मालसूची (एमटी)	%	55%	-21%	84%
पीवीटी (रु./एमटी)	%	-98%	-394%	-144%
नकद लाभ (रु./एमटी)	%	-76%	-31%	22%
आरओसीई	%	-19%	0%	1%

#### छ. पाटन मार्जिन की मात्रा

88. यह देखा जाता है कि संबद्ध देश से पाटित मार्जिन न केवल न्यूनतम से अधिक है, बल्कि काफी भी है। प्राधिकारी मानते हैं कि संबद्ध देश से संबद्ध सामानों का निरंतर पाटन हो रहा है।

**ज.3.4 क्षति संबंधी निष्कर्ष**

89. उपर्युक्त कारकों की जांच के आधार पर, प्राधिकारी निम्नलिखित निष्कर्ष निकालने का प्रस्ताव करते हैं:
- क. क्षति की अवधि में संबद्ध सामानों की मांग में गिरावट आई है, लेकिन पिछली जांच में काफी हद तक मांग के समान बनी हुई है।
  - ख. क्षति की अवधि में संबद्ध आयातों की मात्रा में गिरावट आई है, लेकिन पिछली जांच के बाद से इसमें वृद्धि हुई है। संबद्ध आयात पूर्ण दृष्टि से तथा भारतीय उत्पादन और खपत के संबंध में काफी हैं।
  - ग. आयात घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम कीमत पर आ रहे हैं और घरेलू कीमतों की कटौती कर रहे हैं।
  - घ. आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से भी कम है।
  - ङ. आयात के पहुंच मूल्य में गिरावट लागत में गिरावट से भी अधिक थी और घरेलू उद्योग को अपनी कीमतें कम करने के लिए मजबूर किया। संबद्ध आयात घरेलू कीमतों का ह्रास कर रहे हैं।
  - च. बाज़ार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा आयात का है। पिछली जांच के बाद से आयात की बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है।
  - छ. घरेलू उद्योग की बिक्री मात्रा लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने की कीमत पर बढ़ी।
  - ज. क्षति की अवधि में आयात के पहुंच मूल्य में गिरावट से, घरेलू उद्योग के लाभ में भी गिरावट आई है।
  - झ. घरेलू उद्योग की नियोजित पूंजी पर आय जांच की अवधि में लगभग नगण्य है।
  - ञ. घरेलू उद्योग के पास मालसूची का स्तर क्षति की अवधि में काफी बढ़ा है।
  - ट. घरेलू उद्योग में कीमत मापदंडों में नकारात्मक वृद्धि और मात्रा मापदंडों के संदर्भ में प्रतिकूल वृद्धि हुई है।
  - ठ. चीन से भारत में संबद्ध सामानों का लगातार पाटन हो रहा है। पाटन मार्जिन न्यूनतम से अधिक और काफी है। घरेलू उद्योग को निरंतर वास्तविक क्षति हो रही है।

**झ. गैर-आरोपण विश्लेषण (अन्य कारक)**

90. प्राधिकारी ने जांच की कि क्या पाटनरोधी नियमावली के तहत सूचीबद्ध अन्य कारकों से घरेलू उद्योग को क्षति हुई है। प्राधिकारी ने पाटित को छोड़कर अन्य ज्ञात कारकों की जांच की और पता लगाया कि क्या ये एक ही समय में घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे हैं, ताकि अन्य के कारण होने वाला नुकसान, यदि कोई हो, पाटित आयात के लिए जिम्मेदार न हो। इस संबंध में संगत कारकों में, अन्य बातों के अलावा, पाटित कीमतों पर न बेची गई संबद्ध सामानों की मात्रा, मांग में संकुचन या खपत के पैटर्न में परिवर्तन, व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियां, प्रौद्योगिकी में परिवर्तन, घरेलू उद्योग के निर्यात निष्पादन और घरेलू उद्योग की उत्पादकता शामिल हैं।

**क. तीसरे देशों से आयात की मात्रा और कीमत**

91. निर्यातक ने तर्क दिया है कि स्विट्जरलैंड से आयात में वृद्धि हुई है जो पाटन का इरादा दर्शाती है। यह देखा जाता है कि चीन जन.गण. के अलावा, स्विट्जरलैंड से आयात देश में आए हैं। क्षति अवधि में स्विट्जरलैंड से आयात की मात्रा में वृद्धि हुई है। इस तरह के आयात संबद्ध सामानों के कुल आयात का 37% है। यद्यपि पिछली जांचों में भी स्विट्जरलैंड से आयात हुए हैं, तथापि उन आयातों की कीमत वर्तमान अवधि में काफी कम हुई है। पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए आवेदक द्वारा दायर आवेदन-पत्र के आधार पर, प्राधिकारी स्विट्जरलैंड से संबद्ध सामानों के आयात के संबंध में एक समानांतर जांच कर रहे हैं।
92. निर्यातक ने अनुरोध किया है कि स्विट्स आयात पाटन के इरादे को दर्शाता है। प्राधिकारी इस संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा दिए गए तर्क को नोट करते हैं कि यदि स्विट्जरलैंड से आयात पाटन के इरादे का संकेत देता है, चीन जन.गण. से आयात कीमत को देखते हुए स्विट्जरलैंड से आयात कीमत से भी कम है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि चीन जन.गण. से पाटित आयात देश में प्रवेश कर रहे हैं।

93. प्राधिकारी का मानते हैं कि किसी अन्य देश से पाटन की मौजूदगी चीन जन.गण. से निरंतर पाटन को नहीं नकारता।

**ख. मांग में सुकुचन**

94. यह देखा जाता है कि क्षति अवधि में मांग में गिरावट आई है। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा यह तर्क दिया गया है कि कोविड से संबंधित कारकों के कारण आधार वर्ष में मांग अधिक थी। यह देखा गया है कि आधार वर्ष में मांग कोविड-प्रभावित अवधि के कारण असाधारण रूप से अधिक थी, लेकिन बाद में यह उन स्तरों पर स्थिर हो गई जो घरेलू उद्योग के लिए उचित क्षमता उपयोग प्राप्त करने के लिए पर्याप्त थे।

**ग. अन्य उत्पादकों का निष्पादन**

95. जुबिलेंट ने आधार वर्ष में बाजार में प्रवेश किया और आवेदक का समर्थन किया और शुल्क जारी रखने का अनुरोध किया। जुबिलेंट ने अपने समर्थन पत्र के माध्यम से कहा कि लागू पाटनरोधी उपायों ने उसे बाजार में निवेश करने और घरेलू उत्पादन शुरू करने का विश्वास प्रदान किया। यद्यपि जुबिलेंट की क्षति की सूचना एक समर्थन पत्र के माध्यम से रिकॉर्ड पर रखी गई थी, प्राधिकारी ने भी उत्पादक को उसके निष्पादन और ऐसी सूचना को सत्यापित करने के लिए कुछ बैकअप दस्तावेजों पर सूचना मांगी थी। जुबिलेंट की क्षति की सूचना से यह देखा जाता है कि उत्पादक भी काफी हानियों पर भी बिक्री कर रहा है। यह देखा जाता है कि इसकी मात्रा बढ़ गई है क्योंकि यह एक नया उत्पादक है जो लागत से काफी कम कीमतों पर बिक्री कर रहा है। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि यहां तक कि जुबिलेंट भी पाटित आयात के अंतर-प्रवाह के कारण संघर्ष कर रहा है।

**घ. खपत के पैटर्न में परिवर्तन**

96. यह देखा गया है कि क्षति अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद के लिए खपत के पैटर्न में कोई परिवर्तन नहीं है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती हो।

**ड. प्रतिस्पर्धा की शर्तें और व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियां**

97. यह देखा जाता है कि प्रतिस्पर्धा की स्थिति या किसी भी व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियों का कोई प्रमाण नहीं है जो घरेलू उद्योग को दावा की गई क्षति के लिए जिम्मेदार हो।

**च. प्रौद्योगिकी में विकास**

98. घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने वाली प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण परिवर्तन होने के बारे में किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया है।

**छ. घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन**

99. निर्यातक ने उल्लेख किया है कि लाभ में कोई भी हानि या गिरावट निर्यात बिक्री में गिरावट के कारण है। तथापि, आवेदक ने उल्लेख किया है कि यद्यपि उसका निर्यात निष्पादन ऐतिहासिक रूप से देखने पर आधार वर्ष में पर्याप्त रूप से अधिक था। तथापि, उसकी निर्यात मात्रा व्यापक रूप से स्थिर रही है। किसी भी दशा में, यह देखा जाता है कि ऊपर जांच की गई क्षति संबंधी सूचना आवश्यक और उचित सीमा तक उसके घरेलू बाजार के संबंध में घरेलू उद्योग के निष्पादन से ही संबंधित है। इस प्रकार, घरेलू उद्योग के निर्यात निष्पादन से घरेलू उद्योग का बिक्री निष्पादन प्रभावित नहीं हुआ है।

**ज. अन्य उत्पादों का निष्पादन**

100. घरेलू उद्योग ने समान वस्तु के लिए क्षति के आंकड़े प्रदान किए हैं और प्राधिकारी द्वारा क्षति विश्लेषण के उद्देश्य से उन्हें अपनाया गया है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और बेचे गए अन्य उत्पादों के निष्पादन पर विचार नहीं किया गया है। अतः, उत्पादित और बेचे गए अन्य उत्पादों का निष्पादन घरेलू उद्योग को क्षति का संभावित कारण नहीं है।

### ज. पाटन और घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बीच कारणात्मक संबंध

101. यद्यपि नियमावली के अंतर्गत सूचीबद्ध अन्य ज्ञात कारकों ने घरेलू उद्योग को क्षति नहीं पहुँचाई है, तथापि प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि निम्नलिखित मापदंड यह दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग को हुई क्षति पाटित आयातों के कारण हुई है:
- संबद्ध देश से आयात, घरेलू उद्योग की लागत और कीमत से कम पर मूल्यांकित हैं। परिणामस्वरूप, संबद्ध आयातों की मात्रा बाजार में भारी स्तर पर बनी रही है।
  - आयातों द्वारा घरेलू लागत एवं कीमत को कमतर करने के कारण, घरेलू उद्योग के कीमत ह्रास एवं कीमत न्यूनीकरण हुआ है।
  - भारी कीमत-कटौती ने घरेलू उद्योग को जांच अवधि के दौरान लागत से मात्र थोड़ा अधिक कीमत पर बिक्री करने के लिए बाध्य किया है।
  - पाटित आयात तथा उसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग की कीमत पर पड़े प्रभाव ने घरेलू उद्योग की लाभप्रदता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है।
  - संबद्ध आयात बाजार में काफी अधिक हिस्सेदारी रखते हैं। परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग को अपनी बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने से रोका गया है।
  - संबद्ध देश से निरंतर पाटन के कारण घरेलू उद्योग की वृद्धि प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई है।
102. अतः प्राधिकारी का यह निष्कर्ष है कि संबद्ध वस्तुओं की पाटन तथा घरेलू उद्योग को हुई निरंतर क्षति के बीच कारणात्मक संबंध मौजूद है।

### ट. क्षति मार्जिन की मात्रा

103. प्राधिकारी ने यथा संशोधित अनुबंध-III के साथ पठित नियमावली में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए क्षतिरहित कीमत का निर्धारण किया है। विचाराधीन उत्पाद की क्षतिरहित कीमत जांच अवधि के दौरान उत्पादन लागत से संबंधित उपलब्ध सूचना/आंकड़ों को अपनाते हुए निर्धारित की गई है। क्षति मार्जिन की गणना हेतु संबद्ध देशों से आयातित वस्तुओं की पंहुच कीमत की तुलना के लिए इस क्षतिरहित कीमत को आधार बनाया गया है। क्षतिरहित कीमत के निर्धारण हेतु, क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा कच्ची सामग्री के सर्वोत्तम उपयोग को ध्यान में रखा गया है। इसी प्रकार सुविधाओं के संबंध में भी समान पद्धति अपनाई गई है। क्षति अवधि के दौरान उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग को भी विचार में लिया गया है। यह सुनिश्चित किया गया है कि उत्पादन लागत में कोई असाधारण या गैर-आवर्ती व्यय शामिल न किया गया हो। नियमावली के अनुबंध-III में विहित प्रावधानों के अनुसार, विचाराधीन उत्पाद के लिए औसत नियोजित पूंजी (अर्थात् औसत निवल स्थिर परिसंपत्तियाँ + औसत कार्यशील पूंजी) पर (कर-पूर्व 22% की दर से) की युक्तिसंगत आय को कर-पूर्व लाभ के रूप में अनुमति दी गई है, ताकि क्षतिरहित कीमत निर्धारित की जा सके।
104. उपर्युक्त रूप से निर्धारित पंहुच कीमत तथा क्षतिरहित कीमत के आधार पर, प्राधिकारी द्वारा निर्धारित क्षति मार्जिन नीचे दी गई तालिका में दिया गया है।

#### क्षति मार्जिन तालिका

उत्पादक	क्षतिरहित कीमत (अम डा./मी टन)	आयातों का पंहुच मूल्य (अम डा./मी टन)	क्षति मार्जिन (अम टन)	क्षति मार्जिन (%)	क्षति मार्जिन (रेंज)
नानटोंग एसेटिक एसिड कैमिकल कं. लि.	***	***	***	***	10-20
अन्य	***	***	***	***	20-30

### ठ. पाटन एवं क्षति के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति की संभावना

#### ठ.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

105. संभावना के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित अनुरोध प्रस्तुत किए हैं:
- क. यदि पाटनरोधी शुल्क हटा लिया जाता है, तो घरेलू उद्योग को क्षति होने की कोई संभावना नहीं है।
- ख. आवेदक ने व्यापार सूचना 03/2021 का पालन नहीं किया है और अतिरिक्त क्षमता का उल्लेख वर्षवार न करके केवल समग्र आधार पर किया है। निर्यात अभिमुखता संबंधी तालिका में भी गिरावट दर्शाई गई है।
- ग. प्राधिकारी से अनुरोध है कि संभावना निर्धारण हेतु भारत में पर्याप्त मात्रा में निर्यात करने वाले तथा एकमात्र प्रतिवादी निर्यातक नानटोंग के आंकड़ों पर विचार किया जाए।
- घ. नानटोंग की क्षमता स्थिर रही है। उसके पास विस्तार की कोई योजना नहीं है। वह उच्च उपयोग स्तर पर कार्य कर रहा है। अतः निष्क्रिय उत्पादन को भारत में निर्यात हेतु निर्यात करने की कोई संभावना नहीं है।
- ङ. नानटोंग पाटन में संलिप्त नहीं है। यदि उसका ऐसा उद्देश्य होता, तो वह अपना उत्पादन का रुख भारत की ओर कर देता। वर्तमान निर्यात इस कारण है कि आवेदक भारतीय मांग की पूरी तरह से पूर्ति करने में सक्षम नहीं है।
- च. नानटोंग का तीसरे देशों को निर्यात एवं मालसूची भी न्यूनतम है। उसके पास भारत अथवा किसी अन्य देश में पाटन करने हेतु अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध नहीं है।
- छ. अधिशेष क्षमता का अस्तित्व मात्र संभावित पाटन को सिद्ध नहीं करता। साथ ही, आवेदक ने चीन में अधिशेष क्षमता के अस्तित्व को बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत किया है। आवेदक ने अतिरिक्त क्षमता और क्षति की पुनरावृत्ति के बीच कोई संबंध स्थापित नहीं किया है।
- ज. संभावना निर्धारण में भावी घटनाओं का विश्लेषण शामिल होता है। प्राधिकारी घरेलू उद्योग को जांच अवधि के पश्चात के आकड़े प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दे सकते हैं ताकि संभावना का निर्धारण किया जा सके तथा हितबद्ध पक्षकारों को उस पर टिप्पणी करने हेतु उसकी प्रति प्रदान की जा सके।
- झ. नानटोंग पूरे संबद्ध देश के लिए आंकड़े प्रस्तुत करने के लिए बाध्य नहीं है; उसका दायित्व केवल अपनी स्वयं की गतिविधियों तक सीमित सही एवं सटीक आंकड़े प्रस्तुत करने तक है।
- ञ. प्राधिकारी याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत संबद्ध देश की कुल एवं निष्क्रिय क्षमता संबंधी आंकड़ों पर पूर्णतः भरोसा नहीं हो सकते हैं, क्योंकि विश्वसनीयता हेतु सत्यापन योग्य स्रोत आवश्यक है।
- ट. संयुक्त राज्य अमरीका – जापान से जंगरोधी कार्बन स्टील फ्लैट उत्पादों पर पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा मामले में अपीलीय निकाय ने यह निर्णय दिया था कि यद्यपि देश-विशिष्ट संभावना निर्धारण करना सामान्य परिपाटी नहीं है, तथापि पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 11.3 एवं 6 के अंतर्गत यह निषिद्ध भी नहीं है।
- ठ. यह प्राधिकारी के विवेक पर निर्भर करता है, क्योंकि पाटनरोधी करार निर्णायक समीक्षा जांच में कंपनी-विशिष्ट संभावना निर्धारण का स्पष्ट उल्लेख नहीं करता।
- ड. वर्तमान जांच में प्राधिकारी द्वारा कंपनी-विशिष्ट संभावना निर्धारण किया जाना उपयुक्त होगा, क्योंकि केवल एक उत्पादक/निर्यातक, अर्थात् नानटोंग, ने भाग लिया है तथा भारत को समस्त निर्यात उसी से संबद्ध है। कंपनी-विशिष्ट संभावना निर्धारण का निर्णय अभिलाषा टैक्स कैम प्रा. लि. और अन्य बनाम भारत संघ/निर्दिष्ट प्राधिकारी मामले में सेस्टेट द्वारा समर्थित किया गया था।
- ढ. कोई कीमत आकर्षण नहीं है, क्योंकि तीसरे देशों को पीयूसी के कीमत बेहतर हैं। निर्यात मात्रा में गिरावट अस्थायी नहीं है। भारतीय बाजार लाभप्रद नहीं है।
- ण. आवेदक ने एक स्थान पर कहा है कि भारत में निर्यातक की कीमत-प्राप्ति बेहतर है, जबकि अन्य स्थान पर उसे कम बताया है। प्राधिकारी से अनुरोध है कि सभी अनुरोधों का सत्यापन किया जाए और साक्ष्य प्राप्त किए जाएँ।
- त. प्रारंभिक शुल्क अधिरोपण से नानटोंग के व्यवसाय पर प्रभाव पड़ा, किंतु उसने धीरे-धीरे उस समस्या का समाधान किया। तथापि निर्यातक यह स्वीकार करता है कि शुल्क के जारी रहने से भारत को उसके निर्यात प्रतिकूल रूप से प्रभावित होंगे।
- थ. आवेदक ने उल्लेख किया है कि शुल्कों के कारण चीन की विदेशी बिक्री में कमी आई। इस कारण से शुल्क हटाये जाने चाहिए। शुल्क को जारी रखना निर्यातकों के लिए क्षतिकारी होगा तथा आवेदक को अनुचित एवं दीर्घकालिक संरक्षण प्रदान करेगा।

## ठ.2. घरेलू उद्योग के विचार

106. संभावना के संबंध में घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध प्रस्तुत किए हैं:

- क. पूर्ववर्ती निर्णायक समीक्षा में प्राधिकारी द्वारा स्थापित सभी संभावना संबंधी मानदंड वर्तमान जांच में भी वैध एवं लागू हैं।
- ख. बड़े हुए पाटन मार्जिन एवं क्षति मार्जिन से यह सिद्ध होता है कि संबद्ध देश से पाटन जारी है एवं उसमें वृद्धि हुई है, जिससे यह संकेत मिलता है कि शुल्क समाप्त होने की स्थिति में पाटित एवं क्षतिकारी आयातों की मात्रा में वृद्धि की संभावना है, और शुल्क की अवधि बढ़ाना न्यायोचित है।
- ग. ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो वर्तमान जांच अवधि में संबद्ध आयात मूल जांच की पीओआई की तुलना में 53% तथा पूर्व निर्णायक समीक्षा की पीओआई की तुलना में 29% बढ़े हैं।
- घ. शुल्क लागू होने तथा एक नए घरेलू उत्पादक के प्रवेश के बावजूद, पिछली समीक्षा के बाद से चीन की बाजार हिस्सेदारी बढ़ी है, जो भारतीय मांग का काफी अधिक भाग रखती है, और पाटन जारी है।
- ड. वर्तमान में संबद्ध आयात घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम कीमत पर आ रहे हैं और यदि शुल्क जारी नहीं रखा गया तो घरेलू उद्योग को या तो अपनी बिक्री कीमत घटाकर भारी क्षति उठानी पड़ेगी अथवा बिक्री मात्रा और परिणामस्वरूप बाजार हिस्सेदारी गंवानी पड़ेगी।
- च. विंज रिसर्च की बाजार रिपोर्ट "मिथाइल एसिटोएसिटेट मार्किट इन चाइना: निवेश व्यवहार्यता आकलन रिपोर्ट 2025-2030" के अनुसार चीन में अत्यधिक अधिशेष क्षमता है, जो भारत की कुल मांग से कहीं अधिक है।
- छ. यदि चीन में समस्त घरेलू मांग घरेलू उत्पादन से पूरी भी कर ली जाए, तो भी परिणामी अतिरिक्त क्षमता भारत की कुल मांग का \*\*\*% होगी। अकेले प्रतिवादी निर्यातक के पास भारत की संपूर्ण मांग पूरी करने के लिए आवश्यक क्षमता से दोगुनी से अधिक क्षमता है।
- ज. रिपोर्ट यह भी पुष्टि करती है कि शुल्कों ने चीन के कीमत लाभ को "काफी अधिक रूप से समाप्त" कर दिया है, जिससे भारत को उसके निर्यात की मात्रा पर गंभीर प्रभाव पड़ा है।
- झ. भारत द्वारा लगाए गए शुल्कों का चीन के निर्यात पर प्रभाव यह संकेत देता है कि भारत ऐसे उत्पादकों के लिए एक प्रमुख बाजार है।
- ञ. प्राधिकारी से अनुरोध है कि यदि शुल्क हटाए जाएँ तो भारत की ओर भेजे जा सकने वाले तीसरे देशों को पाटित एवं क्षतिकारी निर्यात की मात्रा की जांच की जाए।
- ट. निर्यातक ने चीन के बाजार आंकड़ों के संबंध में जानकारी प्रदान करने के अपने दायित्व का पालन नहीं किया है, जबकि उक्त बाजार रिपोर्ट में यह उपलब्ध है।
- ठ. वर्तमान क्षति संबंधी जानकारी पाटन के जारी रहने एवं तेज होने तथा वास्तविक क्षति की संभावना की पुष्टि करती है। आयात कीमत घरेलू बिक्री कीमत एवं लागत को कमतर कर रही है, जिससे घरेलू उद्योग को उनके अनुरूप कीमत निर्धारित करनी पड़ रही है और उसके निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। यदि शुल्क समाप्त हो जाते हैं, तो आयातों की बाजार में भरमार हो जाएगी और घरेलू उद्योग को क्षति और अधिक बढ़ेगी।
- ड. निर्यातकों के निष्पादन आंकड़ों से स्पष्ट है कि मौजूदा शुल्कों के बावजूद प्रतिवादी का भारत को निर्यात 2023 तक बढ़ा और तत्पश्चात घटा है। यह प्रवृत्ति दर्शाती है कि वर्तमान जांच में अनुकूल परिणाम प्राप्त करने हेतु यह गिरावट जानबूझकर की गई है। शुल्क समाप्त होने की स्थिति में निर्यातक द्वारा अपनी मात्रा पुनः भारतीय बाजार में भेज दिए जाने की पूरी-पूरी संभावना है।
- ढ. निर्यातक के दावे परस्पर विरोधाभासी हैं। उसने बताया है कि शुल्कों ने भारत को उसके निर्यात की मात्रा को प्रभावित किया है, किंतु यह भी दावा करता है कि शुल्क हटाने से कोई खास परिवर्तन नहीं होगा। यह विरोधाभास पाटन के जारी रहने की संभावना के विरुद्ध उसके तर्क की विश्वसनीयता को कम करता है।
- ण. निर्यातकों को यह सिद्ध करना आवश्यक है कि यदि शुल्क समाप्त हो जाते हैं तो पाटन जारी नहीं रहेगा अथवा तीव्र नहीं होगा।

**ट.3. प्राधिकारी द्वारा जाँच**

107. वर्तमान जांच, चीन से विचाराधीन उत्पाद के आयात पर लगाए गए शुल्कों की निर्णायक समीक्षा है। नियमावली के अंतर्गत, प्राधिकारी के लिए यह निर्धारित करना आवश्यक है कि क्या वर्तमान शुल्क की समाप्ति से पाटन तथा घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।
108. प्राधिकारी ने धारा 9क(5), नियम 23 तथा नियमावली के अनुबंध-II (vii) के अंतर्गत वास्तविक क्षति के खतरे से संबंधित मानकों और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा रिकार्ड में लाए गए अन्य संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति की संभावना की जांच की है। चूंकि इस प्रकार के संभावना विश्लेषण हेतु कोई विशिष्ट पद्धति उपलब्ध नहीं है, अतः नियमावली के अनुबंध-II के खंड (vii) से मार्गदर्शन लिया गया है, जो अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित कारकों पर विचार करने का प्रावधान करता है:
- क. भारत में पाटित आयातों की वृद्धि की काफी अधिक दर, जो आयात में उल्लेखनीय वृद्धि की संभावना को दर्शाती हो।
- ख. निर्यातक की पर्याप्त मुक्त रूप से उपलब्ध क्षमता, या क्षमता में आसन्न एवं भारी वृद्धि, जो भारतीय बाजारों में पाटित निर्यातों में पर्याप्त वृद्धि की संभावना को दर्शाती हो, साथ ही अन्य निर्यात बाजारों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए जो अतिरिक्त निर्यात की अपने यहाँ खपत कर सकें।
- ग. क्या आयात ऐसे कीमत पर प्रवेश कर रहे हैं, जो घरेलू कीमतों पर काफी ह्रासकारी अथवा न्यूनकारी प्रभाव डालेगा और आगे और अधिक आयात की मांग को बढ़ा सकता है; तथा
- घ. जांच की जा रही वस्तु की मालसूची की स्थिति।
109. प्राधिकारी ने, अन्य बातों के साथ-साथ, उपर्युक्त अपेक्षाओं तथा निम्नलिखित मानकों पर विचार किया है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति की स्थिति में पाटन के जारी रहने की संभावना है और यदि हाँ, तो क्या शुल्क समाप्त होने की स्थिति में उससे घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग एवं अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा रिकार्ड में प्रस्तुत सभी संगत सूचनाओं की जांच की है।
110. सर्वप्रथम, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि निर्यातक ने तर्क दिया है कि आवेदक ने व्यापार सूचना 03/2021 का पालन नहीं किया। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि व्यापार सूचना 03/2021 के अनुसार आवेदक को निम्नलिखित जानकारी प्रदान करनी होती है: (क) क्षति अवधि के दौरान संबद्ध देश में विचाराधीन उत्पाद की क्षमता, (ख) संबद्ध देश के निर्यातकों द्वारा तीसरे देशों को किए गए निर्यात की मात्रा एवं कीमत, (ग) संबद्ध देश के निर्यातकों की निर्यात अभिमुखता, तथा (घ) यह औचित्य कि शुल्क हटाए जाने की स्थिति में भारतीय बाजार निर्यात का संभावित गंतव्य क्यों होगा।
111. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने वर्ष 2024 से संबंधित बाजार रिपोर्ट के आधार पर संबद्ध देश में क्षमताओं की जानकारी प्रदान की है। तथापि, उक्त रिपोर्ट में चीन जनवादी गणराज्य से तीसरे देशों को किए गए निर्यात की मात्रा एवं कीमत संबंधी जानकारी उपलब्ध नहीं थी, अतः उस प्रयोजनार्थ उस पर भरोसा नहीं किया जा सका। घरेलू उद्योग ने आगे स्पष्ट किया है कि ऐसी जानकारी न तो सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध थी और न ही वैश्विक व्यापार डेटाबेस के माध्यम से सुलभ थी, क्योंकि वे विचाराधीन उत्पाद के लिए 8-अंकीय स्तर पर जानकारी प्रदान नहीं करते। निर्यात अभिमुखता एवं भारतीय बाजार की लाभप्रदता के संबंध में भी घरेलू उद्योग ने बाजार रिपोर्ट पर ही भरोसा किया है।
112. इसके विपरीत, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यद्यपि निर्यातक प्रश्नावली में विशेष रूप से संबद्ध देश में समग्र मांग, क्षमता, उत्पादन एवं निर्यात अभिमुखता संबंधी जानकारी मांगी गई थी, निर्यातक ने ऐसी जानकारी प्रस्तुत नहीं की। इसके स्थान पर निर्यातक ने यह कहा है कि वह पूरे संबद्ध देश के आंकड़े प्रदान करने के लिए बाध्य नहीं है तथा उसका दायित्व केवल अपनी स्वयं की गतिविधियों तक सीमित सही एवं सटीक जानकारी प्रस्तुत करने तक सीमित है।

113. उपर्युक्त के आलोक में, प्राधिकारी यह मानते हैं कि घरेलू उद्योग ने व्यापार सूचना संख्या 03/2021 के अंतर्गत अपने दायित्व का समुचित निर्वहन किया है। वर्तमान संभावना विश्लेषण के उद्देश्य से, प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा रिकार्ड में प्रस्तुत जानकारी पर विचार किया है। चूँकि निर्यातक ने केवल अपनी स्वयं की गतिविधियों तक सीमित जानकारी प्रस्तुत की है, अतः वर्तमान जाँच हेतु प्राधिकारी ने चीन जनवादी गणराज्य के अन्य उत्पादकों के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत जानकारी पर भरोसा किया है, साथ ही प्रतिवादी निर्यातक द्वारा अपनी गतिविधियों के संबंध में प्रस्तुत जानकारी पर विधिवत रूप से विचार किया है।
114. निर्यातक ने यह तर्क दिया है कि आवेदक ने भावी घटनाओं के विश्लेषण को सुगम बनाने हेतु जांच अवधि के पश्चात के आकड़े प्रस्तुत नहीं किये हैं। इस संबंध में सर्वप्रथम यह नोट किया जाता है कि व्यापार सूचना 03/2021 में यह प्रावधान है कि प्राधिकारी, जहाँ आवश्यक हो, जाँच की शुरुआत के पश्चात जांच अवधि के बाद के आकड़े मांग सकते हैं। अतः पीओआई के पश्चात के आकड़े मांगना अनिवार्य आवश्यकता नहीं है, बल्कि यह प्राधिकारी के विवेकाधिकार का विषय है। वर्तमान मामले में, रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी ने ऐसे विवेकाधिकार का प्रयोग करना आवश्यक नहीं समझा। पीओआई के आकड़े स्वयं स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि शुल्क लागू होने के बावजूद पाटन एवं घरेलू उद्योग को क्षति जारी रही है।

#### क. संबद्ध देश से आयात

115. निम्नांकित तालिका संबद्ध देश से आयात के संबंध में जानकारी प्रदर्शित करती है।

वर्ष	आयात मात्रा (एमटी)	मांग में हिस्सा (%)*
2010 – 11	1,428	39
2011 – 12	1,601	42
2012 – 13	2,095	48
<b>पीओआई (वा.) - (अप्रैल'13-जून'14)</b>	<b>1,579</b>	<b>39</b>
2016 – 17	402	5
2017 – 18	247	3
2018 – 19	2,991	28
<b>पीओआई - (2019 – 20)</b>	<b>1,868</b>	<b>15</b>
2021 – 22	7,228	100
2022 – 23	5,569	90
2023 – 24	4,022	64
<b>पीओआई - (जन'24-दिस'24)</b>	<b>2,045</b>	<b>33</b>

स्रोत: अधिसूचना संख्या 14/7/2014-डीजीएडी (2010-11) तथा 7/40/2020-डीजीटीआर (2019-20) द्वारा जारी अंतिम जाँच परिणाम; वर्तमान अंतिम जाँच परिणाम (वर्तमान क्षति अवधि हेतु)

\*वर्तमान आईपी के लिए बाजार हिस्सेदारी संबंधी जानकारी सूचीबद्ध है।

116. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संबद्ध देश से आयात की मात्रा वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में अत्यधिक उच्च स्तर पर थी तथा वर्तमान क्षति अवधि के दौरान इसमें गिरावट आई है। मांग भी उल्लेखनीय रूप से उच्च थी, जिस पर कोविड अवधि का प्रभाव रहा, क्योंकि उक्त उत्पाद का उपयोग औषधि क्षेत्र में भी किया जाता है। इसके पश्चात आयात में गिरावट आई है। तथापि, आयात की मात्रा अभी भी काफी अधिक बनी हुई है। इसके अतिरिक्त, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखने पर वर्तमान जांच अवधि में संबद्ध आयात मूल जांच तथा पिछली संपन्न समीक्षा जांच की तुलना में अधिक हैं। मूल शुल्क लगाए जाने के पश्चात संबद्ध आयातों में कमी आई थी और पिछली समीक्षा जांच की पीओआई में बाजार हिस्सेदारी 15% थी। तथापि, शुल्क लागू होने तथा भारतीय उद्योग के

पास पर्याप्त क्षमता उपलब्ध होने के बावजूद, वर्तमान जांच की पीओआई में संबद्ध देश से आयातों की बाजार हिस्सेदारी अब \*\*\*% है। यद्यपि निर्यातक ने तर्क दिया है कि निर्यात इस कारण हो रहे हैं कि आवेदक भारतीय मांग की पूरी तरह से पूर्ति करने में सक्षम नहीं है, यह नोट किया जाता है कि जुबिलेंट ने भी आधार वर्ष में अपनी क्षमता में वृद्धि की तथा पूर्ण रूप से बाजार में प्रवेश किया, जिससे मांग-आपूर्ति के किसी भी अंतर को समाप्त कर दिया गया। देश में अतिरिक्त क्षमता जोड़े जाने तथा शुल्क प्रभावी होने के बावजूद, पीओआई के दौरान आयात काफी अधिक स्तर पर बने रहे हैं।

#### ख. पाटित कीमत पर आयात का जारी रहना

117. वर्तमान जांच में निर्धारित पाटन मार्जिन, पूर्ववर्ती जांचों में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित मार्जिन से अधिक है। यह इस तथ्य को स्थापित करता है कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बावजूद निर्यातकों का व्यवहार पाटित कीमत पर निर्यात करने का बना हुआ है।

पाटन मार्जिन	नानटोंग एसिटिक एसिड	अन्य उत्पादक
मूल जाँच	25-45	40-50
पूर्ववर्ती जाँच	20-30	30-40
वर्तमान जाँच	30-40	40-50

#### ग. संबद्ध देश के निर्यातकों के पास भारी उत्पादन क्षमताएँ

118. घरेलू उद्योग ने चीन में संबद्ध वस्तु के बाजार के संबंध में विंज रिसर्च की रिपोर्ट "मिथाइल एसिटोएसिटेट मार्किट इन चाइना: निवेश व्यवहार्यता आकलन रिपोर्ट 2025-2030" से जानकारी प्रस्तुत की है। चीन के उत्पादकों के पास उपलब्ध क्षमताएँ अत्यंत विशाल हैं। उत्पादक-वार क्षमता का सारांश नीचे दी गई सारणी में प्रस्तुत है।

चीन के उत्पादन	वार्षिक क्षमता (एमटी)
क्विंगदाओ गल्फ फ़ाइन केमिकल कंपनी लिमिटेड	45,000
नानटोंग एसिटिक एसिड केमिकल कंपनी लिमिटेड	***
जियांगसू तियानचेंग बायोकेमिकल प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड	27,100
गुआंगशी जिनयुआन बायोकेमिकल ग्रुप कंपनी लिमिटेड	10,000
अन्य	27,900
कुल क्षमता	***

स्रोत – विंज रिसर्च (अन्य उत्पादकों की क्षमता); नानटोंग परिशिष्ट-1 (नानटोंग की क्षमता)

119. यह देखा गया है कि चीन के उत्पादकों के पास उपलब्ध कुल क्षमता भारत की मांग से कहीं अधिक है। चीन की स्थापित क्षमता \*\*\* मीट्रिक टन है। इसके विपरीत, भारत में मांग \*\*\* मीट्रिक टन है, अर्थात् यह चीन के उत्पादकों की क्षमताओं का \*\*\*% से भी कम है।

120. निर्यातक द्वारा यह तर्क दिया गया है कि घरेलू उद्योग ने चीन जनवादी गणराज्य में अधिशेष क्षमता के अस्तित्व को बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत किया है तथा सत्यापन योग्य स्रोत के अभाव में ऐसे आंकड़ों पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में निर्यातक ने यह भी आरोप लगाया है कि घरेलू उद्योग द्वारा जिस रिपोर्ट पर भरोसा किया गया है, उसमें दर्शाई गई नानटोंग की वार्षिक क्षमता त्रुटिपूर्ण है। जाँच करने पर यह पाया गया कि घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि नानटोंग की क्षमता 28,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष है, जबकि नानटोंग ने स्वयं अपनी वास्तविक क्षमता \*\*\* मीट्रिक टन प्रति वर्ष बताई है। अतः यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि घरेलू उद्योग ने

चीन जनवादी गणराज्य की क्षमताओं को बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत किया है। सूचना के स्रोत की विश्वसनीयता के संबंध में यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग ने संबद्ध बाजार रिपोर्ट को गोपनीय दस्तावेज़ के रूप में रिकार्ड में प्रस्तुत किया है। दूसरी ओर, किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा उसमें निहित जानकारी का खंडन या अविश्वसनीय सिद्ध करने हेतु कोई प्रतिकूल साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

### घ. देश में मुक्त रूप से निपटान योग्य क्षमता

121. बाजार अनुसंधान रिपोर्ट में चीन में प्रचलित क्षमता एवं मांग की जानकारी प्रदान की गई है। रिपोर्ट से प्राप्त क्षमता एवं मांग संबंधी जानकारी निम्नानुसार है:

विवरण	मात्रा (एमटी)
चीन की क्षमता	***
चीन में मांग	1,09,000
चीन में अधिशेष क्षमता	***
भारत में मांग	***

स्रोत – विंज रिसर्च (चीन में मांग और क्षमता);

नानटोंग परिशिष्ट-1 (नानटोंग की क्षमता)

122. यह देखा गया है कि चीन जनवादी गणराज्य में उपलब्ध क्षमताएँ वहाँ की घरेलू मांग से कहीं अधिक हैं। अधिशेष क्षमता स्वयं ही भारत की संपूर्ण मांग से तीन गुना से भी अधिक है।
123. भागीदार निर्यातक ने अनुरोध किया है कि उसके पास कोई मुक्त रूप से निपटान योग्य क्षमता नहीं है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि प्रतिवादी निर्यातक चीन जनवादी गणराज्य में संबद्ध वस्तु का एकमात्र उत्पादक नहीं है। संबद्ध देश में पर्याप्त क्षमता मौजूद है, जो वहाँ की घरेलू मांग से उल्लेखनीय रूप से अधिक है। चीन जनवादी गणराज्य में अनेक अन्य उत्पादक/निर्यातक भी हैं जिन्होंने वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया है, तथा रिकार्ड में ऐसी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है जिससे यह प्रदर्शित हो कि ऐसे गैर-भागीदार उत्पादकों के पास मुक्त रूप से उपलब्ध क्षमता नहीं है। अतः प्राधिकारी यह मानते हैं कि चीन जनवादी गणराज्य में मौजूदा अधिशेष क्षमता को अनदेखा नहीं किया जा सकता, जो शुल्क समाप्त होने की स्थिति में भारत की ओर निर्यात की जा सकती है।

### ड. उपायों के अभाव में कीमत-कटौती

124. शुल्कों की मौजूदगी के बावजूद, संबद्ध वस्तुएँ घरेलू कीमतों में कटौती कर रही हैं। यह नोट किया जाता है कि शुल्क समाप्त होने की स्थिति में कीमत-कटौती की सीमा में वृद्धि होने की संभावना है।

च. आयात ऐसी कीमतों पर प्रवेश कर रहे हैं जिनसे घरेलू उद्योग की कीमतों में ह्रास या न्यूनीकरण होने की संभावना है

125. संबद्ध वस्तुएँ न केवल घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति से कम कीमत के स्तर पर हैं, बल्कि वे बिक्री लागत से भी कम पर हैं। जैसा कि ऊपर उल्लिखित है, घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत बिक्री लागत में आई गिरावट की तुलना में अधिक दर से कम हुई है। अतः घरेलू बाजार में कीमत ह्रास की स्थिति है। प्राधिकारी यह मानते हैं कि पाटनरोधी शुल्कों के अभाव में ऐसा कीमत प्रभाव जारी रहने तथा और अधिक तीव्र होने की संभावना है।

### छ. प्रतिवादी निर्यातक के उत्तर से प्राप्त जानकारी

126. जांच अवधि के दौरान, भारत में संबद्ध वस्तुओं के अधिकांश आयात प्रतिवादी निर्यातक द्वारा किए गए थे। निर्यातक द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि उसके आंकड़ों का पृथक विश्लेषण यह दर्शाएगा कि पाटन का कारण नानटोंग नहीं है। तथापि, जैसा कि ऊपर उल्लिखित है, यह देखा गया है कि निर्यातक के लिए अनुमानित पाटन मार्जिन एवं क्षति मार्जिन सकारात्मक एवं काफी अधिक हैं।
127. पाटन एवं क्षति की संभावना की जांच के लिए निर्यातक द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी पर भी विचार किया गया है। यह देखा गया है कि निर्यातक \*\*\*% क्षमता उपयोग पर कार्य कर रहा है तथा मुख्यतः घरेलू बाजार में

बिक्री कर रहा है। यद्यपि प्रतिवादी निर्यातक द्वारा भारत को किए गए निर्यात उसकी कुल बिक्री का अपेक्षाकृत छोटा हिस्सा हैं, तथापि ऐसे निर्यात महत्वपूर्ण हैं तथा भारतीय मांग का \*\*\*% हिस्सा बनते हैं। इसके अतिरिक्त, भारत को निर्यात की मात्रा (\*\*\*) मीट्रिक टन) विश्व स्तर पर विभिन्न देशों को किए गए कुल निर्यात (\*\*\*) मीट्रिक टन) की संचयी मात्रा से अधिक है।

128. यह भी देखा गया है कि भारत निर्यातक की कुल निर्यात बिक्री का \*\*\*% हिस्सा है तथा तीसरे देशों को उसके निर्यात की मात्रा की तुलना में \*\*\*% अधिक है, जिससे यह संकेत मिलता है कि भारत एक पसंदीदा निर्यात गंतव्य है। यह स्थिति निर्यातक के इस स्वयं के कथन के बावजूद है कि भारत को बिक्री कम कीमत पर की गई तथा तीसरे देशों से बिक्री प्राप्ति बेहतर है।
129. प्राधिकारी आगे यह नोट करते हैं कि कीमत निर्धारण के संदर्भ में, निर्यातक भारत को अपने निर्यात पर अपने घरेलू बाजार की तुलना में बेहतर कीमत प्राप्त कर रहा है। यह दर्शाता है कि भारतीय बाजार घरेलू बिक्री की तुलना में अधिक लाभप्रद है तथा अतः निर्यातक के लिए कीमत की दृष्टि से आकर्षक गंतव्य बना हुआ है।

क्र सं.	विवरण	यूओएम	पीओआई
1	बिक्री मात्रा	एमटी	***
	क) घरेलू बिक्री	एमटी	***
	ख) भारत को निर्यात	एमटी	***
	ग) तीसरे देशों को निर्यात	एमटी	***
2	कुल निर्यातों के संबंध में भारत को निर्यात	%	***
3	निम्न से बिक्री प्राप्ति:		
	क) घरेलू बिक्री	आरएमबी/ एमटी	***
	ख) भारत को निर्यात	आरएमबी/ एमटी	***
	ग) तीसरे देशों को निर्यात	आरएमबी/ एमटी	***

स्रोत: नानटोंग की ईक्यूआर

130. यह नोट किया जाता है कि भारत को किए गए निर्यात पाटित तथा क्षतिकारी कीमत पर हुए हैं। भारत को निर्यात की भारत औसत निर्यात कीमत सामान्य मूल्य से कम है तथा ऐसे निर्यातों की पहुंच कीमत क्षतिरहित कीमत से भी कम है। जैसा कि इस अंतिम जाँच परिणाम में ऊपर उल्लिखित है, पाटन मार्जिन एवं क्षति मार्जिन काफी अधिक हैं।
131. सौदा आधारित तीसरे देश के निर्यात के आंकड़ों से यह प्रदर्शित होता है कि भारत को निर्यात के अतिरिक्त, प्रतिवादी निर्यातक ने संबद्ध वस्तुओं का निर्यात जर्मनी, इज़राइल, इटली, जापान, कोरिया, स्पेन, ताइवान तथा संयुक्त राज्य अमेरिका को भी किया है। इन तीसरे देशों को कुल \*\*\* मीट्रिक टन मात्रा का निर्यात किया गया। तीसरे देशों में पाटन की जांच के प्रयोजनार्थ, निर्यातक द्वारा तीसरे देशों में संबद्ध वस्तुओं की बिक्री जिस कीमत पर की गई, उसकी तुलना ऊपर गणना किए गए सामान्य मूल्य से की गई है। इस प्रयोजनार्थ, विचार की गई निर्यात कीमत वह बीजक मूल्य है जो निर्यातक द्वारा सूचित किया गया है, तथा ऐसे निर्यातों के संबंध में संभावित व्ययों के लिए कोई समायोजन नहीं किया गया है। यह देखा गया है कि यद्यपि तीसरे देशों को भारत औसत निर्यात कीमत सामान्य मूल्य से कम है, जिससे यह प्रदर्शित होता है कि तीसरे देशों में भी पाटन हो रहा है। तीसरे देशों को किए गए कुल निर्यात में से \*\*\* मीट्रिक टन, अर्थात् \*\*\*% निर्यात, पाटित कीमतों पर किए गए थे। इसी प्रकार, निर्यातक के तीसरे देशों को किए गए निर्यात की निर्यात कीमतों की तुलना घरेलू उद्योग की क्षतिरहित कीमत से भी की गई है। इस प्रयोजनार्थ, निर्यातक के तीसरे देश को निर्यात कीमत में अनुमानित 8.25% आयात शुल्क जोड़ा गया है। यह देखा गया है कि निर्यात मात्रा का \*\*\*% क्षतिकारी कीमतों पर निर्यात किया गया था।

विवरण	यूओएम	कुल	भारत	तीसरे देश
चीन से निर्यात	एमटी	***	***	***
निर्यात कीमत	अमडा./ एमटी	***	***	***
सीएनवी	अमडा./ एमटी	***	***	***
पाटन मार्जिन	अमडा./ एमटी	***	***	***
पाटन मार्जिन	%	***	***	***
पाटित कीमतों पर निर्यात	एमटी	***	***	***
कुल निर्यातों में पाटित मात्रा का हिस्सा	%	***	***	***
क्षतिरहित कीमत	अमडा./ एमटी	***	***	***
पंहुच कीमत	अमडा./ एमटी	***	***	***
क्षति मार्जिन	अमडा./ एमटी	***	***	***
क्षति मार्जिन	%	***	***	***
क्षतिकारी कीमतों पर निर्यात	एमटी	***	***	***
कुल निर्यातों में क्षतिकारी मात्रा का हिस्सा	%	***	***	***

132. यह भी देखा गया है कि भारत को निर्यात के संदर्भ में निर्यातक का पाटन मार्जिन तथा क्षति मार्जिन तीसरे देशों को निर्यात के लिए गणना किए गए मार्जिन से भी अधिक है, जिससे यह प्रदर्शित होता है कि भारतीय बाजार में चयनात्मक पाटन किया जा रहा है।

#### ज. घरेलू उद्योग की संवेदनशीलता

133. यह अनुरोध किया गया है कि भारतीय बाजार अत्यंत कीमत-संवेदनशील है, जहाँ उपभोक्ता मुख्यतः कीमत के आधार पर क्रय निर्णय लेते हैं। उपभोक्ता आयात कीमतों के आधार पर कीमत का मानक निर्धारित करते हैं। ऐसी स्थिति में, संबद्ध देश से कम कीमत पर उपलब्ध आयातों की उपस्थिति का घरेलू उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

134. वर्तमान में संबद्ध आयात घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम कीमत पर आ रहे हैं, और यदि शुल्कों को जारी नहीं रखा गया, तो घरेलू उद्योग को या तो अपना बिक्री कीमत कम करनी पड़ेगी और भारी घाटे का सामना करना पड़ेगा, अथवा बिक्री मात्रा तथा परिणामस्वरूप बाजार हिस्सेदारी में कमी का सामना करना पड़ेगा। यदि बिक्री पंहुच कीमत पर की जाती है, तो घरेलू उद्योग के निष्पादन की जांच नीचे दी गई तालिका में की गई है।

विवरण	यूनिट	पीओआई	पीओआई
			पंहुच = बिक्री कीमत
बिक्री लागत	₹/एमटी	***	***
बिक्री कीमत	₹/एमटी	***	1,05,158
लाभ/हानि (पीबीटी)	₹/एमटी	***	***
लाभ/हानि (पीबीटी)	₹ लाख	***	***
पीबीआईटी	₹ लाख	***	***
नकद लाभ	₹ लाख	***	***
आरओआई	%	***	***

135. यह देखा गया है कि यदि घरेलू उद्योग को पाटित कीमतों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है तो उसे भारी घाटा उठाना पड़ेगा।

## ड. भारतीय उद्योग का हित तथा अन्य मुद्दे

### ड.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

136. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा भारतीय उद्योग के हित तथा अन्य मुद्दों के संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया गया है।

### ड.2 घरेलू उद्योग के विचार

137. भारतीय उद्योग के हित तथा अन्य मुद्दों के संबंध में घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- क. पाटित आयातों से भारी क्षति हो रही है। पाटनरोधी शुल्कों का समय बढ़ाना एवं वृद्धि समान अवसर बनाए रखने, घरेलू उत्पादन की व्यवहार्यता सुनिश्चित करने तथा आयात-निर्भरता को रोकने के लिए आवश्यक है।
- ख. प्रारंभिक शुल्कों ने घरेलू उद्योग को घाटों से उबरने, लाभ अर्जित करने तथा समान अवसर प्राप्त करने में सहायता की, जिससे जुबिलेंट को निवेश कर बाजार में प्रवेश करने में सक्षम बनाया।
- ग. घरेलू उद्योग दाहेज में एक नए संयंत्र में डाइकीटीन तथा एमएए उत्पादन के विस्तार हेतु ₹750 करोड़ का निवेश कर रहा है। यह विस्तार भविष्य की मांग को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण है; तथापि, यह पाटित आयातों से सीधे तौर पर प्रभावित हो सकता है।
- घ. इन अतिरिक्त क्षमताओं की स्थापना के साथ, भारतीय उद्योग आगामी पाँच वर्षों में अनुमानित मांग को पूरा करने हेतु अधिशेष उत्पादन क्षमता के साथ सुदृढ़ स्थिति में हो जाएगा।
- ड. शुल्कों को हटाना इन निवेशों एवं विस्तार योजनाओं को जोखिम में डाल देगा, जिससे भारतीय उद्योग की वृद्धि बाधित होगी।
- च. एमएए एक प्रमुख फार्मास्यूटिकल मध्यवर्ती वस्तु है, जिसका उपयोग कृषि-रसायनों एवं अन्य क्षेत्रों में भी होता है। आवेदक के विश्लेषण के अनुसार, एपीआई उत्पादन में इसकी लागत का प्रभाव नगण्य है, जो 0% से 1% के बीच है। अतः अंतिम उत्पाद पर इसका प्रभाव अत्यंत सीमित है।
- छ. वर्तमान अथवा पूर्ववर्ती निर्णायक समीक्षा जांच में किसी आयातक या उपभोक्ता ने भाग नहीं लिया, जिससे यह संकेत मिलता है कि शुल्कों से कोई खास प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा। प्राधिकारी ने पूर्व में भी यह नोट किया था कि विरोध के अभाव से यह स्पष्ट होता है कि उपभोक्ता शुल्कों से वास्तविक रूप से प्रभावित नहीं हुए हैं।
- ज. उपभोक्ताओं के हित में यह है कि बाजार में उचित कीमत पर उत्पाद उपलब्ध हों, जो ऐसे घरेलू उद्योग द्वारा समर्थित हों जो आयातों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम हों।

### ड.3 प्राधिकारी द्वारा जाँच

138. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि सामान्यतः व्यापार उपचारात्मक उपायों का उद्देश्य अनुचित व्यापार प्रथाओं से घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करना तथा भारतीय बाजार में खुली एवं उचित प्रतिस्पर्धा की पुनर्स्थापना करना है, जो देश के व्यापक हित में है। पाटनरोधी उपायों को लगाना/उन्हें जारी रखना किसी भी प्रकार से संबद्ध देश से आयातों को प्रतिबंधित करने के उद्देश्य से नहीं है। प्राधिकारी यह स्वीकार करते हैं कि शुल्कों को लगाना/उन्हें जारी रखना भारत में उत्पाद के कीमत स्तर को प्रभावित कर सकता है। तथापि, इन उपायों को लगाने/उन्हें जारी रखने से भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा कम नहीं होगी। इसके विपरीत, ऐसे उपायों को लगाना/जारी रखना यह सुनिश्चित करेगा कि कोई अनुचित लाभ प्राप्त न हो, घरेलू उद्योग के निष्पादन में गिरावट को रोका जा सके तथा संबद्ध वस्तुओं के उपभोक्ताओं के लिए व्यापक विकल्पों की उपलब्धता बनी रहे।
139. प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों से विचार आमंत्रित करते हुए जाँच शुरूआत अधिसूचना जारी की। इसके अलावा प्राधिकारी ने, प्रयोक्ताओं/उपभोक्ताओं के लिए एक प्रश्नावली भी निर्धारित की, ताकि वे वर्तमान जांच के संबंध में संगत जानकारी, जिसमें पाटनरोधी शुल्कों का उनके प्रचालन पर संभावित प्रभाव भी शामिल है, प्रदान कर सकें। अन्य बातों के साथ-साथ, विभिन्न देशों के विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पाद के एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग, उपभोक्ताओं पर पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव आदि के संबंध में जानकारी मांगी गई।
140. प्राधिकारी ने इस समीक्षा जांच हेतु एक आर्थिक हित प्रश्नावली निर्धारित की थी, जिसे सभी हितबद्ध पक्षकारों को प्रेषित किया गया। केवल घरेलू उद्योग ने इस आर्थिक हित प्रश्नावली का उत्तर दिया। वर्तमान जांच में किसी भी

प्रयोक्ता या आयातक ने भाग नहीं लिया। इसके अलावा, भागीदार निर्यातक ने यह बताया कि आर्थिक हित प्रभावली उस पर लागू नहीं होती है।

141. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्कों का उद्देश्य पाटन जैसी अनुचित व्यापार प्रथाओं से घरेलू उद्योग को हुई क्षति का उपचार करना है, ताकि भारतीय बाजार में खुली एवं उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति पुनः स्थापित हो सके। प्राधिकारी यह मानते हैं कि पाटनरोधी शुल्कों का जारी रहना भारत में उत्पाद के कीमत स्तर को प्रभावित कर सकता है। तथापि, यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि इन उपायों के जारी रहने से भारतीय बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का मूल स्वरूप प्रभावित नहीं होगा। इसके विपरीत, पाटनरोधी उपायों के जारी रहने से पाटन के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग में संभावित गिरावट पर रोक लगेगी तथा उपभोक्ताओं के लिए व्यापक विकल्पों की उपलब्धता बनाए रखने में मदद मिलेगी।
142. सर्वप्रथम, यह देखा गया है कि एक नए उत्पादक, अर्थात् जुबिलेंट इनग्रेविआ, ने वर्तमान जांच के आधार वर्ष के दौरान भारत में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन हेतु क्षमता स्थापित की है। जुबिलेंट इनग्रेविआ ने अपने समर्थन पत्र में उल्लेख किया है कि शुल्कों ने उसे क्षमता स्थापित करने एवं उत्पादन प्रारंभ करने का आत्मविश्वास प्रदान किया। अतः देश में मांग-आपूर्ति में किसी भी अंतर को पाट दिया गया है। किसी भी स्थिति में, मांग-आपूर्ति अंतर पाटन को उचित नहीं ठहराता। यदि मांग घरेलू क्षमता से अधिक भी हो, तो भी आयात उचित कीमतों पर देश में प्रवेश कर सकते हैं।
143. घरेलू उद्योग ने डाउनस्ट्रीम फार्मा उद्योग की लागत पर संबद्ध वस्तुओं के प्रभाव का परिमाणीकरण किया है। यह देखा गया है कि डाउनस्ट्रीम उत्पादों के उत्पादन में संबद्ध वस्तुओं के कारण होने वाली लागत अत्यंत नगण्य है। घरेलू उद्योग ने यह भी कहा है कि डाउनस्ट्रीम एपीआई मुख्यतः लवण होते हैं, जिन्हें आगे डाउनस्ट्रीम उद्योगों द्वारा प्रसंस्कृत किया जाता है, जिससे पहले से ही न्यूनतम प्रभाव और भी कम हो जाता है। अतः शुल्कों का प्रभाव नगण्य है। इसके अतिरिक्त, न तो पूर्ववर्ती और न ही वर्तमान जांच में किसी आयातक या प्रयोक्ता ने भाग लिया है। यह तथ्य भी इस बात की पुष्टि करता है कि शुल्कों का डाउनस्ट्रीम उद्योग या प्रयोक्ताओं पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है।

क्र सं.	विवरण	यूनिट	
1	एम्लोडिपाइन का पंहुच मूल्य (उच्च बीपी के उपचार में प्रयुक्त)	रु/किग्रा.	10,117
	एपीआई के एक किग्रा. में प्रयुक्त एमएए की मात्रा	किग्रा.	0.2994
	एमएए की लागत	(रु./एमटी)	***
	एमएए की लागत	(रु./किग्रा.)	***
	एपीआई के एक किग्रा. में एमएए इनपुट की लागत	रु/किग्रा.	***
	डाउनस्ट्रीम एपीआई में एमएए इनपुट का लागत घटक	% रेंज	0-1
2	क्लोक्सेसिलीन का पंहुच मूल्य (बैक्टीरियल संक्रमण के उपचार में प्रयुक्त)	रु/किग्रा.	4,409
	एपीआई के एक किग्रा. में प्रयुक्त एमएए की मात्रा	किग्रा.	0.3274
	एमएए की लागत	(रु./एमटी)	***
	एमएए की लागत	(रु./किग्रा.)	***
	एपीआई के एक किग्रा. में एमएए इनपुट की लागत	रु/किग्रा.	***
	डाउनस्ट्रीम एपीआई में एमएए इनपुट का लागत घटक	% रेंज	0-1
3	डोम्पेरिडोन का पंहुच मूल्य (मितली, उल्टी, अपच के उपचार में प्रयुक्त)	रु/किग्रा.	18,571
	एपीआई के एक किग्रा. में प्रयुक्त एमएए की मात्रा	किग्रा.	0.4595

एमएए की लागत	(रु./एमटी)	***
एमएए की लागत	(रु/किग्रा.)	***
एपीआई के एक किग्रा. में एमएए इनपुट की लागत	रु/किग्रा.	***
डाउनस्ट्रीम एपीआई में एमएए इनपुट का लागत घटक	% रेंज	0-1

144. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि शुल्कों के सकारात्मक प्रभाव को देखते हुए, घरेलू उद्योग द्वारा इस उत्पाद में भारी निवेश किया जा रहा है। तथापि, वर्तमान क्षति अवधि में घरेलू उद्योग इस उत्पाद से नगण्य लाभ अर्जित कर रहा है तथा भारी क्षति वहन कर रहा है। आवेदक कंपनी के समग्र निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, जो किए गए निवेशों की व्यवहार्यता के लिए खतरा उत्पन्न करता है।

## द्व. प्रकटन पश्चात टिप्पणियाँ

### द्व.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

145. प्रकटन विवरण के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित टिप्पणियाँ प्रस्तुत की गई थीं:

- क. चीन जन. गण. में अतिरिक्त क्षमता का आरोप लगाने के लिए केवल बाज़ार रिपोर्ट का नाम मात्र बताना पर्याप्त नहीं है। रिपोर्ट का अगोपनीय सारांश उपलब्ध कराया जाना चाहिए था। निर्यातक पूरे संदर्भ के बिना रिपोर्ट से चुने गए अंशों पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। प्राधिकारी को रिपोर्ट पर भरोसा करने से पूर्व उसकी प्रामाणिकता का सत्यापन करना चाहिए।
- ख. 710 करोड़ रुपये के अतिरिक्त निवेश के संबंध में, निर्यातक को केवल एक सूचना पत्र प्राप्त हुआ है। बाद में कोई अनुमोदन पत्र यदि कोई हो, प्राप्त नहीं हुआ है।
- ग. शुल्क 9 वर्षों से अधिक समय से लागू हैं। जुबिलेंट के बाज़ार में प्रवेश करने तथा स्विट्ज़रलैंड से आयात में उल्लेखनीय वृद्धि जैसे कारक, यदि कोई हो, तो क्षति या संभावित क्षति में वृद्धि का कारण हो सकते हैं।
- घ. बाज़ार अर्थव्यवस्था व्यवहार के संबंध में, नैनटोंग एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी है। यद्यपि 19% शेयरधारिता राज्य-स्वामित्व वाली संस्थाओं के पास है, इसका अर्थ यह नहीं है कि नैनटोंग राज्य द्वारा नियंत्रित या प्रभावित होती है। अधिकांश शेयरधारिता आम जनता के पास है।
- ङ. प्राधिकारी द्वारा गणना किए गए मार्जिन, घरेलू उद्योग के दावों से कम हैं। क्षति मार्जिन मूल जांच में पूर्व निर्धारित मार्जिन से कम है। कमतर शुल्क नियम के अनुसार, शुल्क क्षति मार्जिन से अधिक नहीं हो सकता। लगाया जाने वाला कोई भी शुल्क इसी स्तर तक सीमित होना चाहिए।
- च. यह अवलोकन कि आयात काफी अधिक हैं, सही नहीं है। मांग और आयात में क्रमशः 15% और 71% की कमी आई, परंतु घरेलू बिक्री आधार वर्ष के समान स्तर पर बनी रही है।
- छ. नैनटोंग कीमत कटौती में शामिल नहीं है। कीमत कटौती की गणना करते समय प्राधिकारी ने आयात के पंहुच मूल्य में पाटनरोधी शुल्क को शामिल नहीं किया है। जब प्रचलित शुल्क जोड़ा जाएगा, तब आयातित और घरेलू वस्तुओं के बीच वास्तविक प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति परिलक्षित होगी।
- ज. लागत में कमी के साथ बिक्री कीमत में कमी, विशेषकर जब जुबिलेंट ने बाज़ार में प्रवेश किया है, ग्राहकों को आकर्षित करने और बनाए रखने का अवसर हो सकती है, ।
- झ. प्राधिकारी को विकृत लागत संरचना के कारण लाभप्रदता पर अपना विश्लेषण आधारित नहीं करना चाहिए। घरेलू उद्योग एक बहु-उत्पाद कंपनी है और इस बात की कोई ठोस जानकारी या आधार उपलब्ध नहीं है कि उसकी लागत को विचाराधीन उत्पाद पर किस प्रकार आवंटित किया गया है।
- ञ. आधार वर्ष में पंहुच मूल्य और घरेलू बिक्री कीमत कोविड-19 के कारण अधिक थे। उसके पश्चात आई कमी मात्र एक वैश्विक घटना है और एक-दूसरे पर निर्भर नहीं है।
- ट. 2023-24 तथा जांच अवधि दोनों में निर्यात बिक्री अपने स्तर पर बनी रही। तथापि, घरेलू बिक्री और मालसूची में वृद्धि हुई। ऐसा प्रतीत होता है कि घरेलू उद्योग आवश्यकता पड़ने पर उपयोग हेतु उचित मालसूची बनाए रखने का प्रयास कर रहा था। संभवतः उसने निर्यात बिक्री में वृद्धि की अपेक्षा भी की होगी, किंतु ऐसा नहीं हुआ, जिसके परिणामस्वरूप मालसूची में संचय हो गया।

- ठ. स्विट्ज़रलैंड से आयात, निर्यात बिक्री में कमी, तथा कोविड-19 के पश्चात मांग में कमी ने संबद्ध आयात और घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बीच कारणात्मक संबंध को समाप्त कर दिया। मांग में कमी के साथ उत्पादन जैसे अन्य मापदंडों पर प्रभाव पड़ा, तथापि घरेलू बिक्री में कमी नहीं आई। इसके अतिरिक्त, जुबिलेंट बाज़ार पर अच्छा नियंत्रण स्थापित करने में सक्षम रहा।
- ड. प्राधिकारी को चीन के लिए समग्र रूप से आँकड़े प्रस्तुत नहीं करने के लिए नैनटोंग के विरुद्ध प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। नैनटोंग पर व्यापक बाज़ार-स्तरीय आँकड़े प्रस्तुत करने का कोई दायित्व नहीं है। ऐसी जानकारी संकलित करना अनावश्यक रूप से बोझिल होगा। नैनटोंग केवल अपने स्वयं के संचालन से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है।
- ढ. घरेलू उद्योग का पूरा आरोप एक ही बाज़ार रिपोर्ट पर आधारित है। वह अस्पष्ट और निराधार तर्कों के आधार पर पाटन या उसकी संभावना का आरोप नहीं लगा सकता।
- ण. आवेदक को पीओआई के पश्चात के आँकड़े प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जाना चाहिए। ऐसी जानकारी के अभाव में प्राधिकारी को संभावना निर्धारित करने का परिहार करना चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि थाई एक्रिलिक फाइबर कं. लि. बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी तथा डीजीटीआर के ट्रेड मैनुअल के पैरा 5.15 का संदर्भ अनदेखा कर दिया गया है।
- त. संबद्ध आयात और उनके बाज़ार हिस्से की पूर्व जांच से तुलना करना गलत है, क्योंकि कानून ऐसी तुलना का प्रावधान नहीं करता है।
- थ. आधार वर्ष महामारी से उत्पन्न पूर्वानुमेय परिस्थिति से अचानक प्रभावित हुआ था, अतः वह क्षति विश्लेषण को उचित ढंग से प्रस्तुत नहीं कर सकता है।
- द. नैनटोंग के संबंध में क्षति निर्धारण पूरे चीन से पृथक रूप से किया जाना चाहिए। उसके द्वारा प्रस्तुत आँकड़े घरेलू उद्योग की बाज़ार रिपोर्ट की तुलना में अधिक विश्वसनीय और साक्ष्यात्मक हैं। नैनटोंग के पास अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध नहीं है। केवल न्यूनतम निष्क्रिय क्षमता है, जो विपथन का आरोप लगाने के लिए अपर्याप्त है।
- ध. नैनटोंग का घरेलू बिक्री कीमत भारत को उसके निर्यात कीमत से कम है, और भारत को निर्यात कीमत तीसरे देशों को निर्यात कीमत से भी कम है। अतः प्राधिकारी को यह निर्धारित करना चाहिए कि भारत कीमत की दृष्टि से आकर्षक नहीं है और तीसरे देशों को होने वाले निर्यात के भारत में भेजे जाने की कोई संभावना नहीं है। यदि नैनटोंग कभी अपनी घरेलू बिक्री को भारतीय बाज़ार में स्थानांतरित करना चाहता, तो वह अब तक ऐसा कर चुका होता।
- न. भारत को नैनटोंग के निर्यात में गिरावट कोई अस्थायी घटना नहीं है। भारत पर्याप्त लाभकारी नहीं है। अतः उसकी घरेलू बिक्री और तीसरे देशों को निर्यात में वृद्धि हुई है।
- प. प्राधिकारी भारत और तीसरे देशों को निर्यात की तुलना के लिए स्रोत प्रदान करने में विफल रहे हैं। पूरी तालिका को गोपनीय चिह्नित कर दिया गया है, जिससे निर्यातक सार्थक टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने से वंचित रह गया है। अतः हम प्राधिकारी से अनुरोध करते हैं कि वह आँकड़ों के स्रोत तथा उनकी रेंज उपलब्ध कराएं।
- फ. बिना समुचित समायोजन के तीसरे देशों के निर्यात कीमतों का मूल्यांकन कृत्रिम रूप से निर्यात कीमत को कम दर्शाता है और पाटन का भ्रामक आभास उत्पन्न करता है। यह दावा कि निर्यातक ने तीसरे देशों के बाज़ारों में पाटन किया, अथवा चयनात्मक रूप से भारत को लक्ष्य बनाया, त्रुटिपूर्ण है और प्रतिकूल निष्कर्ष का उचित आधार नहीं बन सकता है।
- ब. प्राधिकारी के विश्लेषण से स्पष्ट है कि यदि घरेलू उद्योग आयात के पंहुच मूल्य से समानता रखने का प्रयास करे, तो उसे पर्याप्त क्षति उठानी पड़ेगी। किंतु चूँकि घरेलू उद्योग एक बहु-उत्पाद कंपनी है, अतः बढ़ी हुई लागत एक विकृत चित्र प्रस्तुत कर सकती है।

## ढ.2 घरेलू उद्योग के विचार

146. प्रकटन विवरण के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित टिप्पणियाँ प्रस्तुत की गई थीं:

- क. शुल्क लागू होने के बावजूद संबद्ध आयात काफी अधिक मात्रा में और पाटित कीमतों पर भारतीय बाज़ार में प्रवेश करते रहे हैं। पाटन मार्जिन पूर्व जांचों में निर्धारित मार्जिन से अधिक है।

- ख. चूँकि भारतीय बाज़ार अत्यंत कीमत-संवेदनशील है, यदि शुल्क समाप्त होने दिए गए तो पाटन में वृद्धि की संभावना है।
- ग. पाटित संबद्ध आयात घरेलू उद्योग को निरंतर वास्तविक क्षति पहुँचा रहे हैं।
- घ. संबद्ध आयात का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और बिक्री लागत से कम है, जिससे कीमत में कटौती करने के लिए बाध्य होना पड़ा है और परिणामस्वरूप नगण्य लाभ तथा नियोजित पूंजी पर नगण्य आय प्राप्त हुई है।
- ङ. चीन के उत्पादकों के पास अत्यधिक अधिशेष क्षमता है, जो भारतीय मांग से कहीं अधिक है।
- च. चूँकि भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बाज़ार है और चीन के घरेलू बाज़ार की तुलना में निर्यातकों को बेहतर मूल्य प्रदान करता है, अतः यदि शुल्क हटा दिए गए तो यह अधिशेष वस्तुएँ भारत में पाटित की जाने की संभावना है।
- छ. भारत संबद्ध वस्तुओं के लिए विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मांग केंद्र है और वैश्विक स्तर पर चीन के उत्पादकों के लिए एक प्रमुख प्रतिस्पर्धी विनिर्माण उपस्थिति का प्रतिनिधित्व करता है।
- ज. निर्धारित मार्जिन यह संकेत देते हैं कि चीन द्वारा भारतीय बाज़ार को रणनीतिक रूप से लक्षित किया गया है ताकि भारतीय प्रतिस्पर्धा को विस्थापित किया जा सके। महत्वपूर्ण रूप से, जुबिलेंट इनग्रेविया के बाज़ार में प्रवेश के पश्चात भारत में पाटन में तीव्रता आई।
- झ. चीन के उत्पादकों के पास भारतीय बाज़ार को लक्षित करने हेतु स्पष्ट वाणिज्यिक प्रोत्साहन है, जहाँ वे चयनात्मक रूप से पाटित कीमतों का प्रस्ताव करके चीन जन. गण. के बाहर स्थित वैश्विक उत्पादकों से बाज़ार हिस्सेदारी प्राप्त करने का इरादा रखते हैं।
- ञ. यद्यपि प्राधिकारी द्वारा निम्न एनआईपी निर्धारित की गई है, तथापि निर्धारित क्षति मार्जिन अभी भी सकारात्मक है।
- ट. प्राधिकारी ने आबद्ध इनपुट के लिए मानकीकृत उत्पादन लागत अपनाकर घरेलू उद्योग द्वारा दावा किए गए एनआईपी को उल्लेखनीय रूप से कम कर दिया है। इसके अतिरिक्त, यद्यपि निवेश और बैंक जमा को चालू परिसंपत्तियों से बाहर रखा गया है, तथापि ऐसा प्रतीत होता है कि उनसे होने वाली आय को अन्य आय में शामिल किया गया है, जिससे विसंगति उत्पन्न होती है। घरेलू उद्योग एनआईपी प्रकटन के संबंध में आगे टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने हेतु गणनाओं का प्रकटन चाहता है।
- ठ. भारतीय बाज़ार अत्यंत कीमत-संवेदनशील है, और यदि शुल्क समाप्त होने दिए गए तो पाटन में वृद्धि की संभावना है।
- ड. चीन जन. गण. पर लागू पाटनरोधी शुल्क को पाँच वर्षों की अवधि के लिए जारी रखा जाना चाहिए।

### ६.3 प्राधिकारी द्वारा जाँच

147. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत प्रकटन पश्चात टिप्पणियों की जाँच की है। यह नोट किया जाता है कि जो टिप्पणियाँ पूर्व में दोहराई जा चुकी हैं तथा जिनका अंतिम जाँच परिणाम के संबंधित पैराओं में विधिवत जाँच एवं समुचित निराकरण किया जा चुका है, उन्हें संक्षिप्तता की दृष्टि से इस प्रकटन पश्चात जाँच में पुनः दोहराया नहीं जा रहा है। जो मुद्दे हितबद्ध पक्षकारों द्वारा पहली बार प्रकटन पश्चात चरण में उठाए गए हैं और जिन्हें प्राधिकारी ने प्रासंगिक माना है, उनकी जाँच निम्नानुसार की गई है।
148. घरेलू उद्योग के इस दावे की विश्वसनीयता के संबंध में कि वह 710 करोड़ रुपये का निवेश कर रहा है, जैसा कि इस जाँच परिणाम में पूर्व में उल्लेख किया जा चुका है, यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग ने प्रस्तावित निवेश के संबंध में पर्याप्त साक्ष्य रिकार्ड में प्रस्तुत किए हैं। इसके अंतर्गत उसने स्टॉक एक्सचेंज को सूचित करने वाला अपना पत्र रिकार्ड में रखा है, जिसमें कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा दाहेज में एक विनिर्माण इकाई स्थापित करने हेतु 710 करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय को "स्वीकृत" किए जाने की सूचना दी गई है। घरेलू उद्योग ने पर्यावरणीय स्वीकृति भी रिकार्ड में प्रस्तुत की है, जिससे यह प्रदर्शित होता है कि संबद्ध वस्तुएँ उक्त इकाई में निर्मित किए जाने वाले प्रस्तावित उत्पादों में सम्मिलित हैं। उपर्युक्त के आलोक में, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने

प्रस्तावित निवेश करने के प्रति स्पष्ट प्रतिबद्धता और दृढ़ आशय प्रदर्शित किया है। अतः प्राधिकारी रिकार्ड में उपलब्ध साक्ष्यों को पर्याप्त मानते हैं।

149. वर्तमान जांच संबद्ध आयातों पर नए शुल्क लगाने के लिए नहीं है, बल्कि संबद्ध आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा है। अतः यह जांच की जा रही है कि क्या वर्तमान शुल्कों की समाप्ति से पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने या उनकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है तथा क्या लागू शुल्कों को जारी रखने की आवश्यकता है। उपर्युक्त जांच के आलोक में, जिसमें पाटित आयातों की निरंतर उपस्थिति तथा घरेलू उद्योग के निष्पादन पर उनके प्रतिकूल प्रभाव का संकेत मिलता है, और शुल्कों की समाप्ति की स्थिति में पाटन एवं क्षति की संभावना भी प्रदर्शित होती है, प्राधिकारी यह उपयुक्त समझते हैं कि संबद्ध देश से आयातों पर शुल्कों को जारी रखने की सिफारिश की जाए।
150. यह नोट किया गया है कि संबद्ध देश से कीमत कटौती सकारात्मक बनी हुई है, जब इसका आकलन पाटनरोधी शुल्क जोड़े बिना निर्धारित पंहुच मूल्य के आधार पर किया जाता है। जहाँ तक इस तर्क का संबंध है कि प्रचलित पाटनरोधी शुल्क को जोड़ने के पश्चात कीमत कटौती नकारात्मक हो जाती है, यह उल्लेखनीय है कि पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य पाटित आयातों के क्षतिकारी प्रभावों की प्रतिपूर्ति करना है। अतः ऐसे शुल्क के प्रभाव का उपयोग कीमत कटौती या क्षति के अभाव के तर्क के रूप में नहीं किया जा सकता। वास्तव में, शुल्क जोड़े बिना निर्धारित पंहुच मूल्य उस कीमत को उपयुक्त रूप से दर्शाता है, जिस पर शुल्कों की समाप्ति की स्थिति में वस्तुएँ घरेलू बाज़ार में प्रवेश करने की संभावना रखती हैं। अतः सकारात्मक कीमत कटौती की निरंतर मौजूदगी स्पष्ट रूप से यह प्रदर्शित करती है कि यदि शुल्क हटा दिए जाएँ तो क्षति की पुनरावृत्ति होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी घरेलू उद्योग के इस अनुरोध पर भी ध्यान देते हैं कि संबद्ध वस्तुओं की काफी अधिक मात्रा अग्रिम प्राधिकार स्कीम के अंतर्गत आयात की जा रही है, जिसमें पाटनरोधी शुल्क से छूट प्राप्त है। ऐसे आयात बिना शुल्क के सीधे घरेलू बाज़ार में प्रवेश करते हैं और प्रभावी रूप से बाज़ार कीमतों के लिए बेंचमार्क स्थापित करते हैं।
151. इस तर्क के संबंध में कि घरेलू उद्योग ग्राहकों को आकर्षित करने और बनाए रखने के लिए, चूँकि जुबिलेंट इनग्रेविया ने बाज़ार में प्रवेश किया है, अपनी बिक्री कीमत में कमी कर सकता है, यह नोट किया जाता है कि जुबिलेंट भी संबद्ध वस्तुओं को घरेलू उद्योग की तुलनीय कीमतों पर बेच रहा है और उसके लाभ में भी गिरावट आई है। आयात उसकी कीमत में कटौती कर रहे हैं। उपर्युक्त क्षति विश्लेषण से संकेत मिलता है कि घरेलू उत्पादकों के प्रचलित मूल्य स्तर आयातों से प्रभावित हैं। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि उसे बिक्री मात्रा बनाए रखने हेतु लागत में आई कमी से अधिक अपनी बिक्री कीमत में कमी करने के लिए बाध्य होना पड़ा है। इस प्रकार, घरेलू उत्पादकों को अपनी मात्रा और बाज़ार हिस्सेदारी बनाए रखने के लिए पाटित आयातों के अनुरूप अपनी कीमत समायोजित करनी पड़ती है। बिक्री कीमत में कमी पाटित आयातों द्वारा डाले गए दबाव के कारण हुई है।
152. विचाराधीन उत्पाद के संबंध में आवेदक द्वारा प्रस्तुत लागत की विश्वसनीयता के संदर्भ में, जांच के दौरान प्राधिकारी द्वारा इसका विधिवत रूप से सत्यापन किया गया है, जहाँ लागत आवंटन के लिए अपनाई गई पद्धति की विस्तृत जांच की गई है। प्राधिकारी ने पीयूसी के लिए केवल वही लागत आवंटन स्वीकार किया जो युक्तिसंगत, विधिवत रूप से प्रमाणित तथा स्थापित प्रथाओं के अनुरूप था। तदनुसार, लाभप्रदता विश्लेषण विधिवत रूप से सत्यापित और उपयुक्त रूप से आवंटित लागत आँकड़ों पर आधारित है, और इसे अस्वीकार करने की दृष्टि से किसी प्रकार की विकृति नहीं पाई गई।
153. इस तर्क के संबंध में कि घरेलू उद्योग ने निर्यात बिक्री में संभावित वृद्धि की प्रत्याशा में मालसूची को बनाए रखा हो सकता है, यह तथ्यात्मक रूप से समर्थित नहीं है। यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग का प्रमुख बाज़ार घरेलू बाज़ार ही है। निर्यात की मात्रा उसकी कुल बिक्री का केवल एक छोटा भाग है।
154. संबद्ध आयातों और घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के समाप्त होने के तर्क के संबंध में यह नोट किया जाता है कि चीन जन. गण. से आयात अब भी काफी अधिक बने हुए हैं और पीओआई के दौरान भारत में संबद्ध वस्तुओं के कुल आयात का 63% हिस्सा रखते हैं। अतः संबद्ध आयातों की मात्रा समग्र तथा सापेक्ष दोनों ही दृष्टियों से काफी अधिक बनी हुई है। वास्तव में, चीन जन. गण. से संबद्ध आयातों की कीमत स्विट्ज़रलैंड से आयात के पंहुच मूल्य से भी कम है। जहाँ पीओआई के दौरान चीन जन. गण. से आयात का पंहुच मूल्य ₹1,05,158 प्रति मीट्रिक टन था, वहीं स्विट्ज़रलैंड से आयात ₹1,14,339 प्रति मीट्रिक टन की कीमत पर था। इसके अतिरिक्त, चूँकि चीन जन. गण. से पंहुच मूल्य पाटनरोधी शुल्क जोड़े बिना लिया गया है, अतः यह वही कीमत है जिस पर शुल्कों की समाप्ति की स्थिति में चीन जन. गण. से आयात देश में प्रवेश करने की संभावना

रखते हैं। साथ ही, जैसा कि घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध किया गया और जिसे निर्यातक द्वारा चुनौती नहीं दी गई, काफी अधिक मात्रा में आयात अग्रिम लाइसेंस के अंतर्गत किए गए, और ऐसी आयात मात्रा भी घरेलू उद्योग की कीमतों के लिए बेंचमार्क स्थापित करती है, जिससे उसके निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। भारतीय बाज़ार की कीमत आकर्षकता तथा संभावित कीमतों को देखते हुए, शुल्कों की समाप्ति की स्थिति में चीन जन. गण. से आयात की मात्रा बढ़ने की संभावना है।

155. निर्यातक ने थाई एक्रिलिक फाइबर कं. लि. बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी पर भरोसा करते हुए तर्क दिया है कि पीओआई पश्चात आँकड़े संभावना जाँच का एक अनिवार्य घटक हैं। तथापि, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि उक्त निर्णय प्रत्येक मामले में अनिवार्य रूप से पीओआई पश्चात आँकड़ों की जाँच का प्रावधान नहीं करता है। प्राधिकारी ने इस निष्कर्ष में संभावना विश्लेषण पर्याप्त रूप से किया है। इसके अलावा, (क) पाटित आयातों की लगातार उपस्थिति जिससे घरेलू उद्योग के निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, तथा (ख) शुल्कों की समाप्ति की स्थिति में पाटन और क्षति की संभावना सिद्ध करने वाले पर्याप्त मापदंडों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, पीओआई पश्चात आँकड़े माँगना या उनकी जाँच करना आवश्यक नहीं समझा गया। इसके अतिरिक्त, प्रतिवादी ने पीओआई पश्चात किसी परिवर्तन का कोई साक्ष्य रिकार्ड में प्रस्तुत नहीं किया है।
156. वर्तमान आयात मात्रा और उनके बाज़ार हिस्से की तुलना पूर्व जाँचों में दर्ज आयात और बाज़ार हिस्से से करने के संबंध में निर्यातक ने तर्क दिया है कि यह कानून के अंतर्गत आवश्यक नहीं है। तथापि, यह नोट किया जाता है कि संभावना की जाँच किस प्रकार की जानी चाहिए, इसका कोई सीमित या समग्र सूचीबद्ध प्रावधान नहीं है। प्राधिकारी ने समय के साथ संबद्ध देश के निर्यातकों की प्रवृत्ति और व्यवहार का आकलन करने हेतु वर्तमान आयात मात्रा और बाज़ार हिस्से की तुलना पूर्व जाँचों में देखे गए आँकड़ों से करना उपयुक्त समझा है।
157. निर्यातक ने तर्क दिया है कि तीसरे देशों को निर्यात की तुलना में भारत कीमत की दृष्टि से आकर्षक नहीं है। तथापि, यह देखा गया है कि निर्यातक की अपने घरेलू बाज़ार में बिक्री कीमत भारत को निर्यात से प्राप्त कीमत से कम है। इससे भारत निर्यातक के घरेलू बाज़ार की तुलना में अधिक लाभप्रद बाज़ार सिद्ध होता है। अतः इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि शुल्कों की समाप्ति की स्थिति में निर्यातक बेहतर कीमत की प्राप्ति हेतु अपनी घरेलू बिक्री की मात्रा, या उसका एक भाग, भारत की ओर स्थानांतरित कर सकता है। निर्यातक ने यह भी तर्क दिया है कि भारत लाभकारी नहीं है और यदि वह मात्रा भारत की ओर स्थानांतरित करना चाहता तो अब तक कर चुका होता। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि चीन जन. गण. से आयात अब भी भारत में कुल आयात का अधिकांश हिस्सा हैं। इसके अलावा, नैनटोंग ऐसे आयातों का प्रमुख हिस्सा रखता है। अतः इस दावे के बावजूद कि भारत लाभकारी बाज़ार नहीं है, यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि चीन से, और विशेषकर नैनटोंग से, आयात की मात्रा काफी अधिक बनी हुई है।
158. इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग के अनुरोधों के आधार पर प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि चीन जन. गण. के पश्चात भारत संबद्ध वस्तुओं के वैश्विक उत्पादन में काफी अधिक हिस्सा रखता है और मांग के दृष्टिकोण से दूसरा सबसे बड़ा बाज़ार है। ऐसी स्थिति में, विशेषकर प्रचलित प्रतिस्पर्धा और भारत द्वारा उपलब्ध कराए गए बाज़ार के आकार को देखते हुए, भारतीय बाज़ार में उपस्थिति बनाए रखना चीन के निर्यातकों के लिए रणनीतिक महत्व का होने की संभावना है। अतः भारत में निर्यातक के घरेलू बाज़ार की तुलना में अधिक कीमत प्राप्ति, वर्तमान में आयात की काफी अधिक मात्रा, भारतीय बाज़ार का रणनीतिक महत्व, तथा इस जाँच परिणाम में उपर्युक्त अन्य विश्लेषित कारकों को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी ने यह पाया है कि शुल्कों की समाप्ति की स्थिति में भारत में पाटन के जारी रहने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। वास्तव में, पाटन के और अधिक तीव्र होने की संभावना है।
159. भारत को निर्यात और तीसरे देशों को निर्यात के बीच की गई तुलना के स्रोत के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि यह तुलना प्रतिवादी निर्यातक द्वारा अपनी प्रश्नावली उत्तर में प्रस्तुत आँकड़ों के आधार पर की गई है। चूँकि पैरा 130 की तालिका, जिसमें भारत और तीसरे देशों को निर्यात की तुलना प्रस्तुत की गई है, प्रतिवादी निर्यातक के विभिन्न बाज़ारों में निर्यात मात्रा और कीमत, नियमों के अनुबंध-1 के अनुसार भारत में देय या प्रदत्त कीमत के आधार पर निर्धारित सामान्य मूल्य, तथा घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित क्षतिरहित कीमत जैसी सूचनाएँ सम्मिलित हैं, जो स्वभावतः गोपनीय हैं और जिन्हें हितबद्ध पक्षकारों द्वारा भी गोपनीय के रूप में दावा किया गया है, अतः उन्हें तदनुसार गोपनीय माना गया है और वर्तमान जाँच परिणाम के अगोपनीय अंश में प्रकट नहीं किया गया है।

160. यह तर्क दिया गया है कि प्राधिकारी द्वारा विचार किए गए तीसरे देश की निर्यात कीमत कृत्रिम रूप से कम है और पाटन का भ्रामक चित्र प्रस्तुत करती है। जैसा कि निर्यातक की प्रश्नावली के उत्तर में उपलब्ध जानकारी की जाँच में पूर्व में संकेत किया गया है, तीसरे देश के पाटन का आकलन करने हेतु तुलना ऊपर गणना किए गए सामान्य मूल्य और निर्यातक द्वारा सूचित की गई निर्यात कीमत के बीच की गई थी। यह नोट किया जाता है कि जिस निर्यात कीमत पर विचार किया गया, उसे निर्यातक द्वारा "बीजक मूल्य" के रूप में सूचित किया गया था। प्राधिकारी ने ऐसे बीजक मूल्य में उन निर्यातों से संबंधित किसी भी व्यय के लिए कोई समायोजन नहीं किया है। अतः यह तर्क नहीं दिया जा सकता कि विक्षेपण के उद्देश्य से प्राधिकारी ने कम निर्यात कीमत पर विचार किया।
161. घरेलू उद्योग द्वारा गैर-हानिकारक मूल्य की गणना पर प्राप्त टिप्पणियों के आधार पर, डंपिंग-विरोधी नियमों के अनुबंध-III के अनुसार गणना की गई है। प्राधिकारी की नियमित प्रक्रिया के अनुसार, घटकवार गैर-हानिकारक मूल्य घरेलू उद्योग को सूचित किया गया है।

#### ण. निष्कर्ष और सिफारिश

162. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत अनुरोधों और उनमें उठाए गए मुद्दों की जांच करने तथा रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों पर विचार करने के पश्चात, प्राधिकारी निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुंचे हैं:
- क) विचाराधीन उत्पाद मेथाइल एसीटोएसीटेट है, जिसे एमएए/एमएएई/एएएमई के नाम से भी जाना जाता है।
- ख) संबद्ध वस्तुएँ सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 29 के अंतर्गत सीमा शुल्क उपशीर्षों 29183040, 29183040, 29183090 तथा 29189990 के अंतर्गत आयात की जा रही हैं। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।
- ग) घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुएँ संबद्ध देश से आयातित वस्तुओं के 'समान वस्तु' हैं।
- घ) संबद्ध वस्तुओं के चीन जन. गण. से आयात पर लागू पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा जाँच की शुरुआत करने के लिए आवेदन में लक्ष्मी आर्गेनिक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा दायर किया गया था।
- ङ) पूर्व जांचों में आवेदक एकमात्र उत्पादक था। तथापि, क्षति अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं का एक अन्य उत्पादक, अर्थात् जुबिलेंट इन्ग्रेविया लिमिटेड, ने क्षमता स्थापित कर बाज़ार में प्रवेश किया है।
- च) जुबिलेंट इन्ग्रेविया लिमिटेड ने आवेदन और शुल्कों को लगाये जाने का समर्थन किया है। जुबिलेंट ने कहा है कि लागू शुल्कों ने उसे बाज़ार में निवेश करने और उत्पादन प्रारंभ करने का आत्मविश्वास प्रदान किया। साथ ही, उसने समर्थन पत्र के माध्यम से अपनी क्षति संबंधी जानकारी भी प्रदान की है।
- छ) रिकार्ड में उपलब्ध जानकारी के आधार पर, प्राधिकारी ने निर्धारित किया है कि आवेदक का उत्पादन भारतीय उत्पादन का एक प्रमुख हिस्सा है। अतः प्राधिकारी ने निर्धारित किया कि आवेदक नियम 2(ख) के अंतर्गत घरेलू उद्योग का गठन करता है और आवेदन नियम 5(3) के अनुसार पात्रता संबंधी मानदंडों को पूरा करता है।
- ज) संबद्ध देश के उत्पादक नैनटोंग एसेटिक एसिड कैमिकल कं. लि. ने वर्तमान जांच में स्वयं को पंजीकृत किया और उसने निर्धारित निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया।
- झ) निर्यातक ने बताया है कि चूँकि वह चीन जन. गण. में सूचीबद्ध कंपनी है और उसका संचालन राज्य से प्रभावित नहीं हैं, अतः उसे बाज़ार अर्थव्यवस्था व्यवहार प्रदान किया जाना चाहिए। तथापि, उसने ऐसे व्यवहार को उचित ठहराने हेतु पूरक प्रश्नावली प्रस्तुत नहीं की। निर्यातक को पूर्व जांचों में न तो बाज़ार अर्थव्यवस्था व्यवहार प्रदान किया गया था और न ही उसने इसका अनुरोध किया था। अतः निर्यातक का ऐसे व्यवहार का दावा अस्वीकृत किया गया है।
- ञ) प्राधिकारी ने पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन का निर्धारण निर्यातक द्वारा अपनी प्रश्नावली उत्तर में सूचित की गई निवल निर्यात कीमत और आयात के पहुंच मूल्य के आधार पर किया है।

- ट) निर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत को ध्यान में रखते हुए, संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के लिए पाटन मार्जिन सकारात्मक, न्यूनतम सीमा से अधिक तथा काफी अधिक पाया गया है। संबद्ध आयात पाटित कीमतों पर भारत में प्रवेश करते रहे हैं।
- ठ) क्षति अवधि के दौरान मांग में कमी आई है, किंतु यह पूर्व जांच की मांग के स्तर के लगभग समान बनी हुई है।
- ड) संबद्ध आयात की मात्रा पूर्ण तथा भारतीय उत्पादन और उपभोग के सापेक्ष दोनों ही दृष्टियों से काफी अधिक बनी हुई है।
- ढ) आयात का पंहुच मूल्य घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति से कम है। अतः संबद्ध आयात घरेलू कीमतों में कटौती कर रहे हैं।
- ण) क्षति अवधि के दौरान संबद्ध आयातों का पंहुच मूल्य 44% घटा, जो घरेलू उद्योग की लागत में 32% की कमी तथा बिक्री कीमतों में 40% की कमी से अधिक था। संबद्ध आयातों की इस उल्लेखनीय कीमत गिरावट ने घरेलू उद्योग को मात्रा बनाए रखने हेतु अपनी लागत में कमी से अधिक बिक्री कीमत घटाने के लिए विवश किया। पाटित आयातों का घरेलू कीमतों पर ह्रासकारी एवं न्यूनकारी प्रभाव पड़ा है।
- त) क्षति अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं के लिए घरेलू उद्योग का उत्पादन और बिक्री मात्रा कम हो गई। 2023-24 और पीओआई के दौरान बिक्री मात्रा और बाज़ार हिस्सेदारी बढ़ाने हेतु उसे अपनी कीमत कम करनी पड़ी है।
- थ) पाटित आयातों के पंहुच मूल्य में तीव्र गिरावट, जो उत्पादन लागत से भी कम स्तर पर चला गया, के कारण, घरेलू उद्योग को अपने बिक्री कीमत में समानुपाती कमी करनी पड़ी, जिससे 2023-24 में उसे क्षति हुई और पीओआई के दौरान नगण्य लाभ अर्जित हुआ।
- द) पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग का समग्र वित्तीय निष्पादन अत्यंत रहा, जिसमें नियोजित पूंजी पर न्यूनतम आय प्राप्त हुई।
- ध) यद्यपि क्षति अवधि के दौरान जुबिलेंट की मात्रा में वृद्धि हुई, यह उसके नए उत्पादक होने तथा लागत से काफी कम कीमत पर बिक्री करने के कारण हुआ है। जुबिलेंट भी संबद्ध वस्तुओं को घरेलू उद्योग के तुलनीय कीमतों पर बेच रहा है और उसके निष्पादन में भी गिरावट देखी गई है।
- न) पाटित आयातों के जारी रहने का घरेलू उद्योग के निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।
- प) गैर-आरोपण विश्लेषण से यह पता चलता है कि घरेलू उद्योग को हुई क्षति के लिए कोई अन्य कारक उत्तरदायी नहीं है। स्विट्ज़रलैंड से आयात की समानांतर जांच के अंतर्गत जाँच की जा रही है।
- फ) प्राधिकारी द्वारा निर्धारित क्षतिरहित कीमत और आयात के पंहुच मूल्य को देखते हुए, यह पाया गया है कि क्षति मार्जिन काफी अधिक है।
- ब) शुल्कों की समाप्ति की स्थिति में पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने की पर्याप्त संभावना के साक्ष्य उपलब्ध हैं, जिसका सारांश निम्नानुसार है:
- क. शुल्क लागू होने के बावजूद चीन जन. गण. से आयात काफी अधिक बने हुए हैं और पूर्व जांचों में दर्ज स्तर से भी अधिक हैं।
- ख. वर्तमान जांच में निर्धारित पाटन मार्जिन पूर्व निर्धारित मार्जिन से अधिक है, जो लगातार पाटन के व्यवहार को दर्शाता है।
- ग. चीन जन. गण. में उत्पादकों के पास काफी अधिक क्षमताएँ हैं। यद्यपि वर्तमान जांच में एक उत्पादक ने भाग लिया है जिसका क्षमता उपयोग काफी अधिक है, तथापि संबद्ध देश में अन्य कई उत्पादक भी हैं।

- घ. संबद्ध देश के उत्पादकों के पास उपलब्ध क्षमता उनकी घरेलू मांग से काफी अधिक है। उत्पादकों के पास अधिशेष और मुक्त रूप से निपटान योग्य क्षमता है, जो शुल्कों की समाप्ति की स्थिति में भारत की ओर भेजी जा सकती है।
- ङ. संबद्ध आयात घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति में कटौती करते हैं और घरेलू कीमतों पर हासकारी और न्यूनकारी प्रभाव डालते हैं। सकारात्मक कीमत कटौती का जारी रहना यह दर्शाता है कि यदि शुल्क हटाए गए तो क्षति में काफी अधिक वृद्धि हो सकती है।
- च. भागीदार निर्यातक भारत को तीसरे देशों के सम्मिलित निर्यात की तुलना में अधिक मात्रा में निर्यात कर रहा है। भारत को उस निर्यातक के निर्यात के लिए निर्धारित मार्जिन तीसरे देशों की तुलना में अधिक है, जो भारतीय बाज़ार में चयनात्मक पाटन को दर्शाता है।
- छ. निर्यातक के लिए उसके घरेलू बाज़ार की तुलना में भारतीय बाज़ार अधिक आकर्षक है। भारतीय बाज़ार की कीमत आकर्षकता को देखते हुए, शुल्कों की समाप्ति की स्थिति में चीन जन. गण. से आयात की मात्रा बढ़ने की संभावना है।
- भ) अंतिम उपभोक्ता पर शुल्क का प्रभाव नगण्य पाया गया है। वर्तमान या पूर्व जांच में किसी भी प्रयोक्ता या आयातक ने भाग नहीं लिया, जिससे यह और पुष्ट होता है कि डाउनस्ट्रीम उद्योग शुल्कों से प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं होते हैं।
- म) लागू शुल्कों के सकारात्मक प्रभाव के कारण न केवल एक नए उत्पादक ने क्षमता स्थापित कर बाज़ार में प्रवेश किया, बल्कि घरेलू उद्योग द्वारा इस उत्पाद में काफी अधिक निवेश भी किया जा रहा है। तथापि, नए उत्पादक के प्रचालन प्रारंभ करने के साथ पाटन में वृद्धि हुई है, जिससे भारतीय उद्योग की व्यवहार्यता पर गंभीर खतरा उत्पन्न हुआ है।
163. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि वर्तमान जाँच लागू कानून के अनुरूप संचालित की गई। सभी हितबद्ध पक्षकारों को विधिवत रूप से सूचित किया गया और उन्हें पाटन, क्षति, कारणात्मक संबंध, पाटन एवं क्षति के जारी रहने की संभावना तथा भारतीय उद्योग पर उपायों के प्रभाव सहित जांचाधीन मुद्दों पर जानकारी प्रस्तुत करने और अपने विचार रखने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया। निर्णायक समीक्षा के परिणामस्वरूप, प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि वर्तमान मामले में लागू पाटनरोधी शुल्कों को जारी रखना आवश्यक है।
164. वर्तमान जांच में सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत अनुरोधों की जांच करने के पश्चात, प्राधिकारी यह उपयुक्त एवं आवश्यक समझते हैं कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के सभी आयातों पर नीचे दी गई शुल्क तालिका के कॉलम 7 में दर्शाई गई राशि के बराबर निश्चयात्मक शुल्क पाँच वर्षों की अवधि के लिए जारी रखने की सिफारिश की जाए। अतः उपर्युक्त स्थापित इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, संबद्ध देश के मूल की अथवा वहाँ से निर्यातित संबद्ध वस्तु के सभी आयातों पर नीचे दी गई शुल्क तालिका के कॉलम 7 में उल्लिखित राशि के बराबर पाटनरोधी शुल्क की समयावधि बढ़ाये जाने की सिफारिश की जाती है।

#### शुल्क तालिका

क्र. सं.	टैरिफ शीर्ष	वस्तुओं का विवरण	मूलता का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	राशि	यूओएम	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	29183040, 29183090 और 29189990	मिथाइल एसिटोएसिटेट	चीन जन गण	चीन जन गण सहित कोई देश	नैनटांग एसिटिक एसिड कैमिकल कं. लि.	0.277	किग्रा.	अम. डा.
2.	-वही-	-वही-	चीन जन गण	चीन जन गण सहित कोई देश	क्र. सं. 1 से इतर कोई	0.404	किग्रा.	अम. डा.

3.	-वही-	-वही-	चीन जन गण से इतर कोई देश	चीन जन गण	कोई	0.404	किग्रा.	अम. डा.
----	-------	-------	--------------------------	-----------	-----	-------	---------	---------

165. उपरोक्त शुल्क तालिका में उल्लिखित कंपनियों के लिए निर्दिष्ट व्यक्तिगत शुल्क दरों का आवेदन सीमा शुल्क अधिकारियों को एक वैध वाणिज्यिक चालान प्रस्तुत करने पर सशर्त होगा, जिस पर ऐसे चालान जारी करने वाली इकाई के एक अधिकारी द्वारा दिनांकित और हस्ताक्षरित एक घोषणा अंकित होगी, जिसमें उसका नाम और पद अंकित होगा, और जिसका प्रारूप निम्नानुसार होगा:
- मैं, अधोहस्ताक्षरी, प्रमाणित करता/करती हूँ कि इस इनवॉइस में उल्लिखित भारत को निर्यात के लिए बेची गई मिथाइल एसीटोएसीटेट की (मात्रा) का निर्माण चीन जन गण में स्थित (कंपनी का नाम और पता) द्वारा किया गया था। मैं घोषणा करता/करती हूँ कि इस इनवॉइस में दी गई जानकारी पूर्ण और सही है।
166. यदि ऐसा कोई चालान प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो अन्य सभी दरों पर लागू शुल्क लागू होगा। यह आवश्यकता सीमा शुल्क कानूनों और विनियमों के तहत सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा स्वतंत्र रूप से की जाने वाली सत्यापन प्रक्रियाओं पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालती है।

#### त. आगे की प्रक्रिया

167. इस जॉच परिणाम के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा दिए जाने वाले आदेश के विरुद्ध कोई अपील, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के प्रावधानों के अनुसार, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष की जायेगी।

अमिताभ कुमार, निर्दिष्ट प्राधिकारी

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY****(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES )****FINAL FINDINGS NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th February, 2026

**Case No AD (SSR – 06/2025)****Subject: Sunset review investigation concerning anti-dumping duty on imports of “Methyl Acetoacetate” originating in or exported from China PR.****F. No. 07/12/2025-DGTR—****A. BACKGROUND OF THE CASE**

1. The Designated Authority (hereinafter also referred as the “Authority”) initiated anti-dumping investigation concerning imports of “Methyl Acetoacetate” (hereinafter also referred to as the “subject goods” or “product under consideration” or “MAA”) originating in or exported from China PR and USA *vide* Notification No. 14/7/2014-DGAD on 7<sup>th</sup> January 2015. The Authority thereafter notified Final Findings recommending definitive antidumping duties on imports of the subject goods from China PR and USA *vide* notification dated 1<sup>st</sup> April 2016. Definitive antidumping duty was imposed by the Ministry of Finance *vide* Customs Notification No. 22/2016-Customs (ADD) dated 31st May 2016 for 5 years.

2. The Authority initiated first sunset review investigation of the anti-dumping duty *vide* Notification no. 7/40/2020- DGTR dated 30<sup>th</sup> September 2020 against China PR. The Authority recommended continuation of definitive anti-dumping duties on China PR *vide* Notification No.7/40/2020-DGTR dated 03<sup>rd</sup> May, 2021. The same was imposed by the Ministry of Finance *vide* Notification No. 31/2021-Customs (ADD) dated 29<sup>th</sup> May, 2021 for a period of 5 years. The antidumping duties are set to expire on 28<sup>th</sup> May 2026.

3. Section 9A (5) of the Act, inter alia, provides that anti-dumping duty imposed shall, unless revoked earlier, cease to have effect on the expiry of five years from the date of such an imposition and the Authority is required to review whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury. In accordance with the above, the authority is required to review, on the basis of a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry, as to whether the expiry of the duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.

4. Further, Rule 23(IB) of the Rules provides as follows:

*“...any definitive antidumping duty levied under the Act, shall be effective for a period not exceeding five years from the date of its imposition, unless the designated Authority comes to a conclusion, on a review, initiated before that period on its own initiative or upon a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry, within a reasonable period of time prior to the expiry of that period, that the expiry of the said anti-dumping duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry”*

5. Based on a duly substantiated application, with *prima facie* evidence of likelihood of dumping and injury from imports of subject goods originating in or exported from China PR, filed on behalf of the domestic industry in accordance with Section 9A(5) of the Act, read with Rule 23 of the Rules, the Authority initiated present sunset review investigation *vide* Notification No. 7/12/2025-DGTR dated 26 June 2025 published in the Gazette of India, Extraordinary, to examine whether the expiry of present anti-dumping duty is likely to lead to continuation of recurrence of dumping and injury.

**B. PROCEDURE**

6. The procedure, as described herein below, has been followed with regard to the investigation:

a. The Authority, on the basis of sufficient *prima facie* evidence submitted by the applicant, *vide* Notification No.7/12/2025-DGTR dated 26<sup>th</sup> June 2025 published a public notice in the Gazette of India, Extraordinary, initiating a sunset review investigation of anti-dumping duty on imports of the subject goods from the subject country.

b. The Authority forwarded a copy of the public notice along with the questionnaires to the Embassy of the subject country in India, all known exporters, importers and users (whose details were made available by the applicant) and gave them opportunity to make their views known in writing in accordance with Rule 6(2) of the AD Rules. They were advised to reply within thirty days from the date of receipt of notice.

c. In accordance with Rule 6(3) of the AD Rules, the Authority sent a copy of the non-confidential version of the application to the Embassy of the subject country in India, the known producers, and exporters from the subject country, known importers and users in India, and other interested parties.

d. The Authority sent questionnaire to elicit relevant information to the following known exporters/ producers of the subject goods in the subject country in accordance with Rule 6(4) of the AD Rules:

- i. Changzhou Hjcc New Materials Co.
- ii. Changzhou Jiabai Chem-Tech Co., Ltd.
- iii. Hong Kong Cleantech Co., Ltd.
- iv. Nantong Acetic Acid Chemical Co. Ltd.
- v. Nantong Tianhong International Trade Co. Ltd.
- vi. Qindo Haaiwan Group Co. Ltd.

e. In response, only Nantong Acetic Acid Chemical Co., Ltd. (hereinafter referred to as "Nantong"), from China PR filed the exporter's questionnaire response in the prescribed format and made submissions.

f. The Authority also sent importer's questionnaire to the following known importers/users of product under consideration in India seeking necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Anti-Dumping Rules:

- i. Colourtex Industries Ltd.
- ii. Deccan Fine Chemicals (India)
- iii. K. Uttamlal & Company
- iv. Miles Tradexim Pvt. Ltd.
- v. Nutan Dye Chem
- vi. Paarichem Resources LLP
- vii. Prima Chemicals, Polygon Chemicals
- viii. R Nandlal & Sons
- ix. RR Innovative Pvt. Ltd.
- x. Sanjay Chemicals (India) Pvt. Ltd.
- xi. Shakti Ammonia Supply Co.
- xii. Spectrum Dyes & Chemicals Pvt. Ltd.

- g. None of the importers/users have filed a response to questionnaire, nor have they filed any other submissions, in response to the Initiation notification.
- h. The Authority issued an economic interest questionnaire (EIQ) to all interested parties and the concerned administrative line ministry. Response to economic interest questionnaire was filed only by the domestic industry. No other interested party filed the economic interest questionnaire response.
- i. A list of parties who requested to be registered as interested parties in response to the initiation notification was uploaded on the DGTR website along with the request therein to all of them to forward the non-confidential version of their submissions to all the other interested parties not later than the next day from the date of submission of the confidential version to the Authority.
- j. The information provided by the interested parties on a confidential basis was examined with regard to the sufficiency of such claims. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted, and such information has been considered confidential and not disclosed to the other interested parties. Wherever possible, parties providing information on a confidential basis were directed to provide sufficient nonconfidential version of the information filed on a confidential basis.
- k. The Authority considered the period of investigation (POI) as 1st January 2024 to 31st December 2024 (a period of 12 months). The injury investigation period covers the periods 1<sup>st</sup> April 2021 to 31<sup>st</sup> March 2022, 1<sup>st</sup> April 2022 to 31<sup>st</sup> March 2023 and 1<sup>st</sup> April 2023 to 31<sup>st</sup> March 2024 and the POI.
- l. A request was made to the Directorate General for Systems and Data Management (DG Systems) for transaction-wise import data of the subject goods for the injury period. The Authority received the data and has relied upon this data for the necessary analysis in this Final Finding.
- m. Verification of the domestic industry was conducted to the extent considered necessary for the purpose of the present investigation.
- n. The Authority determined the non-injurious price (NIP) based on the optimum cost of production and the cost to produce and sell the domestic like article in India, based on the information furnished by the applicant and having regard to the Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the AD Rules, to ascertain whether the present anti-dumping duty is sufficient to remove injury to the domestic industry.
- o. In accordance with Rule 6(6) of the Rules, the Authority provided opportunity to all interested parties to present their submissions orally in the oral hearing held on 8th October 2025 in hybrid mode. The interested parties were requested to submit their written submissions by 15<sup>th</sup> October 2025 and rejoinder submissions by 24<sup>th</sup> October 2025.
- p. Due to change in the Designated Authority, a fresh oral hearing was held on 10<sup>th</sup> December 2025 in hybrid mode. The interested parties were provided the opportunity to file written submissions of the views expressed orally by 17<sup>th</sup> December 2025, followed by rejoinder submissions, if any, by 24<sup>th</sup> December 2025.
- q. The Authority circulated the disclosure statement containing all essential facts under consideration for making the final recommendations to the Central Government to all interested parties on 17th February 2026. The Authority has examined all the post-disclosure comments made by the interested parties in these final findings to the extent relevant. Any submission which was merely a reproduction of the previous submission, and which had been adequately examined by the Authority has not been repeated for the sake of brevity.
- r. The Authority, during the course of the investigation, satisfied itself as to the accuracy of the information supplied by the interested parties, which forms the basis of this Final Finding, to the extent possible and verified the data documents submitted by the domestic industry and the interested parties to the extent considered relevant, practicable and necessary.
- s. Wherever an interested party has refused access to or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded the Final Finding on the basis of the facts available.

t. ‘\*\*\*’ in this Final Finding represents the information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.

u. The exchange rate for the POI for conversion of USD to Indian Rupees is 1US\$ - Rs. 84.55.

## C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

### C.1 Views of the other interested parties

7. No submissions have been made regarding scope of the PUC and like article by the other interested parties.

### C.2 Views of the domestic industry

8. The domestic industry has made the following submissions with regard to the scope of the product under consideration and like article:

a. The product under consideration is Methyl Acetoacetate (MAA) originating in or exported from China PR, as defined by the Authority in the original investigation.

b. The PUC is covered under Customs Tariff sub-heading 29183040. As established in the previous investigation, it is also imported under other codes including 29146990, 29153910, 29153940, 29153990, 29183090, 29331990, 29410090, and 29189900. In the present injury period, subject goods have been imported under codes 29183040, 29183090 and 29189990. Therefore, the customs classification is only indicative.

c. The Authority is requested to include all the codes considered within the purview of the previous investigation, while also explicitly specifying codes 29183090 and 29189990 in the duty table.

d. There is no known significant difference in subject goods produced by the domestic industry and exported from the subject country. Subject goods produced by the Indian industry and imported from the subject country are comparable in terms of characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing and distribution & marketing.

e. The Designated Authority has determined in all past investigations that the product produced by the domestic industry is like article to the imported material.

### C.3 Examination by the Authority

9. The present investigation is a sunset review investigation, and the scope of the product under consideration remains the same as defined in the original investigation. No significant developments have taken place in the scope of the product under consideration over the period. Further, none of the other interested parties have advanced any argument with regard to the scope of the product under consideration and like article. The product under consideration as defined in the original investigating is reproduced hereunder: -

*“The product under consideration in the represent petition is Methyl Acetoacetate. Methyl Acetoacetate (also known his MAA/MAAE/AAME) is a Diketene based Ester or aceto-acetate. The chemical Formula of MAA is C5H8O3 and at 99% purity, it is a clear liquid with a colourless appearance.”*

10. The scope of the product under consideration remains the same as defined in the original investigation.

11. The product under consideration is classified in Chapter 29 of the Customs Tariff Act under the subheading 29183040 as “Methyl Acetoacetate”. However, the applicant has submitted that in present injury period, the subject goods have been imported under the codes 29183040, 29183090 and 29189990. The DG Systems data also shows imports under these three codes during the injury period. Therefore, the customs classification is indicative only and is in no way binding on the scope of the investigation.

12. The Authority notes that the product produced by the applicant is comparable to the imported goods from the subject country in terms of chemical characteristics, product specifications, technical specifications, manufacturing process, and technology, functions and uses, pricing, distribution and marketing, and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially interchangeable. Accordingly, the Authority notes that the product produced by the applicant is 'like article' to the product under consideration imported from the subject country in

terms of Rule 2(d) of the Rules.

## D. SCOPE OF THE DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

### D.1 Views of the other interested party

13. No submissions have been made regarding the scope of the domestic industry and its standing by the other interested parties.

### D.2 Views of the domestic industry

14. Following submissions have been made by the domestic industry with regards to scope and standing of the domestic industry:

- a. The applicant was the sole producer of the subject goods in India in the previous investigations. However, considering the improvement in the applicant's performance and the conducive environment created due to the duties in place, Jubilant Ingrevia Limited established capacity and entered the market as a new manufacturer of the subject goods in India in February 2022.
- b. Jubilant Ingrevia Limited has supported the application and the continuation of duties. The company has furnished a support letter along with its injury information.
- c. Production by the applicant constitutes "a major proportion" of total domestic production.
- d. The Applicant has not imported the subject goods, nor is it related to any producer or exporter of the subject goods in China PR. The applicant is also not related to any importer in India.
- e. The Applicant constitutes eligible domestic industry within the meaning of Rule 2(b) and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5 (3) of the Rules supra.

### D.3 Examination by the Authority

15. Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules defines domestic industry as under:

*"(h) "domestic industry " means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or these whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are referred to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term 'domestic industry' may be construed as referring to the rest of the producers".*

16. The Authority notes that the present application has been filed by M/s Laxmi Organics Industries Limited. The applicant was the sole producer in past investigations. It is noted that one other producer of the subject goods i.e. Jubilant Ingrevia Limited (hereinafter referred to also as "Jubilant"), has established capacity and entered the market as a new manufacturer of the subject goods in India during the injury period i.e., in 2021-2022 (in Feb 2022). Further, Jubilant has supported the application and the imposition of duties. It has also submitted summary information on its performance during the injury period. It is seen that the production by the applicant constitutes \*\*\*% of total Indian production, thus the production by the applicant constitutes "a major proportion" of total Indian production.

SN	Particular	Quantity (MT)	Share (%)
1	Production by Applicant	***	***%
2	Production by Jubilant	***	***%
3	Total Indian production	***	100%

17. M/s Laxmi Organics Industries Limited has certified that it has neither imported the subject goods from the subject country nor is related to any exporter or producer of subject goods in the subject country or an importer of the product under consideration in India. The Authority has examined DG System's transaction-wise data and found that the applicant has not imported the product under consideration from the subject country.

18. In view of the above, the Authority holds that the Applicant constitutes eligible "domestic industry" within the

meaning of Rule 2(b) of the AD Rules and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules.

## **E. CONFIDENTIALITY**

### **E.1 Views of the other interested parties**

19. The following submissions have been made by the other interested parties with respect to confidentiality:
- a. The applicant has relied on a market report without providing its non-confidential version or a summary of its contents. No justification has been provided for this omission. Reliance is placed on CESTAT's decision in *All India Laminated Fabrics Manufacturers Association v. Designated Authority*.
  - b. The source of the market report remains undisclosed, casting doubt on its credibility.
  - c. No reliance can be made by the Authority on the applicant's statements on investing 750 crores on the subject goods without evidence. The same may be sought.
  - d. The claim of investment lacks credibility as the figures presented are inconsistent. Applicant claimed ₹750 crores during the first oral hearing and ₹710 crores in the second oral hearing.
  - e. As regards confidentiality over list of shareholders and list of supporting documents provided, the same does not hamper the investigation.
  - f. As regards confidentiality over channel of distribution, the specific details are provided in Appendices 3A and 4A which are completely confidential. However, it is disclosed that Nantong has sold directly to unrelated customers in India and China.
  - g. As regards supplementary questionnaire to receive market economy treatment, the same has not been filed by Nantong.

### **E.2 Views of the domestic industry**

20. The following submissions have been made by the domestic industry with respect to confidentiality:
- a. The exporter has claimed excessive confidentiality over the name of its shareholders and financial statements even though the company is listed on Shanghai Stock Exchange.
  - b. Name of primary raw materials and channel of distribution has been claimed confidential without providing any justification.
  - c. Questionnaire requires exporter to provide documents pertaining to its sales. While the documents may be confidential, there can be nothing confidential about the name of documents which have been claimed confidential.
  - d. The kind of adjustments made to normal value and export price have been unduly claimed confidential by the exporter.
  - e. A meaningful summary of Appendix 1 has not been provided. It does not clearly show trends in properly indexed format.
  - f. Response to questions regarding exporter's capacity, production, inventories, exports in Part II of the questionnaire concerning sunset review have been completely claimed confidential without providing a reasonable summary.
  - g. Chinese producers rebutting non-market economy presumption are required to file a supplementary questionnaire. The exporter has provided details of domestic sales and requested that the same may be used to determine normal value. The domestic industry has not received a non-confidential version of response to supplementary questionnaire, if it has been filed.
  - h. The exporter's objection on confidentiality is time-barred and untenable. The Authority has given specific time limits to the interested parties to comments on confidentiality. If some parties fail to adhere to such

directions, the Authority should not accept their time barred submissions. made which are already.

i. As regards confidentiality claimed over the market report, the applicant fully complied with Rule 7. The name of the market report was disclosed in the application; the source of the report was identified in the written submissions; and all information derived from the report was included in the non-confidential version of the application. The Applicant claimed confidentiality over the report itself since it has been procured through third party, and the applicant is not authorized to publicly disclose the document. Due justification for confidentiality claimed was provided by the applicant.

### **E.3 Examination by the Authority**

21. The Authority made available the non-confidential version of the information provided by the various parties to other interested parties as per Rule 6(7). With regard to confidentiality of information submitted by the interested parties, Rule 7 of the AD Rules provided as follows:

*“Confidential Information:*

*(1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7) of rule 6, sub-rule (2) of rule 12, sub-rule (4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any Other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such Information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.*

*(2) The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarization is not possible.*

*(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the Information public or to authorize its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information.”*

22. The information provided by the interested parties on a confidential basis was examined with regards to sufficiency of such claims. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to the other interested parties. Wherever possible, the parties providing information on a confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on a confidential basis. The Authority also notes that all interested parties have claimed their business-related sensitive information as confidential.

23. The Authority *vide* para 32 of the initiation notification, directed interested parties to offer their comments on issues regarding confidentiality claimed within 7 days of receiving the non-confidential version of any submission.

24. The domestic industry contended that the exporter has claimed undue confidentiality over its financial statements and list of its shareholders despite being a listed entity and such information being available in public domain. The domestic industry also argued that the exporter has claimed the names of major raw materials confidential despite such information being available in its annual report which is a published document. It has further been argued that the exporter claimed undue confidentiality over its channel of distribution even though such information can be inferred from the exporter's response itself. The Authority notes in response to the domestic industry's comments on confidentiality, the exporter *vide* letter dated 5<sup>th</sup> September 2025, submitted a list of its top 10 shareholders, financial statements, key raw materials *viz.*, diketene and methanol, and channel of distribution.

25. The domestic industry also argued that while the absolute figures may be confidential, but the kind of adjustment made to normal value and export price claimed *per se* cannot be claimed as confidential. It is seen that in response, the exporter has disclosed that it claimed adjustment of ocean freight, insurance, inland transportation, credit

cost and bank charges in Appendix 3A.

26. It was pointed out by the domestic industry that the exporter did not furnish a meaningful summary of information on its performance parameters and relevant questions in Part II of the questionnaire concerning sunset review. However, it is seen that while the response of the exporter did not contain a meaningful summary, the same was subsequently provided in duly indexed form by the exporter. The domestic industry thereafter submitted its comments on the performance of the exporter based on such non-confidential summary.

27. As regards the domestic industry's query regarding non-receipt of a non-confidential version of the exporter's response to supplementary questionnaire requesting market economy treatment, the Authority notes that the exporter has clarified that it has not filed the supplementary questionnaire and hence, the same was not shared with the domestic industry. However, the exporter submitted the without prejudice, it claims market economy treatment based on the response submitted. The details of submissions made in this regard have been recorded by the Authority in the relevant section of this Final Finding.

28. The exporter raised concerns about the confidentiality claimed by the exporter over the market report relied on by the domestic industry. It has been submitted that the domestic industry has, without any justification, neither submitted a non-confidential of the cited market report nor offered a summary of its contents. The domestic industry, relying on the decisions in US — Hot-Rolled Steel, Panel on US — Corrosion-Resistant Steel Sunset Review and Appellate Body report on US — Oil Country Tubular Goods Sunset Reviews, has submitted that such claim on confidentiality has been submitted much after the deadline to file confidentiality comment and is thus time barred and untenable. While the Authority notes that the submission is time-barred, having regard to the significance of the argument put forth, the Authority has nevertheless addressed the exporter's submissions.

29. It is seen that the domestic industry disclosed the name of the market report i.e., "*Methyl Acetoacetate Market in China: Investment Feasibility Assessment Report 2025-2030*" at para 113 of the application. No confidentiality was claimed over the name of the report in the non-confidential version of the application. Further, taking note of the objection raised by the exporter, the domestic industry disclosed the source of the report i.e., VynZ Research, at para 77 of its written submissions dated 15<sup>th</sup> October 2025. The domestic industry clarified that all information derived/ extracted or relied upon from the said report was included in the non-confidential version of the application. Thus, information considered from the market research report has been disclosed. It is noted that the Authority has also considered reports by VynZ Research in other past investigations including sunset review investigation of countervailing duty on imports of atrazine from China PR and sunset review investigation of anti-dumping duty on CPVC – whether or not further processed into compound from China PR and Korea RP.

30. As regards the reliance placed by the exporter on All India Laminated Fabrics Manufacturers Association v. Designated Authority where the CESTAT ordered for withdrawal of duty, holding that the report could not be taken into consideration due to its reliability and authenticity being suspicious, the Authority takes note of the domestic industry's submission that the reference made is misplaced. While in the case referred by the exporter, the domestic industry had relied on a report but did not disclose the author, source, and data source, the domestic industry in the present case has identified the name of the report i.e., "*Methyl Acetoacetate Market in China: Investment Feasibility Assessment Report 2025-2030*", its source i.e., "VynZ Research" and has placed on record sufficient general summary of all data relied on that was derived from the report. Hence, the exporter's right to defense has not been breached.

31. As regards the argument of lack of due justification for claiming confidentiality over the market report, the Authority notes that since the report has been procured by the domestic industry through third party, it is not authorized to publicly disclose the document. Due justification has been provided by the domestic industry for claiming such confidentiality over the report in the application.

32. The exporter has argued that there is lack of inconsistency between the investment claims of the domestic industry. With regard to the investment claims, it is noted that the domestic industry has submitted through its written submissions that it has received an approval of capital expenditure of Rs. 710 Crores and is in the process of seeking further approvals.

33. It has been submitted by the exporter that no reliance can be made on applicant's statements regarding

investing further on the subject goods and requested the Authority to seek evidence for the same. The domestic industry, through its subsequent submissions, placed on record a public disclosure made by it regarding approval of a capital expenditure of Rs. 710 Crores for setting up a new manufacturing site at Dahej, Gujarat where methyl acetoacetate is one of the products proposed to be manufactured. The domestic industry also provided a copy of the environment clearance received by it for the said manufacturing site. It is seen from the environment clearance that the subject goods are one of the products proposed to be manufactured at the said site. Additionally, the domestic industry clarified that it is in the process of seeking approval from the Board for adding additional investment.

## **F. MISCELLANEOUS SUBMISSIONS**

### **F.1 Views of the other interested parties**

34. The following miscellaneous submissions have been made by the other interested parties:

- a. The Applicant's request for sampling of exporters is unnecessary and unreasonable as there is only one participating exporter.
- b. Termination of duty is the norm while continuation is an exception. There do not exist any exceptional circumstances calling for continuation of duty. The duties have been in force for 9 years, Jubilant has entered the market, imports from Switzerland have increased.
- c. Taking 21-22 as the base year and comparing it with successive years will show manipulated analysis of injury as demand in base year was high due to Covid.
- d. The applicant has claimed bracketing was missing in the non-confidential version of Jubilant's injury information and the same has been corrected. There is possibility of manipulation of data. The Authority is requested to call for evidence.
- e. The applicant wouldn't commit investment if it was impacted by subject imports. Investment is a strategic move for extending the duties.

### **F.2 Views of the domestic industry**

35. The following miscellaneous submissions have been made by the other interested parties:

- a. The applicant inadvertently omitted the negative sign or brackets while presenting Jubilant's performance parameters indicating profitability. The revised injury information was circulated with the written submissions.
- b. As regards, termination of duties being the norm, Rule 23(1B) provides that duty shall cease unless its expiry is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury. Information on record sufficiently demonstrates the existence of such likelihood and establishes that dumping has continued, injuring the domestic industry.
- c. As regards the duration of duties, the WTO Agreement mandates that duty shall remain in force as long and to the extent necessary. The law only requires the Authority to assess the need for extension of the measures as required. The duties may remain in force for a period more than or less than five-years. The law does not mention an upper limit. WTO member countries have kept duties for much longer period than the present duration.

### **F.3 Examination by the Authority**

36. While the domestic industry requested for sampling keeping in view the large number of producers in the subject country, since only one exporter has registered itself as an interested party in the present investigation, the Authority has not resorted to sampling.

37. As regards the contention of the exporter that termination of duty is the norm, the Authority notes that Rule 23(1B) of the AD Rules provides that "*... any definitive anti-dumping duty levied under the Act, shall be effective for a period not exceeding five years from the date of its imposition, unless the designated authority comes to a conclusion, on a review initiated before that period on its own initiative or upon a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry, within a reasonable period of time prior to the expiry of that period, that the*

*expiry of the said anti-dumping duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.*” Thus, when there is evidence of expiry of the anti-dumping duty likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry, then such duties are required to be extended. Similarly, as regards the contention regarding the duration of duties, the Authority notes that the AD Rules do not provide an upper limit on the duration of duties. The very purpose of the present sunset investigation is to examine whether the cessation of duty would be likely to result in continuation or recurrence of dumping and injury. Accordingly, the Authority has noted information relating to dumping and injury under the relevant sections of this Final Finding.

38. The exporter has raised concerns about the appropriateness of considering 2021 – 2022 as the base year on the ground that demand during this period was impacted by Covid-19. In this regard, the Authority notes that, having regard to the timelines applicable to a sunset review investigation, the domestic industry filed an application proposing January 2024 – December 2024 as the POI, which was found appropriate by the Authority. Accordingly, the injury period considered was 2021-22, 2022-23, 2023-24 and the POI. The Authority further notes that Trade Notice 02/2004 requires that an application should invariably contain information and data relating to the proposed POI and previous three financial years. In view of the said requirement, exclusion of 2021 – 2022 from the injury investigation period was not feasible. As regards the exporter’s contention that comparison with the base year would reflect manipulated analysis of injury, the Authority has examined the interested parties’ submissions on injury under the relevant section of this Final Finding where due caution has been undertaken to examine the performance of the domestic industry in the POI.

39. The domestic industry clarified in its written submissions, filed pursuant to the first hearing, that it inadvertently omitted brackets while presenting the non-confidential version of Jubilant’s performance parameters and consequently indicated profits. It is seen that the domestic industry while giving such clarification, revised the non-confidential version of Jubilant’s injury information and duly circulated the same with the other interested parties. It is noted that Jubilant while providing its support letter also shared information on its actual performance with the domestic industry. Confidential version of the same was placed on record by the domestic industry. A perusal of the confidential version of the injury information that the producer had, in fact, reflected losses. Further, to examine the veracity of the information placed on record and addressing the alleged inconsistencies in Jubilant’s performance, the Authority sought relevant backup information from Jubilant for verification. The verified information from Jubilant indicates that, during the injury period, the producer’s sales realizations were below its cost of production, resulting in losses. In light of the foregoing, the Authority holds that there is no basis to conclude that the injury data relating to Jubilant has been manipulated by the domestic industry.

40. The exporter has argued that further investment by the domestic industry is a strategic move to extend duties. In this regard, the domestic industry has submitted that the imposition of duties enabled stabilization of the market, reversal of losses, and reasonable profitability, which in turn also facilitated entry of a new producer and further investment. The Authority notes that the argument made by the exporter is a mere statement and no evidence has been submitted to prove that an investment of this scale was merely a strategic move to influence the continuation of duties.

## **G. ASSESMENT OF DUMPING AND DETERMINATION OF NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DUMPING MARGIN**

### **G.1. Views of the other interested parties**

41. The following submissions have been made by the other interested parties with regard to the normal value, export price and dumping margin:

a. Nantong Acetic Acid is a listed company in China PR. It makes its production, sales, procurement decisions based on market principles, determined by demand-supply relationships and is free from any non-market intervention. The company operates with higher degree of transparency, governance compliance, and openness, distinguishing it from non-listed companies.

b. The Authority is requested to grant the company market economy status for the purpose of determining normal value. Denying market economy treatment, despite the fulfilment of the prescribed criteria, would be unjust and contrary to the interests of Nantong considering major imports from China is made by Nantong itself.

- c. To establish a fair ex-factory comparison between normal value and export price, the exporter has claimed adjustments on account of inland freight and credit costs in case of domestic sales and ocean freight, insurance, inland freight, credit costs, and bank charges in case of export sales.
- d. There is no irrecoverable VAT amount for price adjustment.
- e. The applicant has asked to verify contradictory claims made before the Chinese and Indian customs authority by the exporter. Such requests are too far-fetched. Further, completeness test with respect to all operations of the company is uncalled for. The exporter has no intention of manipulating data.
- f. Given the fact that exporter is the only responding party with majority exports to India, Nantong's data should be considered for calculation of normal value, export price and dumping margin.
- g. The Authority is requested to continue the previous duty if at all there is positive determination of continuation of the duty.
- h. Volume of subject imports should be assessed over the current injury period to determine whether dumping has occurred.

## **G.2. Views of the domestic industry**

42. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to the normal value, export price and dumping margin:

- a. China should be treated as non-market economy. Its domestic prices and cost cannot be considered unless the exporter demonstrates that costs and domestic prices are appropriate and reasonable reflect the costs and price of the PUC. Normal value for China PR has to be determined in terms of para 7 of Annexure I of the Rules.
- b. To estimate normal value, attempts were made to get evidence of price prevailing in market economy third countries, however, no published information was found. Attempts were made to construct normal value in market economy third country but could not be done due to lack of information. Imports from third country to any other country could not be considered as the product does not have a dedicated customs classification globally. Further, imports from other countries to India could not be considered as, apart from the China, imports are from Switzerland, which are also at dumped prices and subject to a parallel investigation. Further, price paid in India is impacted by dumping. Therefore, normal value has been estimated based on price payable in India considering the cost of production in India, including selling, general, administrative expenses and a reasonable profit.
- c. Nantong has provided details of domestic sales and requested Authority to use the same for normal value determination. However, since the exporter has not filed a response to the market economy treatment questionnaire, Authority should determine normal value as per Para 7 of Annexure I to the Rules.
- d. Ex-factory export price has been estimated based on volume and value of imports as per secondary source data. Adjustment on account of ocean freight, marine insurance, port expenses, bank charges, and inland freight expenses have been made.
- e. Authority is requested to examine if the exporter has reported all the expenses incurred by them in exporting the product. Price adjustments must be made for all factors which affect price comparability between normal value and export price.
- f. Previously, the Authority adjusted for VAT differences which has not been reported as a price adjustment recently. The Authority should make necessary price adjustments to ensure comparability between normal value and export price.
- g. The Authority is requested to verify export volumes and values reported by the exporter against data from DGCI&S and DG Systems, reject questionnaire response and use facts available when claims don't match Indian customs data, and examine – invoices submitted to Chinese and Indian customs authorities, accounting invoices

used to report income and expense, payment proof, including bank statements and party account records. The response should be rejected if an exporter reports conflicting prices to Chinese and Indian customs, and if exporters fail to provide sufficient proof of payment from Indian buyers.

h. Excel files alone are not sufficient evidence of adjustments. To establish accuracy and adequacy, they must be supported by relevant documents. The Authority should direct exporters to furnish necessary information with evidence.

i. The Authority is requested to conduct a completeness test of the exporter's EQR, covering all company operations and those specifically related to the PUC.

j. Being listed does not establish that a company operates under market-economy conditions. Listing on a stock exchange does not, by itself, remove state influence or control, nor does it demonstrate that prices, costs, and financial decisions are determined solely by market forces.

k. An analysis of the exporter's annual report indicates that at least 19% of its shareholding is held by state-owned entities, which further evidence state participation and potential influence in its management and operations.

l. Nantong had participated in the previous investigations on the subject goods as well but did not seek market-economy treatment, nor was it ever granted such treatment. It has also not demonstrated any change in circumstances which now justifies it being granted market-economy treatment.

m. The volume of exports made by the exporter is immaterial to the determination of market economy treatment.

n. As regards Nantong not dumping in India, the margins may be determined by the Authority. As per the applicant's estimates the margins are significant. Hence, it is not true that the exporter is not indulging in dumping.

### G.3. Examination by the Authority

#### a. Normal value

43. Under Section 9A (1)(c), normal value in relation to an article means:

i. *The comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article, when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6), or*

ii. *When there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either-*

a. *comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*

b. *the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6);*

*Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely trans-shipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.*

44. Article 15 of China's Accession Protocol in WTO provides as follows:

*" Article VI of the GATT 1994, the Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 ("Anti-Dumping Agreement") and the*

*SCM Agreement shall apply in proceedings involving imports of Chinese origin into*

*a WTO Member consistent with the following:*

*(a) In determining price comparability under Article VI of the GATT 1994 and the Anti-Dumping Agreement, the importing WTO Member shall use either Chinese prices or costs for the industry under investigation or a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China based on the following rules:*

*(i) If the producers under investigation can clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of that product, the importing WTO Member shall use Chinese prices or costs for the industry under investigation in determining price comparability;*

*(ii) The importing WTO Member may use a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China if the producers under investigation cannot clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale of that product.*

*(iii) In proceedings under Parts II, III and V of the SCM Agreement, when addressing subsidies described in Articles 14(a), 14(b), 14(c) and 14(d), relevant provisions of the SCM Agreement shall apply; however, if there are special difficulties in that application, the importing WTO Member may then use methodologies for identifying and measuring the subsidy benefit which take into account the possibility that prevailing terms and conditions in China may not always be available as appropriate benchmarks. In applying such methodologies, where practicable, the importing WTO Member should adjust such prevailing terms and conditions before considering the use of terms and conditions prevailing outside China.*

*(iv) The importing WTO Member shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (a) to the Committee on Anti-Dumping Practices and shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (b) to the Committee on Subsidies and Countervailing Measures.*

*(v) Once China has established, under the national law of the importing WTO Member, that it is a market economy, the provisions of subparagraph (a) shall be terminated provided that the importing Member's national law contains market economy criteria as of the date of accession. In any event, the provisions of subparagraph (a)(ii) shall expire 15 years after the date of accession. In addition, should China establish, pursuant to the national law of the importing WTO Member, that market economy conditions prevail in a particular industry or sector, the non-market economy provisions of subparagraph (a) shall no longer apply to that industry or sector."*

45. The Authority notes that while the provisions of Article 15 (a)(ii) of China PR's Accession Protocol have expired with effect from 11th December 2016. However, the provision under Article 2.2.1.1 of the Anti-Dumping Agreement read with obligation under 15(a)(i) of the Accession Protocol require criterion stipulated in Para 8 of the Annexure I of Anti-Dumping Rules to be satisfied through the information/data to be provided in the supplementary questionnaire for claiming market economy status.

46. At the stage of initiation, the Authority constructed the normal value for China PR based on best estimates of the cost of production of the domestic industry after duly adjusting the selling, general and administrative expenses and profits. Upon initiation, the Authority advised the producers/ exporters in China PR to respond to the notice of initiation and provide information relevant to determination of their market economy status. The Authority sent copies of the supplementary questionnaire to all the known producers/ exporters for rebutting presumption of non-market economy in accordance with criteria laid down in Para 8(3) of Annexure-I to the Rules and furnish relevant detailed information.

47. The Authority notes the following provisions under Para 7 and Para 8 of Annexure-I to the Rules with regard to the determination of normal value for producers in China PR

“7. In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in a market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India, or where it is not possible, on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duty adjusted, if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy third country shall be selected by the designated authority in a reasonable manner [keeping in view the level of development of the country concerned and the product in question] and due account shall be taken of any reliable information made available at the time of the selection. Account shall also be taken within time limits; there appropriate, of the investigation if any made in a similar matter in respect of any other market economy third country. The parties to the investigation shall be informed without unreasonable delay of the aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments.

“8. (1) The term “non-market economy country” means any country which the designated authority determines as not operating on market principles of cost or pricing structures, so that sales of merchandise in such country do not respect the fair value of the merchandise, in accordance with the criteria specified in subparagraph (3).

(2) There shall be a presumption that any country that has been determined to be, or has been treated as, a non-market economy country for purposes of an antidumping investigation by the designated authority or by the competent authority of any WTO member country during the three-year period preceding the investigation is a non-market economy country. Provided, however, that the non-market economy country or the concerned firms from such country may rebut such a presumption by providing information and evidence to the designated authority that establishes that such country is not a non-market economy country on the basis of the criteria specified in sub-paragraph (3)

(3) The designated authority shall consider in each case the following criteria as to whether: (a) the decisions of the concerned firms in such country regarding prices, costs and inputs, including raw materials, cost of technology and labour, output, sales and investment, are made in response to market signals reflecting supply and demand and without significant State interference in this regard, and whether costs of major inputs substantially reflect market values: (b) the production costs and Financial situation of such firms are subject to significant distortions carried over from the former non-market economy system, in particular in relation to depreciation of assets, other write-offs, barter trade and payment via compensation of debts: (c) such firms are subject to bankruptcy and property laws which guarantee legal certainty and stability for the operation of the firms, and (d) the exchange rate conversions are carried out at the market rate. Provided, however, that where it is shown by sufficient evidence in writing on the basis of the criteria specified in this paragraph that market conditions prevail for one or more such firms subject to anti-dumping investigations, the designated authority may apply the principles set out in paragraphs 1 to 6 instead of the principles set out in paragraph 7 and in this paragraph.

(4) Notwithstanding, anything contained in sub-paragraph (2), the designated authority may treat such country as market economy country which, on the basis of the latest detailed evaluation of relevant criteria. which includes the criteria specified in sub paragraph (3), has been, by publication of such evaluation in a public document, treated or determined to be treated as a market economy country) for the purposes of anti-dumping investigations, by a country which is a Member of the World Trade Organization.

48. At the stage of initiation, the Authority proceeded with the presumption of treating China PR as a non-market economy country. Upon initiation, the Authority advised the producers / exporters in China PR to respond to the notice of initiation and provide information on whether their data/information could be adopted for normal value determination. The Authority sent copies of the market economy treatment / supplementary questionnaire to all the known producers/ exporters in China PR to provide relevant information in this regard.

49. Nantong Acetic Acid, a producer in China, registered itself in the present investigation and filed a response to the exporters' questionnaire. The exporter has submitted that it meets the criteria for market economy treatment as it is a listed entity, its business decisions are driven by demand-supply dynamics, there is no significant state interference, and its operations align with international standards of corporate governance. Accordingly, the exporter has requested

that it may be granted market economy treatment for the purposed of this investigation. However, while the exporter was well aware that it was required to submit a Market Economy Questionnaire, it has admittedly not filed supplementary questionnaire response to rebut the presumptions as mentioned in para 8 of Annexure – I of the Rules. Upon domestic industry's submission insisting MET questionnaire, the exporter had simply denied filing of MET questionnaire response without providing any reasons. In this regard, the Authority also notes the domestic industry's submissions that the mere fact that the company is listed does not establish that it operates under market-economy conditions. It has been pointed out by the domestic industry that the exporter's annual report indicates at least 19% of its shareholding is held by state-owned entities. Further, the exporter also participated in the previous investigations but did not seek market-economy treatment. It has not demonstrated any change in circumstances that would now justify it being granted market-economy treatment. In view of the established practice of the Authority, the exporter's claim of market economy status, in the absence of the required information, is therefore rejected. The Authority considers it appropriate to treat China PR as non-market economy country in the present investigation and proceed with para 7 of Annexure – I of the Rules for determination of normal value in case of China PR.

50. Paragraph 7 stipulates multiple plausible methods for calculating the normal value for producers in non-market economy, including (a) on the basis of price or constructed value in a market economy third country ; (b) price from such a third country to other country, including India; and (c) on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted, if necessary, to include a reasonable profit margin. The Authority notes that the normal value is required to be determined having regard to various sequential alternatives provided under Annexure 7.

51. No information has been provided by the parties for the consideration of the normal value on the basis of the price or constructed value in the market economy third country. Thus, normal value cannot be determined based on price prevailing in market economy third country. Further, the price of imports into other countries could not be considered as the product is being transacted under different codes. As regards imports into India, it is seen that the imports of the subject goods in the POI are entering the country from China PR and Switzerland. While imports from Switzerland constitute 37% of the total imports into India and such imports are subject to a parallel anti-dumping investigation. Thus, imports from market economy third country into other countries, including India, could not be considered for determination of normal value.

52. In the absence of the above information/evidence before the Authority to determine normal value, the Authority has determined normal value for all exporters/producers from China PR based on "any other reasonable basis including the price actually paid or payable in India" as stipulated in para 7 of Annexure – I to the AD Rules, 1995. Hence, normal value has been computed based on the cost of production of the domestic industry, with reasonable addition for selling, general and administrative expenses and profit margin. The normal value so determined is given below in the dumping margin table.

**b. Export Price**

53. The response filed by the exporter has been examined hereunder:

Nantong Acetic Acid Chemical Co., Ltd

54. The Authority notes that only Nantong Acetic Acid Chemical Co., Ltd. filed a response to the exporter's questionnaire in the present investigation. It is a producer/exporter of the subject goods in China and has exported the product under consideration directly to unrelated customers in India during the POI. It is noted that during the POI, Nantong Acetic Acid Chemical Co., Ltd, China has exported \*\*\* MT of subject goods directly.

55. The Authority has examined the details of the exports given in the questionnaire response filed by the producer/exporter. While \*\*\* MT of the sales to Indian customers are on CIF basis, the remaining \*\*\* are on FOB basis. The exporter has claimed adjustments on account of ocean freight, marine insurance, credit cost, bank charges and inland freight expenses in case of CIF exports and adjustments on account of credit cost, bank charges and inland freight expenses in case of FOB exports. The Authority has taken into consideration the expenses as claimed by the exporter in estimating its export price. The net export price worked out by the Authority is as shown in the Dumping Margin Table below.

Other producers/ exporters in China

56. The export price for all other non-cooperative producers/exporters from China PR has been determined based on facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules and the same is mentioned in the Dumping Margin Table below.

**c. Dumping Margin**

57. The normal value, ex-factory export price and dumping margin determined for the subject country are as follows:

**DUMPING MARGIN TABLE**

Producer	Normal Value (US\$/MT)	Export Price (US\$/MT)	Dumping Margin (US\$/MT)	Dumping Margin (%)	Dumping Margin (Range)
Nantong Acetic Acid Chemical Co., Ltd.	***	***	***	***	30-40
Others	***	***	***	***	40-50

58. The Authority holds that the dumping margin in the POI is positive, above de-minims and significant.

**H. ASSESSMENT OF INJURY**

**H.1. View of the other interested parties**

59. The following submissions have been made by the other interested parties the with regard to injury and causal link:

- a. Demand in base year was high due to Covid. With subsequent decline in demand, Applicant's sales declined.
- b. There is no volume injury. Volume from subject country has declined. Domestic sales decreased in 20-21 and increased to the level of base year in the POI. The demand was high in base year due to Covid and decreased subsequently. At the same time, sales of applicant increased in the last two years, matching the levels in base year. Further, imports from Switzerland have increased which shows its intention to dump. Even when imports fell, profits of the applicant have decreased.
- c. There is no price injury. Decrease in domestic selling price is in consonance with cost.
- d. Price undercutting calculation provided does not include existing duty. Undercutting for Nantong is negative after inclusion of duty.
- e. Since anti-dumping duties are not applicable under the advance license scheme, imposing such duties on the subject imports would be ineffective. Even if the duties continue, they will not benefit the domestic industry, given that most imports bypass them through this scheme.
- f. Authority is requested to verify the allocated cost to the PUC as the applicant is a multi-product company, and their cost may overlap with NPUC. Any faulty allocation shall prove extremely detrimental to the interest of Nantong.
- g. The applicant's capacity has remained same and utilization shot up in POI. However, production quantity of PUC has decreased. Even when utilization increased by 26 points in 23-24, production only increased by 6 points.
- h. Applicant's market share increased substantially while that of China declined. Jubilant has also been able to get good hold of the market. Further, market share of Switzerland has also increased.
- i. If the applicant's claim of dumping were true, Jubilant wouldn't have invested and entered the market. Companies typically assess market conditions and potential profitability before entering any industry. The

Authority must seek projected profits from Jubilant and compare it with actual performance.

- j. While profits fell from base year to 23-24, the same increased considerably in the POI. Even when profits dipped prior to POI, the same did not turn into losses except during 23-24. Further, 21-22 profits cannot be relied upon due to applicant earning extraordinary profits during Covid.
- k. Decline in import prices was not exclusive to the subject imports. The same was a global phenomenon due to the decreasing demand of the PUC which is majorly used in pharmaceuticals given the end of the COVID-19 pandemic.
- l. Increase in inventory is due to decrease in export and not domestic sales.
- m. The Applicant has flourished in the market and has received elongated protection.
- n. The Authority must examine other factors including dip in profit due to decrease in export, impact of Covid in the base year, entry of Jubilant, increase of Switzerland's market share.
- o. Authority is requested to verify the allocated cost to the PUC as the applicant is a multi-product company, and their cost may overlap with NPUC. Any faulty allocation shall prove extremely detrimental to the interest of Nantong.
- p. The applicant is selectively using data from the previous investigation to claim volume-related injury, which is not supported by the data for the current injury period.
- q. Applicant has provided no evidence against the claim that the subject country has absorbed their duties.
- r. The domestic industry has acknowledged that it did not fully utilize the benefits of the previous ADD, indicating that any injury it claims to have suffered is largely self-inflicted. Having failed to act when the duty was in place, the Applicant's current attempt to seek an extension appears opportunistic and unfair to exporters.

## H.2 Views of the domestic industry

60. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to injury and causal link:

- a. Dumped imports continue to cause material injury to the domestic industry, despite duties being in place.
- b. The demand for subject goods was high in base year, during the COVID-19 pandemic, due to its use in APIs, before returning to normal levels. However, historical trend shows demand has increased by \*\*\*% from the original investigation's base year to the present POI. Demand has remained stable compared to the POI of the first sunset review.
- c. The volume of subject imports, in absolute and relative terms, declined throughout injury period due to commencement of production by Jubilant. Imports constitute 57% of the total imports and \*\*\*% of demand.
- d. Imports constitute a significant portion of total imports. AD Agreement considers a volume of 3% as significant enough to initiate an investigation. The European Commission, for initiation, considers a market share of 1% or more also sufficient.
- e. Price undercutting was positive throughout the injury period, except in 2022-23. The price gap has widened significantly over the injury period.
- f. The landed value went even below the cost in 2023-24 and the POI.
- g. Significant imports are being made under advance authorisation scheme where ADD and basic customs duty is not payable. Such prices are also benchmarking the prices in the domestic market, thereby impacting the selling price of the domestic industry.
- h. Dumped imports caused price depression in the market. Both costs and domestic selling prices declined, but the decline in selling price was higher than that in cost. Further, there was an even sharper decline in the landed price forcing domestic industry to reduce its price.

- i. Capacity of domestic industry remained constant, while its production volume showed a decline. Sales volume has increased in the POI as a result of decline in price.
- j. While China's market share declined, it remains highly significant at \*\*\*\*% and is higher than the \*\*\*\*% share in the last sunset review investigation.
- k. The domestic industry was profitable when import prices were above cost of production. As imports price declined in 2022-23 and further in 2023-24, profits of the domestic industry turned into losses, with only a marginal recovery in the POI.
- l. The average inventory levels increased significantly, barring a minor decline in 2023-24.
- m. Level of employment declined till 2023-24 and thereafter it remained constant. Salaries and wages also declined throughout the period. Productivity per day fell in line with reduced production.
- n. Growth of the domestic industry has been adversely impacted by the dumped imports, in reference to volume and price parameters.
- o. Imports from subject country account for a significant portion of market. Consequently, domestic industry could not increase its market share.
- p. Imports from the subject country are not only below the selling price offered by the domestic industry but also below the cost of sales which has resulted in decline in profitability to the domestic industry.
- q. The pattern of consumption with regard to the product under consideration has not undergone any change.
- r. The applicant is not suffering injury due to the availability of substitutes.
- s. Technology as well as the production process for producing the PUC has not undergone any significant development.
- t. There is no trade-restrictive practice.
- u. The injury data reflects only the domestic operations of the industry, with any impact from exports excluded.
- v. The price at which duty-free imports are made show the price at which the goods are likely to be imported in the event of cessation of anti-dumping duty.
- w. Duty free imports have an impact on the domestic industry's prices, and its effect has been considered by the Authority in both the past investigations.
- x. The DGTR has recommended imposition or extension of ADD even after finding that significant or entirety of imports were under advance authorization.
- y. Mere existence of negative price undercutting does not imply absence of price injury. The Authority has also recommended duties in several cases where the price undercutting was negative. Between price undercutting and suppression/depression, one of the parameters may be present.
- z. Jubilant has also been able to achieve volumes and get some market by selling at significant losses. The producer has not even reached break-even point.
- aa. As regards the argument that there is absence of volume injury, the applicant's price parameters have deteriorated sharply. Sales have increased at the cost of profitability. Despite duties being in place and fresh capacities coming up in India, subject imports are being dumped and maintain a significant share of the market. The decline in profitability directly correlates with the decline in import price.
- bb. While from the NCV of injury information it may look like there has been a considerable increase in profit in the POI, the applicant sold at prices marginally above cost. The marginal profits of \*\*\*\*% do not signify recovery.
- cc. The exporter's claim that the applicant has "flourished in the market" is contradictory to what the data demonstrates. It is not denied that the duties were effective, and the domestic industry made reasonable profits in the last review investigation. However, in the present investigation, there has been a steep decline in import

prices and the domestic industry has started suffering injury.

dd. The applicant's performance continues to be adverse and its position remains vulnerable, justifying continuation of duties.

### H.3. Examination by the Authority

61. Rule 11 of the Rules read with Annexure II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, "...taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on the domestic producers of such articles...". In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, inventory, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure II of the Rules.
62. Rule 23 of the Rules provides that the provisions of Rule 6,7,8,9, 10, 11, 16, 18, 19 and 20 shall apply mutatis mutandis in case of a review. In case the performance of the domestic industry shows that it has not suffered injury during the current injury period, the Authority shall determine whether cessation of the present duty is likely to lead to continuation or recurrence of injury to the domestic industry.
63. The domestic industry has alleged that it continues to suffer material injury due to dumped subject imports. The Authority has taken note of submissions made by all interested parties and has hereunder examined the injury to the domestic industry in accordance with the Rules.

#### H.3.1. Volume effect of the dumped imports

##### a. Assessment of demand/consumption

64. The Authority has defined, for the purpose of the present investigation, demand, or apparent consumption of the subject goods in India as the sum of domestic sales of the domestic industry, domestic sales of the other domestic producer and imports from all sources. The demand for the PUC is as follows.

Particulars	Unit	2021-22	2022-23	2023-24	POI
Imports from China PR	MT	7,228	5,569	4,022	2,045
Imports from Switzerland	MT	174	0	600	1,220
Imports from other countries	MT	613	112	0	0
Sales of domestic industry	MT	***	***	***	***
	<i>Indexed</i>	100	76	90	100
Sales of other domestic producer	MT	***	***	***	***
	<i>Indexed</i>	100	581	760	954
Demand/Consumption	MT	***	***	***	***
	<i>Indexed</i>	100	86	87	85

65. It is seen that the demand for the subject goods has declined in 22-23 and largely remained the same in 23-24 and the POI. The demand has declined by 15% over the injury period. The interested parties have argued that the demand was significantly high in the base year having the impact of COVID period as the product is used in pharmaceutical sector also.

##### b. Imports in absolute and relative terms

66. With regard to the volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in the dumped imports, either in absolute terms or in relation to production or consumption in India. For the purpose of the injury analysis, the Authority has relied upon the transaction-wise data procured from DG Systems. The information on volume of imports in absolute terms and relative terms over the injury period and in the period of investigation is as below.

Particulars	Unit	2021-22	2022-23	2023-24	POI
Imports from China PR	MT	7,228	5,569	4,022	2,045
Imports from Switzerland	MT	174	0	600	1,220
Imports from other countries	MT	613	112	0	0
Total Imports	MT	8,015	5,681	4,622	3,265
Indian Production	MT	***	***	***	***
	<i>Indexed</i>	100	90	108	123
Subject imports in relation to Indian production	%	***	***	***	***
	<i>Indexed</i>	100	85	52	23
Indian Consumption	MT	***	***	***	***
	<i>Indexed</i>	100	86	87	85
Subject imports in relation to Indian consumption	%	***	***	***	***
	<i>Indexed</i>	100	89	63	33
Subject imports in relation to total imports	MT	90%	98%	87%	63%

67. It is seen that the volume of imports from the subject country were at very high level in 2021-22 and have declined thereafter. While there has been a decline in subject imports in relative terms, the same continue to remain significant. Imports from Switzerland have increased and are subject to a parallel anti-dumping investigation.

### H.3.2 Price effect of dumped imports

68. In terms of Annexure II (ii) of the Rules, with regard to the effect of the dumped imports on prices, the Authority is required to consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.

#### a. Price undercutting

69. In order to determine whether the imports are undercutting the prices of the domestic industry in the market, price undercutting has been determined by comparing the net sales realization of the domestic industry with the landed price of the subject imports during the injury period. Analysis of the landed value of imports and prices of the domestic industry shows as follows.

Particulars	Unit	2021-22	2022-23	2023-24	POI
Landed value of imports	INR/ MT	1,88,545	1,45,317	1,12,116	1,05,158
Net sales realization	INR/ MT	***	***	***	***
	<i>Indexed</i>	100	75	65	60
Price undercutting	INR/ MT	***	***	***	***

	%	***	***	***	***
	% Range	0-10%	0-10%	10-20%	10-20%

70. It is seen that the landed value of imports is lower than the net sales realization of the domestic industry throughout the injury period. The price undercutting has been positive throughout.

71. It has been submitted by the domestic industry that a significant volume of the subject imports is entering the country under advance authorization scheme where no anti-dumping duty or basic customs duty is payable. The exporter has contended that since duties are not applicable under the advance license scheme, even if duties continue, they will not benefit the domestic industry. The Authority notes the submissions of the domestic industry in this regard that imports under duty exemption schemes have the effect of benchmarking the prices in the domestic market. It has also been submitted that the price at which duty-free imports are made during the POI, which are undercutting the domestic prices, show the price at which the goods are likely to be imported in the event of cessation of anti-dumping duty.

#### b. Price suppression or depression

72. In order to determine whether the dumped imports are depressing the domestic prices and whether the effect of such imports is to suppress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred in normal course, the changes in the costs and prices over the injury period, are compared as below.

Particulars	Unit	2021-22	2022-23	2023-24	POI
Cost of production	INR/ MT	***	***	***	***
	<i>Indexed</i>	100	85	74	68
Net sales realization	INR/ MT	***	***	***	***
	<i>Indexed</i>	100	75	65	60
Landed value of imports	INR/ MT	1,88,545	1,45,317	1,12,116	1,05,158
	<i>Indexed</i>	100	77	59	56

73. It is seen that cost of sales and selling price of the domestic industry have declined throughout the injury period. The exporter argued that domestic industry's selling price moved in consonance with cost. It is seen that while the cost declined by 32% over the injury period, the selling price of the domestic industry declined by 40%. However, the decline in the landed value of subject imports has been significantly higher than both the decline in cost and price of the domestic industry. The landed value of subject imports declined by 44% over the injury period. Landed price of imports declined below the level of cost since 2022-23 forcing the domestic industry to also lower its selling price significantly, indicating that the selling price has followed the movement of landed price of imports.

74. With respect to the decline in import price, the exporter submitted that such decline was a global phenomenon due to the decreased demand after COVID-19. However, it is seen that the landed value of imports has registered a year-on-year decline. Not only has the landed value declined since the base year, the same has also registered a decline of 28% even in comparison to 22-23. The domestic industry has submitted that it was forced to reduce its selling price beyond the decline in cost to maintain sales volumes. It has been submitted that due to the landed price of imports remaining below the selling price and the cost of sales since 2022-23, downward pressure was exerted on the domestic prices. The domestic industry was forced to decrease its selling price. The Authority holds that imports have had a depressing and suppressing effect on the domestic industry prices.

#### H.3.3 Consequent impact on economic parameters of the domestic industry

75. Annexure II to the Anti-Dumping Rules requires that the determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of dumped imports on domestic producers of such products. With regard to consequent impact of dumped imports on domestic producers of such products, the Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual

and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. Accordingly, the various injury parameters relating to the domestic industry are discussed herein below.

**a. Capacity, production, capacity utilization and domestic sales**

76. Information on capacity, production, capacity utilization and domestic sales over injury period is as follows:

Particulars	Unit	2021-22	2022-23	2023-24	POI
Installed capacity	MT	***	***	***	***
	<i>Indexed</i>	100	100	100	100
Total Production (PUC + NPUC)	MT	***	***	***	***
	<i>Indexed</i>	100	81	86	112
Capacity Utilization (PUC + NPUC)	%	***	***	***	***
	<i>Indexed</i>	100	81	86	112
Production of PUC	MT	***	***	***	***
	<i>Indexed</i>	100	64	71	77
Domestic sales	MT	***	***	***	***
	<i>Indexed</i>	100	76	90	100
Export sales	MT	***	***	***	***
	<i>Indexed</i>	100	51	26	26

77. It is seen that the capacity of the domestic industry has remained the same throughout the injury period. However, the volume of production of the subject goods by the domestic industry has declined over the injury period. The sales volumes of the domestic industry declined in 22-23 and increased thereafter. However, it is seen that the increase in sales volumes was achieved at the cost of suffering losses in 23-24 and earning negligible profits in the POI.

78. It has been argued that while the capacity remained same and utilization increased in the POI, the production quantity has declined. In this regard, it is seen that the applicant has reported a combined capacity for subject and non-subject goods. Accordingly, it also reported a combined production volume and the corresponding capacity utilization reflecting the same trend. However, the information on production of the subject goods followed the movement reported for domestic sales and has declined over the injury period with some increase in the POI.

**b. Market Share in Demand**

79. The market share of the subject imports and the domestic industry over the entire injury period was as follows:

Particulars	Unit	2021-22	2022-23	2023-24	POI
Domestic industry	%	***	***	***	***
	<i>Indexed</i>	100	89	103	118
Other Indian producer	%	***	***	***	***
	<i>Indexed</i>	100	676	875	1,127
Subject imports	%	***	***	***	***
	<i>Indexed</i>	100	90	64	33
Imports from Switzerland	%	***	***	***	***
	<i>Indexed</i>	100	0	397	828

Imports from other countries	%	***	***	***	***
	<i>Indexed</i>	100	21	0	0

80. It is seen that the domestic industry's market share declined in 2022-23 and increased thereafter. With Jubilant starting production in the base year, the market share of the Indian industry as a whole has also increased. Imports from the subject country, although declined, still account for a significant portion of the market.

**c. Profitability, Cash profits, and Return on Capital Employed**

81. The profit, profitability, cash profits, profit before interest (PBIT), and return on investment of the domestic industry over the injury period has been analysed as follows:

Particulars	Unit	2021-22	2022-23	2023-24	POI
Landed value of imports	INR/ MT	1,88,545	1,45,317	1,12,116	1,05,158
Cost of production	INR/ MT	***	***	***	***
	<i>Indexed</i>	100	85	74	68
Net sales realization	INR/ MT	***	***	***	***
	<i>Indexed</i>	100	75	65	60
Profit before tax	INR/ MT	***	***	***	***
	<i>Indexed</i>	100	2	-5	2
Profit before tax	INR lacs	***	***	***	***
	<i>Indexed</i>	100	1	-5	2
Cash profit	INR/ MT	***	***	***	***
	<i>Indexed</i>	100	24	17	20
Cash profit	INR lacs	***	***	***	***
	<i>Indexed</i>	100	18	15	20
Return on Capital Employed	%	***	***	***	***
	<i>Indexed</i>	100	5	3	8

82. It is seen that, as the landed value of imports declined, the domestic industry's profits also declined. Further, as the landed value of imports declined to levels even below cost, the domestic industry was forced to reduce its prices. Consequently, the domestic industry incurred losses in 2023-2024 and earned negligible profits in the period of investigation. Cash profits and the ROI of the domestic industry declined till 23-24 and increased in the POI. However, the performance of the domestic industry in terms of profitability remained adverse in the POI. It is seen that the ROCE of domestic industry was merely \*\*\*%.
83. The exporter has argued that profits of the domestic industry did not face losses, except in 23-24, and its profits increased considerably in the POI. While the non-confidential version of the domestic industry's injury information may reflect a considerable increase in profits in the POI, it is seen from the confidential data that the domestic industry's profits represented even less than \*\*\*% of the cost incurred in the POI.
84. It has further been argued that the profits in the base year cannot be relied upon due to extraordinary profit earning during Covid. It is seen that in the base year the landed value of imports was much above the cost of production. Similarly, the selling price of the domestic industry was above cost, and it was earning profits. However, with the entry of Jubilant in the market, there was a steep and consistent decline in landed value of imports. As the landed value fell even below cost, the applicant's selling price also declined.

**d. Inventory**

85. The data relating to inventory position of the domestic industry over the injury period and POI is given in the table below. It is seen that the average level of inventories with the domestic industry has increased significantly over the injury period. While the demand in the 23-24 and the POI was largely similar, the level of inventories with the domestic industry increased by 84%. It has been argued that the increase in inventory is due to decrease in export sale. However, it is seen that the inventory levels have increased significantly in the POI in comparison to the previous year, despite the domestic industry's export volumes being largely the same. It is noted that the domestic industry, in this regard, has submitted that it is not export oriented and hence, its performance is not materially impacted by exports.

Particulars	Unit	2021-22	2022-23	2023-24	POI
Opening Inventory	MT	***	***	***	***
	<i>Indexed</i>	100	1275	850	1854
Closing Inventory	MT	***	***	***	***
	<i>Indexed</i>	100	67	66	97
Average Inventory	MT	***	***	***	***
	<i>Indexed</i>	100	155	123	225

**e. Employment, Wages and Productivity**

86. The position with regard to employment, wages and productivity of the domestic industry is as follows. The Authority notes that the number of employees decreased from the base year to 2023-24 and increased in the POI. Consequently, salaries and wages paid also increased in the POI. Productivity levels of the domestic industry have increased.

Particulars	Unit	2021-22	2022-23	2023-24	POI
No. of employees	Nos.	***	***	***	***
	<i>Indexed</i>	100	82	75	90
Salaries and wages	Rs. Lacs	***	***	***	***
	<i>Indexed</i>	100	75	89	104
Productivity per day	MT	***	***	***	***
	<i>Indexed</i>	100	64	71	77
Productivity per employee	MT	***	***	***	***
	<i>Indexed</i>	100	78	96	85

**f. Growth**

87. It is seen that the price parameters of the domestic industry have registered a negative growth over the injury period.

Particulars	Unit	2022-23	2023-24	POI
Production (MT)	%	-36%	11%	7%
Domestic Sales (MT)	%	-24%	18%	11%
Average Inventory (MT)	%	55%	-21%	84%
PBT (Rs/MT)	%	-98%	-394%	-144%
Cash profits (Rs/MT)	%	-76%	-31%	22%

ROCE	%	-19%	0%	1%
------	---	------	----	----

**g. The magnitude of dumping margin**

88. It is seen that dumping margin from the subject country is not only more than de-minimis but also significant. The Authority holds that there is continued dumping of the subject goods from the subject country.

**H.3.4 Conclusion on Injury**

89. On the basis of the factors as examined above, the Authority proposes to conclude the following:

- a. The demand of the subject goods has declined over the injury period but remains largely similar to the demand in the previous investigation.
- b. The volume of subject imports has declined over the injury period but have increased since the previous investigation. Subject imports remains significant in absolute terms as well as in relation to Indian production and consumption.
- c. Imports are entering at a price below the selling price of the domestic industry and undercutting the domestic prices.
- d. The landed price of imports is below even the cost of sales of the domestic industry.
- e. The decline in landed value of imports was even higher than the decline in cost and forced the domestic industry to reduce its prices. Subject imports are depressing the domestic prices.
- f. Imports account for a significant portion of the market. The market share of imports have increased since the previous investigation.
- g. The sales volumes of the domestic industry increased at the cost of adversely suffering on account of profitability.
- h. With a decline in the landed value of imports over the injury period, the profits of the domestic industry have also declined.
- i. The return on capital employed of the domestic industry is almost negligible in the period of investigation.
- j. The level of inventories with the domestic industry has increased significantly over the injury period.
- k. The domestic industry has faced negative growth in price parameters and adverse growth in terms of volume parameters.
- l. There is continued dumping of the subject goods in India from China. The dumping margin is more than de minimis and significant.

**I. NON-ATTRIBUTION ANALYSIS (OTHER FACTORS)**

90. The Authority examined whether other factors listed under the anti-dumping Rules could have caused injury to the domestic industry. The Authority examined known factors other than the dumped imports and ascertain whether these are at the same time have been injuring the domestic industry, so that the injury caused by other, if any, is not attributable to the dumped imports. Factors which are relevant in this respect include, *inter alia*, the volume of subject goods not sold at dumped prices, contraction in demand or changes in the pattern of consumption, trade restrictive practices, changes in technology, the export performance of the domestic industry and the productivity of the domestic industry.

**a. Volume and price of imports from third countries**

91. The exporter has argued that imports from Switzerland have increased which shows its intention to dump. It is seen that, apart from China PR, the imports have entered the country from Switzerland. The volume of imports from Switzerland has have increased over the injury period. Such imports constitute 37% of total imports of the subject goods. While there have been imports from Switzerland in the past investigations as well, the price of such imports declined significantly in the current period. Based on an application filed by the applicant for the imposition of anti-

dumping duties, the Authority is conducting a parallel investigation concerning imports of the subject goods from Switzerland.

92. The exporter has submitted that Swiss imports indicate the intent of dumping. The Authority in this regard notes the argument made by the domestic industry that if imports from Switzerland indicate the intent to of dumping, given the import price from China PR is even lower than the import price from Switzerland, there is no doubt that dumped imports are continuing to enter the country from China PR.

93. The Authority holds that the existence of dumping from another country does not negate the continued dumping from China PR.

**b. Contraction in demand**

94. It is seen that the demand has declined over the injury period. It has been argued by the interested parties that the demand was high in the base year due to Covid-related factors. It is seen that while the demand in the base year was exceptionally high due to the COVID-impacted period, the same stabilised subsequently at levels that were adequate for the domestic industry to achieve reasonable capacity utilisation.

**c. Performance of other producers**

95. Jubilant entered the market in the base year and has supported the applicant and requested continuation of duties. Jubilant, through its support letter, stated that the anti-dumping measures in place provided it the confidence to invest in the market and start domestic production. While Jubilant's injury information was placed on record through a support letter, the Authority also wrote to the producer seeking information on its performance and certain backup documents to verify such information. It is seen from the Jubilant's injury information that the producer is also selling at significant losses. It is seen that its volumes have increased since it is a new producer selling at prices significantly below cost. The domestic industry has submitted that even Jubilant is struggling on account of influx of dumped imports.

**d. Changes in pattern of consumption**

96. It is seen that there are no changes in the pattern of consumption for the product under consideration over the injury period that could have caused injury to the domestic industry.

**e. Conditions of competition and trade restrictive practices**

97. It is seen that there is no evidence of conditions of competition or any trade restrictive practices that are responsible for the claimed injury to the domestic industry.

**f. Development in technology**

98. No evidence has been brought by any interested parties about existence of significant changes in the technology that could have caused injury to the domestic industry.

**g. Export performance of the domestic industry**

99. The exporter has stated that any loss or decline in profit is due to decrease in export sales. However, the applicant has stated that while its export performance was substantially high in the base year, when seen historically, its export volumes have remained broadly stable. In any case, it is seen that the injury information examined hereinabove relates, to the extent necessary and appropriate, only to the performance of the domestic industry in terms of its domestic market. Thus, the domestic industry's export performance has not impacted the domestic industry's sales performance.

**h. Performance of other products**

100. The domestic industry has provided the injury data for the like article and the same has been adopted by the Authority for the purpose of injury analysis. Performance of other products produced and sold by the domestic industry have not been considered. Therefore, the performance of other products produced and sold is not a possible cause of the injury to the domestic industry.

**J. CAUSAL LINK BETWEEN DUMPING AND INJURY TO THE DOMESTIC INDUSTRY**

101. While other known factors listed under the Rules have not caused injury to the domestic industry, the Authority notes that the following parameters show that injury to the domestic industry has been caused by the dumped imports:

- a) Imports from the subject country are priced below the domestic industry's cost and price. As a result, the volume of subject imports has remained significant in the market.
- b) Due to imports undercutting domestic cost and price, the price of the domestic industry is suppressed and depressed.
- c) Significant undercutting has forced the domestic industry to sell barely above cost in the POI.
- d) The dumped imports and consequent impact thereof on the price of the domestic industry has adversely impacted the profitability of the domestic industry.
- e) Subject imports account for a significant share of the market. Consequently, domestic industry is prevented from increasing its market share.
- f) Growth of the domestic industry is adversely impacted due to continued dumping from the subject country.

102. The Authority, thus, concludes that there exists a causal relation between the dumping of the subject goods and continued injury to the domestic industry.

#### **K. MAGNITUDE OF INJURY MARGIN**

103. The Authority has determined Non-Injurious Price for the domestic industry on the basis of principles laid down in the Rules read with Annexure III, as amended. The non-injurious price of the product under consideration has been determined by adopting the information/data relating to the cost of production for the period of investigation. The non-injurious price has been considered for comparing the landed price from the subject countries for calculating injury margin. For determining the non-injurious price, the best utilization of the raw materials by the domestic industry over the injury period has been considered. The same treatment has been carried out with the utilities. The best utilization of production capacity over the injury period has been considered. It is ensured that no extraordinary or non-recurring expenses were charged to the cost of production. A reasonable return (pre-tax @ 22%) on average capital employed (i.e. average net fixed assets plus average working capital) for the product under consideration was allowed as pre-tax profit to arrive at the non-injurious price as prescribed in Annexure III of the Rules.

104. Based on the landed price and the NIP determined as above, the injury margin as determined by the Authority is provided in the table below.

**INJURY MARGIN TABLE**

<b>Producer</b>	<b>Non-injurious price (USD/MT)</b>	<b>Landed value of imports (USD/MT)</b>	<b>Injury Margin (USD/MT)</b>	<b>Injury Margin (%)</b>	<b>Injury Margin (Range)</b>
Nantong Acetic Acid Chemical Co., Ltd.	***	***	***	***	10-20
Others	***	***	***	***	20-30

#### **L. LIKELIHOOD OF CONTINUATION OR RECURRENCE OF DUMPING AND INJURY**

##### **L.1. Views of the other interested parties**

105. The other interested parties have made the following submissions with regard to likelihood:

- a. There is no likelihood of injury to the domestic industry if the anti-dumping duty is revoked.
- b. The applicant has not followed Trade notice 03/2021 and only mentioned excess capacity on an overall basis, not year-wise. The table on export orientation also shows a decline.

- c. The Authority is requested to consider the data of Nantong, exporter having substantial volume of imports into India and being the only responding exporter, for determining of likelihood.
- d. Nantong's capacity has been stable. It has no expansion plans. It is functioning on high utilization. There is no chance for the entity to redirect any idle production to export in India.
- e. Nantong does not indulge in dumping. If it had such intentions, it would divert production to India. The existing export is owing to the fact that the applicant is unable to satisfy the entirety of Indian demand.
- f. Nantong's exports to third countries and inventory is also minimal. It does not have excess capacity at their disposal to resort to dumping to India or any other country.
- g. Existence of surplus capacity does not prove possible dumping. Further, the applicant has exaggerated the existence of surplus capacity in China. The applicant has not drawn a link between excess capacity and recurrence of injury.
- h. Likelihood determination entails analysis of future events. The Authority may direct the domestic industry to submit post-POI data in order to conduct likelihood determination and also provide the interested parties with a copy of the same to comment thereon.
- i. Nantong is not bound to furnish the data for the subject country as a whole; its obligation is restricted to presenting and submitting truthful data limited to its own operations.
- j. The Authority cannot wholly rely on the data submitted by the Petitioner with respect to the total and idle capacities in the subject country as the same needs verifiable source to rest on for the sake of reliability.
- k. In United States – Sunset Review of Anti-Dumping Duties on Corrosion-Resistant Carbon Steel Flat Products from Japan, Appellate body held that while country-specific determination of likelihood is not a usual regime, it is certainly not prohibited under Articles 11.3 and 6 of the AD Agreement.
- l. It depends on the discretion of the Authority as the AD Agreement does not explicitly talk about company specific determination of likelihood in a sunset review investigation.
- m. The subject investigation shall be a fit for the Authority to allow a company-specific determination of likelihood as only one producer/exporter, which is Nantong has participated in the subject investigation and all exports to India pertains to them. The decision to do a company specific likelihood determination was upheld by CESTAT in *Abhilasha Tex Chem Pvt. Ltd. and Ors. v. Union of India/DA*.
- n. There is no price attractiveness as the prices of PUC to third countries are better. The decline in exports volume is not temporary. Indian market is not lucrative.
- o. The applicant has at one place stated that exporter's price realization in India is better while at another place they have stated that the same is lower. The Authority may verify all submissions and seek evidence for the same.
- p. Initial imposition had hit Nantong's business, but it gradually moved on from the negative effects. However, exporter accepts that continuation of duty shall negatively affect its export to India.
- q. The applicant mentioned that duties led to decrease in China's overseas sales. Owing to this reason duties should be revoked. Continuation would be disadvantageous to the exporters and provide unjustified and elongated protection to the applicant.

## **L.2. Views of the domestic industry**

106. The domestic industry has made the following submissions with regard to likelihood:

- a. All the likelihood parameters established by the Authority in the previous sunset review remain valid and applicable in the present investigation.
- b. Enhanced dumping margin and injury margin establishes continued and enhanced dumping from the subject country, which indicates the likelihood of increase in volume of dumped and injurious imports in case of cessation of duty, and justifies extension of the duty.
- c. As seen historically subject imports in present POI have increased by 53% from the POI of original investigation and by 29% from POI of previous sunset review investigation.

- d. Despite duties in place and entry of a new domestic producer, China's market share has increased since the last review, holding a significant portion of Indian demand, and dumping continues.
- e. The subject imports are currently coming at prices lower than the cost of sales of the domestic industry and if duties are not continued, the domestic industry will have to either reduce its selling price and suffer significant losses or lose sales volumes and consequently market share.
- f. A market report "Methyl Acetoacetate Market in China: Investment Feasibility Assessment Report 2025–2030" by Vynz research suggests massive surplus capacity in China, far exceeding India's total demand.
- g. Even if the entire domestic demand in China is met through domestic production, the resulting excess capacity amounts to \*\*\*% of the total Indian demand. The responding exporter alone has over twice the capacity needed to meet India's entire demand.
- h. The report also confirms that the duties' effectiveness, noting they have "significantly eroded China's price advantage," severely impacted its export volume to India.
- i. The fact that duties imposed by India impacted the Chinese exports suggests that India is a key market for such producers.
- j. The Authority is requested to examine the volume of dumped and injurious exports to third countries that can be diverted to India if duties were removed.
- k. The exporter has not fulfilled its obligation to provide information about the market data in China, which otherwise can be seen the market report.
- l. The current injury information confirms the likelihood of continued and intensified dumping and material injury. Import prices undercut domestic selling prices and costs, forcing the domestic industry to match them and adversely impacting its performance. If duties expire, imports are likely to flood the market and aggravate injure the domestic industry.
- m. From the performance statistics of the exporters it may be seen despite existing duties, the respondent's volume of exports to India increased till 2023 and declined subsequently. The pattern shows that the decline is deliberate to get a favourable result in the present investigation. In case of discontinuation of duties, there is every likelihood of the exporter diverting its volumes back to the Indian market.
- n. The exporter's claims are inconsistent. It states that duties have affected its export volume to India yet also claims revocation would not significantly change it. This contradiction undermines the credibility of its argument against the likelihood of continued dumping.
- o. Exporters must establish dumping will not continue or intensify if duties cease.

### **L.3. Examination by the Authority**

107. The present investigation is a sunset review of duties imposed on the imports of the product under consideration from China. Under the Rules, the Authority is required to determine whether cessation of existing duty is likely to lead to continuance or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.

108. The Authority has examined the likelihood of continuation or recurrence of injury considering the requirement laid down under Section 9A (5), Rule 23 and parameters relating to the threat of material injury in terms of Annexure - II (vii) of the Rule, and other relevant factors brought on record by the interested parties. Since there are no specific methodologies available to conduct such a likelihood analysis, guidance has been sought from Clause (vii) of Annexure II of the Rules, which inter alia provides for the following factors to be taken into consideration:

- a. A significant rate of increase of dumped imports into India indicating the likelihood of substantially increased importation.
- b. Sufficient freely disposable, or an imminent, substantial increase in, capacity of the exporter indicating the likelihood of substantially increased dumped exports to Indian markets, taking into account the availability of other export markets to absorb any additional exports.
- c. Whether imports are entering at prices that will have a significant depressing or suppressing effect on domestic

prices and would likely increase demand for further imports; and

d. Inventories of the article are being investigated.

109. The Authority has, inter alia, considered the above requirements and following parameters in order to determine whether dumping is likely to continue in the event of cessation of anti-dumping duty, and if so, whether the same is likely to cause injury to the domestic industry in case of cessation of anti-dumping duty. Additionally, the Authority has examined all the relevant information brought on record by the domestic industry and the other interested parties.

110. At the foremost, the Authority notes that the exporter has argued that the applicant failed to comply with Trade notice 03/2021. The Authority notes that the Trade Notice 03/2021 requires the applicant to provide information on (a) capacity for PUC in the subject country over the injury period, (b) quantities and prices of exports by exporters in the subject country to third countries, (c) export orientation of exporters in the subject country, and (d) justification as to why the Indian market would be likely destination of exports in case of withdrawal of duties.

111. The Authority notes that the domestic industry provided information on capacities in subject country based on the market report pertaining to the year 2024. However, as the said report did not contain information on the volume and value of exports to third countries from China PR, the same could not be relied upon for that purpose. The domestic industry has further explained that such information was neither available in the public domain nor accessible through global trade databases as they did not provide information for the PUC at an 8- digit level. With respect to export orientation and lucrativeness of the Indian market also, the domestic industry, relied on the market report.

112. On the contrary, the Authority notes that despite the exporter questionnaire specifically seeking information relating to demand, capacity, production, and export orientation in the subject country as a whole, the exporter has not furnished such information. Instead, the exporter has stated that it is not obligated to provide data pertaining to the subject country as a whole and that its obligation is limited to furnishing truthful information confined to its own operations.

113. In view of the above, the Authority holds that the domestic industry has duly discharged its obligation under Trade Notice No. 03/2021. For the purposes of the present likelihood analysis, the Authority has therefore considered the information placed on record by all interested parties. Since the exporter has furnished information limited to its own operations, the Authority, for the present examination, has relied upon the information submitted by the domestic industry in respect of other producers in China PR, while duly considering the information provided by the responding exporter with regard to its own operations.

114. The exporter has argued that the applicant has not provided post-POI data to facilitate an analysis of future events. In this regard, it is first noted that Trade Notice 03/2021 provides that the Authority “may” seek post-POI data subsequent to initiation, wherever warranted. Accordingly, calling for post-POI data is not a mandatory requirement, but a matter of discretion vested with the Authority. In the present case, the Authority did not find it necessary to exercise such discretion, having regard to the facts on record. The data for the POI itself clearly demonstrates that dumping and injury to the domestic industry have continued despite the duties being in force.

**a. Imports from subject country**

115. The table below shows the information regarding imports from the subject country.

Year	Import volume (MT)	Share in demand (%)*
2010 – 11	1,428	39
2011 – 12	1,601	42
2012 – 13	2,095	48
<b>POI (A) - (Apr'13-Jun'14)</b>	<b>1,579</b>	<b>39</b>
2016 – 17	402	5
2017 – 18	247	3
2018 – 19	2,991	28
<b>POI - (2019 – 20)</b>	<b>1,868</b>	<b>15</b>
2021 – 22	7,228	100

2022 – 23	5,569	90
2023 – 24	4,022	64
<b>POI - (Jan'24-Dec'24)</b>	<b>2,045</b>	<b>33</b>

Source: Final finding issued vide notification no. 14/7/2014-DGAD (2010-11) and 7/40/2020-DGTR (2019-20); present Final Finding (for current injury period)

\*Market share information for present IP is indexed

116. The Authority notes that the volume of imports from the subject country were at very high level in 2021-22 and 2022-23 and have declined throughout the present injury period. The demand was also significantly high having the impact of COVID period as the product is used in pharmaceutical sector also. Imports have thereafter declined. However, the volume of imports remains significant. Further, when seen historically, subject imports in the present POI have increased as compared to the original investigation and last concluded review investigation. Subject imports had declined after imposition of original duty and the market share in the POI of the previous review investigation was 15%. However, the market share of imports from subject country now holds \*\*\*% of the share in the POI of the present investigation despite imposition of duties and sufficient capacity with the Indian industry. While the exporter has argued that the exports are owing to the fact that the applicant is unable to satisfy entirety of the Indian demand, it is noted that Jubilant also added capacities in the base year and has fully entered the market, thereby bridging any demand-supply gap. Despite further capacities being added in the country and duties in place, imports have remained significant in the POI.

**b. Imports continue to be made at dumped price**

117. The dumping margin determined in the present investigation is higher than the margin previously determined by the Authority in the past investigations. This establishes the behaviour of the exporters to export at dumped price despite imposition of anti-dumping duty.

Dumping margin	Nantong Acetic Acid	Other producers
Original investigation	25-45	40-50
Previous investigation	20-30	30-40
Present investigation	30-40	40-50

**c. Significant production capacities with exporters from the subject country**

118. The domestic industry has submitted information on the market for the subject goods in China from the report “Methyl Acetoacetate Market in China: Investment Feasibility Assessment Report 2025–2030” by Vynz research. The capacities available with the Chinese producers is huge. Producer-wise capacity is summarized in the table below.

Chinese producers	Annual Capacity (MT)
Qingdao Gulf Fine Chemical Co., Ltd.	45,000
Nantong Acetic Acid Chemical Co., Ltd.	***
Jiangsu Tiancheng Biochemical Products Co., Ltd.	27,100
Guangxi Jinyuan Biochemical Group Co., Ltd.	10,000
Others	27,900
Total Capacity	***

Source – Vynz Research (other producers capacity); Nantong Appendix-1 (Nantong capacity)

119. It is seen that the total capacities available with the Chinese producers is far higher than the Indian demand. China has an installed capacity of \*\*\* MT. As against this, the demand in India is \*\*\* MT i.e., even less than \*\*\*%

the capacities with Chinese producers.

120. It has been contended by the exporter that the domestic industry has exaggerated the existence of surplus capacity in China PR and that such data should not be relied upon in the absence of a verifiable source. In this regard, the exporter has also alleged that the annual capacity of Nantong, as reflected in the report relied upon by the domestic industry, is incorrect. Upon examination, it is seen that the domestic industry has submitted that Nantong holds a capacity of 28,000 MT per annum, whereas Nantong itself has stated that its actual capacity is \*\*\* MT per annum. Therefore, it cannot be concluded that the domestic industry has exaggerated the capacities in China PR. With respect to the reliability of the source of information, it is noted that the domestic industry has placed the relevant market report on record as a confidential document. On the other hand, no evidence to the contrary has been furnished by any interested party to rebut or discredit the information contained therein.

**d. Freely disposable capacity in the Country**

121. The Market research Report has provided the information of capacity and demand prevailing in China. The capacity and demand information from the report shows as follows:

Particulars	Volume (MT)
Chinese capacity	***
Chinese demand	1,09,000
Excess capacity in China	***
Demand in India	***

*Source –Vynz Research (China demand & capacity); Nantong Appendix-1  
(Nantong capacity)*

122. It is seen that the capacities in China PR are far higher than the demand in their country. The excess capacity in itself is more than triple the entire Indian demand.

123. The participating exporter has submitted that it does not have any freely disposable capacity. The Authority notes that the responding exporter is not the sole producer of the subject goods in China PR. There exists substantial capacity in the subject country, which is significantly higher than the domestic demand therein. There are multiple other producers/exporters in China PR who have not participated in the present investigation, and there is no information on record to demonstrate that such non-participating producers do not have freely disposable capacity. Hence, the Authority holds that it cannot ignore that there is surplus capacities in China PR that is likely to be directed towards India in the event of cessation of the duties.

**e. Price undercutting in the absence of measures**

124. Despite the existence of duties, the subject goods are undercutting the domestic prices. It is noted that the extent of price undercutting is likely to increase in the event of cessation of duties.

**f. Imports entering at prices that are likely to suppress or depress the prices of the domestic industry to a significant extent**

125. Not only the subject goods priced below the net sales realization of the domestic industry, the same are also below cost of sales. As noted hereinabove, the selling price of the domestic industry declined at a rate higher than the decline in cost of sales. The prices in the domestic market are, therefore, depressed. The Authority holds that such price effect is likely to continue and intensify in the absence of anti-dumping duties.

**g. Information from the responding exporter's response**

126. During the POI, the majority of imports of the subject goods into India were made by the responding exporter. It has been submitted by the exporter that an individual analysis of its data would show that dumping is not due to Nantong. However, as noted above, it is seen that the dumping margin and injury margin estimated for the exporter are positive and significant.

127. Information made available by the exporter has also been considered to examine the likelihood of dumping

and injury. It is seen that the exporter is operating at a capacity utilization of \*\*\*% and is majorly selling in the domestic market. Even though exports made by the responding exporter to India constitute a relatively smaller portion of its total sales, such exports were nevertheless significant and constitute \*\*\*% of Indian demand. Further, the volume of exports to India is higher (\*\* MT) than cumulative volume of exports to various countries globally (\*\* MT).

128. It is further seen that India accounts for \*\*\*% of the exporter's total export sales and were \*\*\*% higher in than its export volumes to third countries, indicating India as a favoured export destination. This is despite the exporter's own submission that sales to India were made at lower prices and sales realization from third countries is better.

129. The Authority further notes that, in terms of pricing, the exporter is realizing better prices in its exports to India as compared to its domestic market. This demonstrates that the Indian market is more remunerative vis-à-vis domestic sales and, therefore, remains a price attractive destination for the exporter.

SN	Particulars	UoM	POI
1	Sales volumes	MT	***
	a) Domestic sales	MT	***
	b) Exports to India	MT	***
	c) Exports to third countries	MT	***
2	Exports to India in relation to total exports	%	***
3	Sales Realization from:		
	g) Domestic sales	RMB/MT	***
	h) Exports to India	RMB/MT	***
	i) Exports to third countries	RMB/MT	***

*Source: Nantong's EQR*

130. It is noted that the exports to India are at dumped and injurious price. Weighted average export price to India is below normal value and landed price of such exports is below NIP. The dumping margin and injury margin are significant, as noted above in this Final Finding.

131. The transaction-wise third country exports show that other than exports to India, the responding exporter has also exported the subject goods to Germany, Israel, Italy, Japan, Korea, Spain, Taiwan, and the USA. A total volume of \*\* MT was exported to these third countries. In order to examine third country dumping, comparison has been made between the prices at which the exporter sold the subject goods in third countries and the normal value as calculated above has been made. For this purpose, the export price considered is the invoice value reported by the exporter, without making any adjustments for expenses that may have been incurred in respect of such exports. It is seen that while weighted average export price to third countries is at a price below normal value, thus showing dumping in third countries, export sales aggregating to \*\* MT, i.e., \*\*\*% of third country exports were made at dumped prices. Similarly, a comparison of the exporter's export prices to third countries, has been made with the NIP of the domestic industry. For this purpose, 8.25% of estimated import duty has been added to the exporter's third country export price. It is seen that \*\*\*% of the export volume was made at injurious prices.

Particulars	UOM	Total	India	Third country
Exports from China	MT	***	***	***
Export Price	US\$/MT	***	***	***
CNV	US\$/MT	***	***	***
Dumping Margin	US\$/MT	***	***	***
Dumping Margin	%	***	***	***

Exports at dumped prices	MT	***	***	***
Share of dumped volumes in total exports	%	***	***	***
Non-Injurious Price	US\$/MT	***	***	***
Landed Price	US\$/MT	***	***	***
Injury Margin	US\$/MT	***	***	***
Injury Margin	%	***	***	***
Exports at injurious prices	MT	***	***	***
Share of injurious volumes in total exports	%	***	***	***

Source: Nantong's EQR

132. It is further seen that the exporter's dumping margin and injury margin to India is even higher than the margins calculated for third country exports, thereby showing selective dumping in the Indian market.

#### **h. Vulnerability of the domestic industry**

133. It has been submitted that the Indian market is highly price sensitive, with consumers making procurement decisions primarily on the basis of price. The consumers benchmark the prices based on import prices. Such being the case, availability of low-priced imports from the subject country in the market has an adverse impact on the domestic industry.

134. The subject imports are currently coming at prices lower than the cost of sales of the domestic industry and if duties are not continued, the domestic industry will have to either reduce its selling price and suffer significant losses or lose sales volumes and consequently market share. Performance of the domestic industry if the sales are made at landed price has been examined in the table below.

Particular	Unit	POI	POI
			Landed=Selling Price
Cost of Sales	₹/MT	***	***
Selling Price	₹/MT	***	1,05,158
Profit / Loss (PBT)	₹/MT	***	***
Profit / Loss (PBT)	₹ Lacs	***	***
PBIT	₹ Lacs	***	***
Cash Profit	₹ Lacs	***	***
ROI	%	***	***

135. It is seen that the domestic industry will have to incur significant losses if it has to match the dumped prices.

#### **M. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST AND OTHER ISSUES**

##### **M.1 Views of the other interested parties**

136. No submissions have been made regarding Indian industry's interest and other issues by the other interested parties.

##### **M.2 Views of the domestic industry**

137. The domestic industry has made the following submissions with regard to Indian industry's interest and other issues:

- a. Dumped imports are causing significant injury. Extending and enhancing anti-dumping duties is essential to maintain a level playing field, ensure the viability of domestic production, and prevent import reliance.

- b. The initial duties allowed the domestic industry to recover from losses, earn profits, and created a level playing field that enabled Jubilant to invest and enter the market.
- c. The domestic industry is executing a ₹750 Crore investment to expand diketene and MAA production in a new plant Dahej. This expansion is critical to meet future demand; however, it is directly threatened by dumped imports.
- d. With the establishment of these additional capacities, the Indian industry will be well-positioned with surplus production capability to meet anticipated demand over the next five years.
- e. Removing the duties would jeopardize the investments and expansions, thereby undermining the growth of the Indian industry.
- f. MAA is a key pharmaceutical intermediate also used in agrochemicals and other sectors. The applicant's analysis shows its cost impact on API production is negligible, ranging from 0% to 1%. Therefore, its effect on the final product is minimal.
- g. No importers or users participated in the present or previous sunset review investigation, indicating no significant adverse impact from the duties. The Authority previously noted that the lack of opposition suggests consumers are not materially affected by the duties.
- h. It is in the interest of consumers to have a market with fairly priced products powered by a domestic industry that can compete with imports.

### **M.3 Examination by the Authority**

138. The Authority notes that the purpose of trade remedial measures, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by unfair trade practices and re-establish open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. The imposition/continuation of anti-dumping measures does not aim to restrict imports from the subject country in any way. The Authority recognizes that the imposition/continuation of the duties might affect the price levels of the product in India. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the imposition/continuation of the measures. On the contrary, imposition/continuation of the measures would ensure that no unfair advantages are gained, prevent a decline in the performance of the domestic industry and help maintain the availability of wider choice to the consumers of the subject goods

139. The Authority issued initiation notification inviting views from all the interested parties. The Authority also prescribed a questionnaire for the users/ consumers to provide relevant information about the present investigation including any possible effects of anti-dumping duty on their operations. Information was sought on, inter-alia, interchangeability of the product supplied by various suppliers from different countries, effect of anti-dumping duty on the consumers, etc.

140. The Authority had prescribed an economic interest questionnaire which was sent to all interested parties to this review investigation. Only the domestic industry has responded to the economic interest questionnaire. No user or importer participated in the present investigation. Further, the participating exporter stated that the economic interest questionnaire is not applicable to it.

141. The Authority notes that the purpose of anti-dumping duties is to remedy the injury inflicted upon the domestic industry by the unjust trade practices of dumping, so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market. The Authority acknowledges that the continuation of anti-dumping duties may influence the price levels of the product in India. However, it is crucial to note that the essence of fair competition in the Indian market will remain unscathed by the continuation of these measures. On the contrary, the continuation of the anti-dumping measures would prevent the decline of the domestic industry that may ensue as a consequence of dumping practices and help maintain the wider availability of choices to the consumers.

142. At the foremost, it is seen that a new producer, viz. Jubilant Ingrevia, has established capacities for production of the subject goods in India during the base year of the present investigation. It has been stated by Jubilant Ingrevia in its support letter that the duties provided it the confidence to establish capacities and commence production. Therefore, any demand supply gap in the country has been bridged. In any case, demand supply gap does

not justify dumping. Even if the demand surpasses domestic capacity, imports can continue to enter the country at fair prices

143. The domestic industry has quantified the impact of cost on account of the subject goods on the cost of the downstream pharma industry. It is seen that the cost on account of the subject goods in production of the downstream products is miniscule. It has been stated by the domestic industry that the downstream APIs are primarily salts which are further processed by downstream industries, thereby diluting the already minimal impact. Hence, the impact of duties is negligible. Further, no importer or user participated in the previous or present investigation. This further substantiates that the duties have had no adverse impact on the downstream industry or the users.

SN	Particulars	Unit	
1	Landed value of Amlodipine	Rs/Kg	10,117
	(used to treat high BP)		
	Volume of MAA used in one Kg of API	Kg	0.2994
	Cost of MAA	(Rs/MT)	***
	Cost of MAA	(Rs/Kg)	***
	Cost of MAA input in one Kg of API	Rs/Kg	***
	Cost component of MAA input in downstream API	% range	0-1
2	Landed value of Cloxacilline	Rs/Kg	4,409
	(used to treat various bacterial infections)		
	Volume of MAA used in one Kg of API	Kg	0.3274
	Cost of MAA	(Rs/MT)	***
	Cost of MAA	(Rs/Kg)	***
	Cost of MAA input in one Kg of API	Rs/Kg	***
	Cost component of MAA input in downstream API	% range	0-1
3	Landed value of Domperidone	Rs/Kg	18,571
	(used to treat nausea, vomiting, indigestion)		
	Volume of MAA used in one Kg of API	Kg	0.4595
	Cost of MAA	(Rs/MT)	***
	Cost of MAA	(Rs/Kg)	***
	Cost of MAA input in one Kg of API	Rs/Kg	***
	Cost component of MAA input in downstream API	% range	0-1

144. The Authority also notes that, considering the positive impact of duties, significant investment is being made by the domestic industry in this product. However, the domestic industry in the present injury period is earning negligible profits and suffering significantly in this product. The overall performance of the applicant company has been adversely impacted, which poses threat to the viability of the investments made.

## N. POST DISCLOSURE COMMENTS

### N.1 Views of the other interested parties

145. The following comments were submitted by the other interested parties with regard to the disclosure statement:

- a. Merely stating name of the market report to allege excess capacity in China PR is not sufficient. Non-confidential summary of the report should have been provided. Exporters cannot rely on excerpts picked from the report without entire context. The Authority should verify the authenticity of the report before relying on it.
- b. With respect to additional investment of Rs. 710 crores, the exporter has only received an intimation letter. No subsequent letter of approval, if any, has been received.
- c. Duties have been in force for over 9 years. Factors like Jubilant entering the market and imports from Switzerland substantially increasing could be contributing to injury or likelihood, if any.
- d. With respect to market economy treatment, Nantong is a publicly listed company. Even though 19% shareholding is with state-owned entities, does not mean that Nantong is state bound or influenced by state. Major chunk of the shareholding is held by public.
- e. The margins calculated by the Authority are lower than domestic industry's assertions. Injury margin is lower than that earlier determined in the original investigation. In accordance with lesser duty rule, duty cannot exceed injury margin. Any duty imposed must be limited to this level.
- f. The observation that imports are significant is not true. Demand and imports decreased by 15% and 71%, respectively, but domestic sales remained at par with base year.
- g. Nantong does not engage in price undercutting. Anti-dumping duty has not been considered by the Authority in the landed value of imports when calculating price undercutting. Once prevailing duty is added, true competitive position between imported and domestic goods would be reflected.
- h. The decline in selling price in addition to decline in cost can be an opportunity to attract and retain customers since Jubilant has entered the market.
- i. The Authority should not base its analysis on profitability due to distorted cost structure. The domestic industry is a multi-product company and there is no concrete information or basis on how its cost has been allocated to the PUC.
- j. The landed value and domestic selling price were high in base year due to Covid-19. Subsequent decline is a mere global phenomenon and not interdependent.
- k. Export sales remained during both 2023-24 and the POI. However, the domestic sales and inventory increased. Domestic industry seems to have been trying to maintain a healthy stock at their disposal, if the need be. It may also have expected an increase in export sales, however, the same did not happen resulting in the accumulation of the inventory.
- l. Imports from Switzerland, decrease in export sales, decreased demand after Covid -19 broke the causal link between subject imports and the injury to the domestic industry. With decrease in demand there was an impact on the other parameters like production, however, domestic sales did not decrease. Further, Jubilant was able to get good hold of the market.
- m. The Authority should not adversely hold Nantong for not furnishing the data for China as a whole. Nantong is under no obligation to furnish broad market-wide data. Compiling such information would be unnecessarily burdensome. Nantong is required only to provide information pertaining to its own operations.
- n. The entire allegation of the domestic industry rests on one market report. It cannot allege dumping or the likelihood based on vague and baseless arguments.
- o. The Applicant should be directed to file post-POI data. The Authority should refrain from determining likelihood in the absence of such information. It seems to have ignored reference made to Thai Acrylic Fibre Co. Ltd v. DA and Para 5.15 of the DGTR's Trade Manual.
- p. The comparison of subject imports and their market share with previous investigation is incorrect as the law does not state for such comparison.

- q. The base year has abruptly been affected by a foreseen situation caused by the pandemic and hence, the same cannot fairly present an injury analysis.
- r. Nantong's injury determination should be made in isolation of China as a whole. Its data is more credible and evidentiary compared to the domestic industry's market report. Nantong does not have excess capacity at its disposal. There is only minimal idle capacity, insufficient to allege diversion.
- s. Nantong's domestic selling price is lower than its export price to India, which is lower than third country export price. The Authority should, hence, determine that India is not price attractive and the exports to third countries are not in any probability at the risk of being diverted into India. If Nantong ever intended to shift its domestic sales to Indian market, it would have done so by now, already.
- t. Decline in Nantong's exports to India are not a temporary phenomenon. India is not lucrative enough. Hence, its domestic sales and third-country exports have increased.
- u. The Authority has failed to provide source for the comparison undertaken between exports to India and third country. Entire table has been marked confidential, precluding exporter from making meaningful comments. Hence, we request the Authority to provide us with the source of the data and range thereof.
- v. Evaluating third-country export prices without adjustments artificially lowers the export price and creates a misleading appearance of dumping. The assertion that the exporter engaged in dumping in third-country markets, let alone selectively targeted India, is flawed and cannot form a fair basis for adverse inference.
- w. The Authority's analysis shows that if the domestic industry were to match the landed price of imports, it would incur substantial losses. However, since the domestic industry is a multi-product company, an inflated cost would show a distorted picture.

## N.2 Views of the domestic industry

146. The following comments were submitted by the domestic industry with regard to the disclosure statement:

- a. Subject imports continue to enter the Indian market in significant volumes and at dumped prices despite duties being in force. Dumping margin is higher than that determined in previous investigations.
- b. Given that the Indian market is highly price sensitive, dumping is likely to intensify if the duties are allowed to expire.
- c. Dumped subject imports continue to cause material injury to the domestic industry.
- d. Landed prices of subject imports are below the domestic industry's selling price and cost of sales, forcing price reductions and resulting in negligible profits and return on capital employed.
- e. Chinese producers possess massive surplus capacities that far exceed Indian demand.
- f. Given that India is the second-largest global market and offers the exporter better prices than China's domestic market, these surplus goods are likely to be dumped into India if duties are removed.
- g. India constitutes the second largest global demand centre for subject goods and represents a major competing manufacturing presence to Chinese producers at the global level.
- h. The margins determined indicate strategic targeting of the Indian market by China to displace Indian competition. Importantly, dumping into India intensified following the entry of Jubilant Ingrevia.
- i. Chinese producers have a clear commercial incentive to target the Indian market by offering selectively dumped prices with the intention to capture market share from major competition from global producer outside China PR.
- j. Notwithstanding that a low NIP has been worked out by the Authority, the injury margin determined is still positive.
- k. The Authority has significantly reduced the NIP claimed by the domestic industry by adopting a normated cost of production for captive inputs. Further, while investments and bank deposits have been excluded from current assets, it seems that the income arising therefrom has been included in other income, creating an inconsistency. The domestic industry seeks disclosure of the workings to offer further comments on NIP disclosure.

- l. Indian market is highly price sensitive, and dumping is likely to intensify if the duties are allowed to expire.
- m. The anti-dumping duty applicable on China PR should be continued for a period of five years.

### **N.3 Examination by the Authority**

147. The Authority has examined the post disclosure comments made by the interested parties. It is noted that comments which are reiterations and have already been suitably examined and adequately addressed in the relevant paras of the Final Findings, are not being repeated in the post-disclosure examination by the Authority for the sake of brevity. The issues raised for the first time in the post-disclosure examination by the interested parties and considered relevant by the Authority have been examined herein under.

148. As regards the credibility of the domestic industry's claim that it is making an investment of Rs. 710 Crores, as already noted above in this finding, it is seen that the domestic industry has provided sufficient evidence on record of proposed investment by way of placing on record its letter intimating the stock exchange that the Board of Directors of the Company "have approved" a capital expenditure of Rs. 710 Crores for setting up of a manufacturing site in Dahej. The Domestic Industry has also placed on record the environmental clearance demonstrating that the subject goods are among the products proposed to be manufactured at the said facility. In view of the above, the Authority notes that the Domestic Industry has demonstrated a clear commitment and firm intention to undertake the proposed investment. Accordingly, the Authority considers the evidence on record to be adequate.

149. The present investigation is not for imposition of fresh duties on the subject imports but a sunset review of anti-dumping duties applicable on subject imports. Hence, it is being examined whether cessation of existing duties is likely to lead to continuance or recurrence of dumping and injury to the domestic industry and whether there is need for continued imposition of duties applicable. Accordingly, and in view of the examination above which shows continued presence of dumped imports having adverse impact on the performance of the domestic industry, and likelihood of dumping and injury in the event of cessation of duties, the Authority considers it appropriate to recommend continuation of duties on imports from the subject country.

150. It is noted that the price undercutting from the subject country remains positive when assessed on the basis of the landed value determined without the addition of anti-dumping duties. As regards the contention that undercutting becomes negative after factoring in the prevailing anti-dumping duties, it is noted that the purpose of an anti-dumping duty is to offset the injurious effects of dumped imports. Therefore, the impact of such duty cannot be relied upon to argue absence of undercutting or injury. In fact, the landed value determined without addition of duties appropriately reflects the price at which the goods are likely to enter the domestic market in the event of cessation of the duties. Therefore, the continued existence of positive price undercutting clearly demonstrates the likelihood of recurrence of injury should the duties be withdrawn. Further, the Authority also takes note of the domestic industry's submission that a significant volume of subject goods is being imported under the Advance Authorization Scheme, where anti-dumping duties are exempted. Such imports directly enter the domestic market without the incidence of duty and effectively benchmark market prices.

151. As regards the argument that the domestic industry could be reducing selling price to attract and retain customers since Jubilant has entered the market, it is noted that Jubilant is also selling the subject goods at prices comparable to those of the domestic industry and its profits have declined. Imports are undercutting its price. The injury analysis undertaken above indicates that the prevailing price levels of the domestic producers are impacted by imports. The domestic industry has submitted that it was forced to reduce its selling price beyond the decline in cost to maintain sales volumes. Thus, domestic producers are compelled to align their prices with dumped imports to maintain their volumes and market share. The decline in selling prices is due to the pressure exerted by dumped imports.

152. With respect to reliability of the cost reported by the applicant in respect of the PUC, the same was duly verified by the Authority during the course of the investigation where methodology adopted for allocation of costs was examined in detail. The Authority only allowed such allocation of costs to the PUC as was reasonable, duly substantiated, and in accordance with established practices. Accordingly, the profitability analysis is based on duly verified and appropriately allocated cost data, and there is no distortion warranting its rejection of the same.

153. As regards the argument that the domestic industry may have maintained stock in anticipation of increase in export sales is not factually supported. It is noted that the primary market for the domestic industry is the domestic market. The volume of exports constitutes only a small proportion of its total sales.

154. As regards the contention of breaking of causal link between subject imports and injury to the domestic industry, it is noted that imports from China PR continue to remain significant and account for 63% of the imports of the subject goods into India during the POI. Thus, the volume of subject imports continues to remain significant in absolute terms and in relative terms. In fact, subject imports from China PR are priced even below the landed value of imports from Switzerland. While landed value of imports from China PR in the POI was Rs. 1,05,158 per MT, imports from Switzerland were priced at Rs. 1,14,339 per MT. Further, since the landed price from China PR has been considered without addition of anti-dumping duties, such price represents the price at which imports from China PR are likely to enter the country in absence of duties. Further, as submitted by the domestic industry not contested by the exporter, significant imports were made under advance license, and such volume of imports also benchmark the prices of the domestic industry causing adverse impact on the performance by the domestic industry. Given the price attractiveness of the Indian market, and considering such likely prices, the volume of imports from China PR is likely to increase in the event of cessation of duties.

155. The exporter, relying on *Thai Acrylic Fibre Co. Ltd v. DA*, has argued that post-POI data is an essential component of likelihood examination. However, the Authority notes that the said decision does not stipulate that post-POI data must necessarily be examined in every case. The Authority has sufficiently carried out likelihood analysis in this finding. Further, having found (a) continuous presence of dumped imports having adverse impact on the performance of domestic industry and (b) sufficient parameters establishing likelihood of dumping and injury to the domestic industry in the event of cessation of duties, it was not considered necessary to call for or examine post-POI data. Furthermore, the respondent has not placed any evidence on record showing any change in post POI.

156. As regards comparison of present volume of imports and market share thereof with the imports and market share recorded in previous investigations, the exporter has argued that the same is not a requirement under the law. However, it is noted that there is no exhaustive list of how likelihood should be examined. The Authority considered it appropriate to compare the current volume and market share of subject imports with those observed in earlier investigations, in order to assess the pattern and behaviour of exporters from the subject country over time.

157. While it has been argued by the exporter that India is not price-attractive in comparison to third-country export destinations, it is noted that the exporter's selling price in its domestic market is lower than the price realized from exports to India. This renders India a relatively more remunerative market vis-à-vis the exporter's home market. Therefore, it cannot be ruled out that the exporter may reallocate or divert its domestic sales volume, or part thereof, to India in order to secure better price realization, particularly in the event of cessation of duties. It has further been argued by the exporter that India is not a lucrative and had it intended to shift volumes to India, it would have already done so. The Authority notes that imports from China PR continue to constitute the majority of total imports into India. Further, Nantong accounts for a major proportion of such imports. Thus, notwithstanding the claim that India is not a lucrative market, it is important to note that the volume of imports from China, and particularly from Nantong, remains significant.

158. Furthermore, based on the submissions of the domestic industry, the Authority notes that after China PR, India accounts for a substantial share of global production of the subject goods and ranks as the second-largest market in terms of demand. In such a scenario, maintaining a presence in the Indian market is likely to be of strategic importance for Chinese exporters, considering the prevailing competition and the size of market that India offers. Accordingly, considering the higher price realization in India compared to the exporter's domestic market, the significant existing volume of imports, the strategic importance of the Indian market, and other factors analysed above in this finding, the Authority finds that the likelihood of continuation of dumping to India in the event of cessation of duties cannot be ruled out. In fact, the extent of dumping is likely to intensify.

159. As regards the source of the comparison undertaken between exports to India and exports to third countries, it is clarified that the same has been carried out on the basis of the data furnished by the responding exporter in its questionnaire response. Since the table at para 130, which presents a comparison between exports to India and third

countries, contains information relating to export volumes and prices of the responding exporter to various markets, the normal value determined on the basis of price paid or payable in India as per Annexure I of the Rules, and the non-injurious price determined for the domestic industry, all of which are confidential in nature and have also been claimed so by the interested parties in their submissions, the same has been treated accordingly and not been disclosed in the non-confidential version of the present findings.

160. It has been contended that the third country export price considered by the Authority is artificially lower and creates a misleading picture of dumping. As already indicated in the Authority's examination of the information from the exporter's questionnaire response, the comparison for estimating third country dumping was made between the normal value calculated above and the export price reported by the exporter. It is noted that the export price so considered was reported as the "invoice value" by the exporter. The Authority did not make any adjustments to such invoice value towards any expenses that may have been incurred in respect of such exports. Accordingly, it cannot be argued that the Authority considered a lower export price for the purpose of the analysis.

161. On the comments of the domestic industry on computation of the non-injurious price, the calculation has been undertaken as per the Annexure III of the anti-dumping rules. The component wise non-injurious price was disclosed to the domestic industry as per the consistent practice of the Authority.

## **O. CONCLUSION AND RECOMMENDATION**

162. After examining the submissions made by the interested parties and issues raised therein, and considering the facts available on record, the Authority concludes that:

- a) The product under consideration is Methyl Acetoacetate, also known as MAA/MAAE/AAME.
- b) The subject goods are being imported under Chapter 29 of the Customs Tariff Act under customs subheadings 29183040, 29183040, 29183090 and 29189990 of the Customs Tariff Act, 1975. The customs classification is only indicative and is not binding on the scope of the product under consideration.
- c) The goods produced by the domestic industry are "like article" to the subject goods being imported from the subject country.
- d) The application for initiation of the sunset review investigation of the anti-dumping duty on imports of subject goods from China PR was filed by M/s Laxmi Organics Industries Limited.
- e) The applicant was the sole producer in past investigations. During the injury period, however, another producer of the subject goods i.e. Jubilant Ingrevia Limited has established capacity and entered the market.
- f) Jubilant Ingrevia Ltd. has supported the application and the imposition of duties. It has been stated by Jubilant that duties in place provided it the confidence to invest in the market and start production. Further, it has also provided its injury information through a support letter.
- g) Based on information on record, the Authority has determined that the production by the applicant constituted a major proportion of the Indian production. The Authority has, therefore, determined that the applicant constitutes domestic industry under Rule 2(b) of the Rules and the application met the criteria of standing as per Rule 5(3).
- h) Nantong Acetic Acid Chemical Co., Ltd., a producer from the subject country, registered itself in the present investigation and filed response to the prescribed exporter's questionnaire.
- i) The exporter stated that since it is a listed company in China PR and its operations are not influenced by the State, it should be granted market economy treatment. However, it did not file a supplementary questionnaire justifying such treatment. The exporter had neither been granted nor had it sought market economy treatment in the previous investigations. Hence, the exporter's claim for such treatment has been rejected.
- j) The Authority has determined dumping margin and injury margin based on the net export price and landed value of imported reported by the exporter in its questionnaire response.
- k) Considering the normal value and export price determined, the dumping margin for the subject goods from the subject country is positive, more than de minimis and significant. The subject imports continue to enter India at dumped

prices.

- l) The demand has declined over the injury period but remains largely similar to the demand in the previous investigation.
- m) The volume of subject imports remains significant in absolute terms as well as in relation to Indian production and consumption.
- n) The landed value of imports is lower than the net sales realization of the domestic industry. Thus, the subject imports are undercutting the domestic prices.
- o) The landed value of subject imports declined by 44% over the injury period, which was steeper than the 32% decline in the domestic industry's costs and the 40% decline in its selling prices. This significant decline in price of subject imports forced the domestic industry to lower its selling price below its cost reductions to maintain volumes. Dumped imports had a depressing and suppressing effect on the domestic industry's prices.
- p) The domestic industry's production and sales volumes for the subject goods declined over the injury period. The domestic industry had to reduce its prices to increase sales volumes and market share in 23-24 and the POI.
- q) Profitability of the domestic industry declined as the landed value of dumped imports declined sharply, falling below the cost of production and forcing the domestic industry to reduce its selling price correspondingly. This resulted in the industry incurring losses in 2023-24 and earning negligible profits during the POI.
- r) The domestic industry's overall financial performance remained critically adverse, due to dumped imports, with a minimal return on capital employed.
- s) While Jubilant's volumes improved over the injury period, the same can be attributed to it being a new producer selling at prices significantly below cost. Jubilant is also selling the subject goods at prices comparable to those of the domestic industry and its performance has shown deterioration.
- t) Continued dumped imports have an adverse impact on the performance of the domestic industry.
- u) Non-attribution analysis shows that no other factor has caused injury to the domestic industry. Imports from Switzerland is being examined under parallel investigation.
- v) Considering the non-injurious price determined by the Authority and landed price of imports, it is seen that the injury margin is significant.
- w) There is sufficient evidence showing likelihood of continued dumping and injury to the domestic industry in the event of cessation of duties, as is summarized below:
  - a. Despite duties being in place, imports from China PR continue to remain significant and are even higher than the levels noted in previous investigations.
  - b. The dumping margin determined in the present investigation is higher than that determined previously, indicating persistent dumping behaviour.
  - c. Producers in China PR hold significant capacities. While one producer has participated in the present investigation whose level of capacity utilization is quite high, there are multiple other producers in the subject country.
  - d. The capacities available with producers in the subject country are significantly higher than their domestic demand. The producers hold surplus and freely disposable capacities, which is likely to be diverted towards India if duties are allowed to expire.
  - e. Subject imports undercut the net sales realization of the domestic industry and have a suppressing and depressing effect on the domestic prices. Continued existence of positive price undercutting demonstrates the likelihood of intensification of injury should the duties be withdrawn.
  - f. The participating exporter is exporting higher volumes to India in comparison to exports made to all third countries cumulatively. The margins determined in for the exporter's exports to India are higher than that determined for its exports to third countries, demonstrating selective dumping in the Indian market.
  - g. The Indian market is more attractive to the exporter vis-à-vis its domestic market. Given the price attractiveness of

the Indian market, the volume of imports from China PR is likely to increase in the event of cessation of duties.

- x) The impact of duty on end consumer is found to be insignificant. No user or importer participated in the present or previous investigation, further substantiating that the downstream industry is not adversely impacted by duties.
- y) Due to the positive impact of duties in force, not only did a new producer enter the market by establishing capacities, but also significant investment is being made by the domestic industry in this product. However, dumping has intensified with the new producer commencing operations, posing significant threat to the viability of the Indian industry.

163. The Authority notes that the present proceedings were conducted in accordance with the applicable law. All interested parties were duly notified and were granted adequate opportunity to provide information and present their views on the matters under investigation, including dumping, injury, causal link, likelihood of continuation of dumping and injury and impact of the measures on the Indian industry. Pursuant to the sunset review, the Authority has arrived at the conclusion that continuation of the existing anti-dumping duties is required in the present case.

164. The Authority, after examining submissions made by all interested parties in the present investigation, considers it appropriate and necessary to recommend continuation of definitive duties equal to the figure indicated in Column 7 of the duty table below for a period of five years on all imports of the subject goods from the subject country. Therefore, considering the facts and circumstances of the case, as established hereinabove, anti-dumping duty equal to the amount indicated in Column 7 of the duty table below is recommended to be extended on all imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country.

**Duty Table**

SN	Tariff heading	Description of Goods	Country of Origin	Country of Export	Producer	Amount	UoM	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	29183040, 29183090 and 29189990	Methyl Acetoacetate	China PR	Any country including China PR	Nantong Acetic Acid Chemical Co Ltd	0.277	Kg	USD
2.	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Any, other than SN 1	0.404	Kg	USD
3.	-do-	-do-	Any country other than China PR	China PR	Any	0.404	Kg	USD

165. The application of the individual duty rates specified for the companies mentioned in the above duty table shall be conditional upon presentation to the customs authorities of a valid commercial invoice, on which shall appear a declaration dated and signed by an official of the entity issuing such invoice, identified by his/her name and function, drafted as follows:

*'I, the undersigned, certify that the (volume) of Methyl Acetoacetate sold for export to India covered by this invoice was manufactured by (company name and address) in China PR. I declare that the information provided in this invoice is complete and correct.'*

166. If no such invoice is presented, the duty applicable to all other rates shall apply. This requirement is without prejudice to the verification procedures independently undertaken by the Customs authorities under the applicable customs law and regulations.

#### **P. FURTHER PROCEDURE**

167. An appeal against the order of the Central Government arising out of these findings shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the Customs Tariff Act, 1975.

AMITABH KUMAR, Designated Authority